Page No.1

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अङ्क ७] तृतीय विधान सभा के सप्तम् सत्र, १९६५ का तृतीय दिवस [संख्या ४

शनिवार, दिनांक २७ फरवरी, १९६५

विधान सभा की बैठक ११.२ म० पू० विधान सभा भवन, जयपुर, में प्रारम्भ हुई।

(रावश्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[आयुर्वेद, सिंचाई, कारावास, यातायात, पंचायत, सामान्य प्रशासन, वन, सहकारी, गृह, खाद्य, मुद्रणालय एवं विकास-विभाग]

प्रश्न संख्या ६०

श्री उपाध्यक्ष : श्री उमरावसिंह ढाबरिया।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री मानिकचन्द सुराणा।

राजस्थान नहर परियोजना

६१. श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या भारत सरकार ने राजस्थान नहर परियोजना के खर्च को चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में अपने जिम्मे लेना स्वीकार कर लिया है ? यदि हां, तो किस तारीख को ?

(२) क्या उक्त निर्णय लेते वक्त भारत सरकार ने राज्य सरकार को कोई शर्तें सूचित की हैं ? यदि हां, तो वे क्या हैं ?

(३) क्या राजस्थान नहर परियोजना पूर्ण होने पर व उससे पूर्व नहर परियोजना क्षेत्र के आवंटन के संबंध में भारत सरकार की कोई दखलंदाजी राज्य सरकार ने स्वीकार की है ?

(४) क्या यह सही है कि राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र के आवंटन के नियम पिछले ढाई-तीन साल में भी राज्य

Page No.2

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

सरकार नहीं बना पाई है ? यदि हां, तो इस ढिलाई का प्रमुख कारण क्या है ?

(५) राजस्थान नहर परियोजना खर्च को भारत सरकार द्वारा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में लिये जाने के पश्चात् उक्त परियोजना पर स्वामित्व किसका होगा ? जमीनों की बिक्री को लेने का अधिकारी कौन होगा व खुशहाली कर कौन वसूल करेगा ? क्या उक्त मुद्दों पर कोई फैसला राज्य सरकार व भारत सरकार के बीच हो चुका है ?

उपमंत्री, राजस्थान नहर परियोजना (श्री दौलतराम सारण) : (१), (२) व (३) अंतिम निर्णय अभी विचाराधीन हैं।

(४) आवंटन के नियम अभी अंतिम रूप से स्वीकार नहीं किये गये हैं क्योंकि उपनिवेशन नीति पर विचार विनिमय चल रहा है। राज्य सरकार की ओर से कोई ढिलाई नहीं है।

(५) इन मुद्दों पर विचार विनिमय हो रहा है। अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : राजस्थान सरकार ने भारत सरकार से जो राजस्थान नहर के खर्चे के संबंध में बातचीत की है उस वक्त भी क्या राजस्थान सरकार के दिमाग में यह बात नहीं आई है कि सारा रुपया खर्च होने के बाद में राजस्थान नहर पर स्वामित्व किसका होगा; भारत सरकार का होगा या राजस्थान सरकार का होगा ?

श्री दौलतराम सारण : विचाराधीन मुद्दे में सभी प्रश्न इस तरह के विचाराधीन हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : क्या इसमें राज्य सरकार ने भारत सरकार की कोई दखलंदाजी स्वीकार की है और क्या यही कारण है कि पिछले ढाई तीन वर्षों में नियम नहीं बन पाए हैं ?

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : सदन में कई बार बता चुके हैं कि जो कोलोनाइजेशन की पॉलिसी निर्धारित की जायगी वह भारत सरकार, राजस्थान सरकार और पंजाब सरकार आपस में कन्सलटेशन करके ही अंतिम स्वरूप देंगे।

श्री मानिकचन्द सुराणा : यदि तीनों सरकारों के मिले-जुले विचार-विनिमय के बाद आवंटन के नियम बनाने हैं तो पिछले ढाई-तीन साल का लंबा समय नहीं था इन नियमों को तय करने के लिए ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इसका निर्णय हो जाता लेकिन इसमें कई प्रश्न साथ में जुड़े हुए थे, इसलिए शुरू में जब तक अलग ऑथोरिटी बनी उसके बारे में चर्चा नहीं थी तब तक प्रश्न सामने यह था कि कितने एविक्टीज होंगे उनके बारे में क्या व्यवस्था की जाय, उस बारे में पंजाब सरकार के साथ बातचीत चलती रही और जो हमने टेन्टेटिवली प्रायोरिरिटीज वगैरह डिसाइड की, उस

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

प्रोपोज़ल पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्ज़, पंजाब गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्ज़ के साथ कई बार कॉन्फरेंस हुई है और ऐसा नहीं है कि इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गई हो, कॉन्फरेंसेज़ के अन्दर इस विषय में चर्चा की है, अन्तिम रूप से उसका निर्णय नहीं हुआ है क्योंकि एक फैक्टर और ऐड हो गया कि भारत सरकार और राजस्थान सरकार इस बारे में एक ऑथोरिटी निर्माण करने की बात पर विचार कर रही है, अतः कोलोनाइजेशन पॉलिसी भी उसी के साथ जुड़ जाती है ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : कोई भी ऑथोरिटी भारत सरकार और राजस्थान सरकार मिलकर निर्माण करें लेकिन क्या राज्य सरकार का दिमाग इस बारे में स्पष्ट है कि कितने भूमिहीनों को प्राथमिकता देनी है और कितने बीघा जमीन सेट अपार्ट करनी है ? जो नहरी जमीनें राजस्थान नहर द्वारा सिंचित की जायगी उनमें टेम्पोरेरी अलॉटमेंट भी नहीं करने के क्या कारण हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जबकि उनसे बातचीत चल रही है, इस प्रकार के कमिटमेंट करना अच्छा नहीं होगा । इसलिए जिस मामले में दो तीन पार्टीज इन्वोल्व्ड हैं, सरकार अपनी तरफ से कमिटमेंट करे, यह उचित बात नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : टेम्पोरेरी अलॉटमेंट करने में क्या दिक्कत है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : टेम्पोरेरी अलॉटमेंट कुछ जगह की है । लेकिन आम तौर से टेम्पोरेरी अलॉटमेंट के कुछ कॉम्प्लीकेशन्स हो जाते हैं, उनके राइट्स बन जाते हैं; इसलिए जहां जहां पानी जाता है वहां टेम्पोरेरी अलॉटमेंट्स किए भी हैं ।

श्री मानिकचंद सुराणा : कितने हजार बीघा जमीन, जो सिंचित हो चुकी है जिसमें खेती हो सकती थी उसमें सिर्फ आपके रूल्स न बनने के कारण कोई अलॉटमेंट नहीं हुआ है ?

उप मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : सिंचित ज़मीन अलॉट कर दी गई है ।

श्री मानिकचंद सुराणा : टेम्पोरेरी अलॉटमेंट किया जा चुका है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जी हां ।

श्री मानिकचंद सुराणा : और कोई सिंचित भूमि नहीं है, जहां अलॉटमेंट बाकी हो ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : वन ईयर बेसिस पर जिस जिस जगह पानी पहुंच चुका है, वह जमीन अलॉट कर दी गई है ।

श्री मानिकचंद सुराणा : जो अलॉटमेंट्स टेम्पोरेरी किए हैं उनके लिए कोई पॉलिसी होगी ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : वन ईयर अलॉटमेंट बेसिस पर अलॉटमेंट किया ।

Page No.4

श्री मानिकचंद सुराणा : किन नियमों के नीचे किया ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जो साधारण लैंडलेस को लैंड अलॉट करने के नियम हैं ।

श्री मानिकचंद सुराणा : यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है । जहां तक सदन की भावनाओं का प्रश्न है या विरोधी दल में बैठने वालों की भावनाओं का प्रश्न है हम राज्य सरकार से साफ तौर से कहना चाहते हैं कि चाहे राजस्थान सरकार नहर को भारत सरकार के खर्चे से बनाए, लेकिन सदन उसका स्वामित्व भारत सरकार को सुपुर्द करने के लिए तैयार नहीं हैं । मुख्य मंत्रीजी अपने दिमाग में नोट करें चाहे राजस्थान सरकार नोट करे यदि आपने इस खर्चे के कारण उनको इस नहर का स्वामित्व दिया तो यह सदन उस बात को स्वीकार नहीं करेगा ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आपने अपनी बात कह दी है । मैं आपसे इतना निवेदन करदूं कि जहां तक इस प्रोजेक्ट का सवाल है, इस पर ओवर ऑल फाइनेन्शियल इम्प्लीकेशन्स और प्रोजेक्ट को जल्दी पूरा करने का सवाल और चौथी और पंचवर्षीय योजना में इसको स्टेट प्रोजेक्ट का पार्ट रखा जाता है तो राजस्थान के प्लान पर, रिसोर्सेज़ पर असर करने वाली बातें, इन सब बातों को ख्याल में रख कर निर्णय करना होगा । हम स्वीपिंग निर्णय या स्वीपिंग बात करके नहीं चल सकते क्योंकि माननीय सदस्य की जानकारी में भी होगा कि अगर उसकी केवल इन्टरेस्ट जो प्रोजेक्ट के नियमों के अनुसार पिछले साल के बाद ड्यू होता है, उसको अगर पे करने का प्रावधान फोर्थ प्लान के अन्दर करें तो उसके क्या इम्प्लीकेशन्स होंगे और उसको चौथी और पांचवी प्लान में स्टेट प्लान का पार्ट बनाते हैं तो टोटल इम्पेक्ट क्या बनता है, इन सब का ख्याल रखें ।

प्रश्न संख्या ६२

श्री उपाध्यक्ष : श्री योगेन्द्रनाथ हांडा ।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री तेजाराम गहलोत

सी० टी० एस० जयपुर

६३. **श्री तेजाराम गहलोत** (सोजत): क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सच है कि मोटर व्हिकल्स रूल्स के तहत सी. टी. एस. को बस के स्टेशन (स्टॉप्स) आर. टी. ए. से स्वीकृत करवाने चाहिए ? यदि हां, तो जयपुर शहर में सी. टी. एस. के कहां कहां स्टाप्स हैं और वे आर. टी. ए. की किस मीटिंग में स्वीकृत हुए हैं ?

(२) क्या यह भी सही है कि सी. टी. एस. का किराया हर स्टोप का भी आर. टी. ए. से स्वीकृत होना चाहिये व स्टोप्स टू स्टोप्स की किराया सूची भी बस में

Page No.5

(श्री तेजाराम गहलोत)

लगनी चाहिये ? जयपुर शहर की सी. टी. एस. के फेअर लिस्ट आर. टी. ए. जयपुर से कब एप्रूव हुई ? फेयर लिस्ट सदन की मेज पर रखें।

(३) क्या यह भी सही है कि फेअर लिस्ट में राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित दर से अधिक किराया सी. टी. एस. यात्री से यात्रा की शुरुआत से यात्रा की समाप्ति तक चार्ज नहीं कर सकती ?

(४) क्या यह भी सही है कि आर. टी. ओ. जयपुर व आर. टी. ए. व पुलिस विभाग की अयोग्यता की वजह से मोटर व्हीकल्स रूल्स की उक्त धाराओं का खुले आम उल्लंघन होता है ?

(५) जयपुर सी. टी. एस. के परिशिष्ट कब दिये गये व रिन्युअल के वक्त आर. टी. ओ. के इन्स्पेक्टिंग स्टाफ ने व आर. डी. ए. ने इसकी ओर कभी ध्यान नहीं दिया या नहीं और नहीं, तो क्यों ?

(६) क्या सरकार सी. टी. एस. बस सर्विस को फेअर लिस्ट स्टोप से स्टोप मोटर व्हीकल्स रूल्स के तहत में स्वीकृत कराने व उससे अधिक फेअर चार्ज न करें उसके लिए सख्त कदम उठाने का विचार रखती है ?

उप-मन्त्री, यातायात (श्री भीमसिंह): (१) (क) जी हां, रूल १३४ मोटर व्हिकल्स रूल्स के तहत यह आवश्यक है।

(ख) स्टोप्स की सूची संलग्न है।

(ग) यह आर. टी. ए. जयपुर की दिनांक ९.१० नवम्बर, १९६४ की मीटिंग में प्रस्ताव संख्या १ के द्वारा स्वीकार किये गये हैं।

(२) (क) सी. टी. एस. का किराया प्रति मील के हिसाब से निश्चित किया हुआ है।

(ख) स्टोप टू स्टोप किराये की सूची बस में लगाना सम्भव नहीं है। जैसा कि (क) में बताया गया है।

(ग) स्टोप टू स्टोप के किराये की सूची का प्रश्न ही नहीं उठता जैसा कि (क) में दिया हुआ है और किराये की दर ५ पैसे प्रति सवारी प्रति मील या प्रति मील से कम की दूरी के लिये निश्चित है।

(३) जी हां, यह सही है कि सी. टी. एस. किराया ज्यादा नहीं वसूल कर सकती है। अगर कोई शिकायत आती है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाती है, जैसा पहले भी समय समय पर किया गया है।

(४) जी नहीं। जब कभी मोटर मालिकान मोटर व्हिकल रूल्स की धाराओं का उल्लंघन करते हुए पकड़े जाते हैं तबउनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाती है जैसा पहले कई बार किया जा चुका है।

(५) (क) परमिट ९ जून, १९५८ को दिये गये।

(ख) रिन्युअल के समय इन्स्पेक्टिंग स्टाफ द्वारा की गई शिकायतों पर भी

Page No.6

(श्री भीमसिंह)

विचार आर. टी. ए. की मीटिंग दि० २०, २२, २८, २६.७.६४ में किया गया, शिकायतों को सुना और आर. टी. एस. ने अपने प्रस्ताव संख्या १८७ द्वारा १५००) रुपये सी. टी. एस, बसों के मालिकों पर जुर्माना करके परमिट रिन्यू करने के आदेश दिये।

(६) किराया मील के हिसाब से निश्चित किया हुआ है और स्टाफ को समय समय पर निरीक्षण करने व दोषी मोटर मालिकों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने के आदेश दिये गये हैं ?

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री तेजाराम गहलोत : प्रश्न के भाग (२) के उत्तर में आपने बताया कि किराया स्टोप टू स्टोप लगाना सम्भव नहीं है। जब कि मोटर व्हिकल्स एक्ट में और रूल्स में यह प्रावधान है कि एक स्थान से दूसरे स्थान के फेयर बस में लगाना चाहिए फिर किस आधार पर लगाना सम्भव नहीं है और क्यों नहीं ?

श्री भीमसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि जो लम्बे रूट्स पर गाड़ियाँ चलाते हैं उनका एक अलग तरीका होता है और सी. टी. एस. बस सर्विस है उसका स्टोपेज पर माइलेज कवर नहीं होता है, छोटे छोटे बिट्स में होता हैं। माइल्स के हिसाब से एरिया निश्चित है।

श्री तेजाराम गहलोत : आपके द्वारा मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि प्रश्न के भाग ४ में बताया है कि आर. टी. ए. ने इन मालिकों के खिलाफ एक्शन लिया है। मैंने शिकायत ५ अगस्त को की। अजमेरी गेट से गवर्नमेंट होस्टल १६ पैसे चार्ज किये जब कि ५ पैसे ही चार्ज करते चाहिए थे। मैंने इसकी ५ अगस्त को शिकायत की और उसके जवाब में मुझे २२ जुलाई में 'इस पर एक्शन ले लिया है,' यह जवाब देते हैं। यानी जन्म तो हुआ ही नहीं और उससे पहले ही मृत्यु बता दी गई।

यातायात मन्त्री (श्री मथुरादास माथुर) : यह शिकायत जैसी आपने की थी, औरों ने भी की थी। यह नहीं है कि आपकी शिकायत ५ अगस्त की है तो आपको जवाब २२ जुलाई का मिला। पहले जो शिकायतें थीं उनके जवाब के साथ साथ आपको भी जवाब दे दिया गया, उसकी कापी आपको भी भेज दी गई।

श्री तेजाराम गहलोत : लेकिन आर. टी. ए. के एक्शन के बाद भी सी. टी. बस वाले ज्यादा किराया चार्ज करते हैं। मैंने जो शिकायत की उस पर आपने क्या एक्शन लिया है ?

श्री मथुरादास माथुर : आपने शिकायत की उस पर एक्शन ले लिया। यदि और नई शिकायत हो तो उस पर एक्शन लेने का प्रश्न पैदा होता है। आपकी अगस्त की शिकायत और जुलाई की शिकायतों पर एक्शन ले लिया, अब भी अगर आपको

Page No.7

(श्री मथुरादास माथुर)

शिकायत हो तो जांच करेंगे। गवर्नमेंट डाइरेक्टली इसको नहीं कर सकती। आप इसको आर. टी. ए. को भेज सकते हैं। यह एक स्टेच्युटरी बोडी है। आर. टी. ए. की मीटिंग में उन शिकायतों पर एक्शन लिया जाता है।

श्री तेजाराम गोहलोत : आर. टी. ए. की मीटिंग में ऑथोरिटी ध्यान नहीं देती है। क्या उनको डाइरेक्ट नहीं किया जा सकता है ?

श्री मथुरादास माथुर : मीटिंग में गौर किया जाता है। सही करे या गलत करे यह अलग बात है। गलत करता है तो अपीलट ऑथोरिटी के पास जा सकते हैं और उसके लिए कानून बना हुआ है। जो एग्रीव्ड आदमी होगा वह जावेगा।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : सरकार जावे, हम क्यों जावें ? जनता क्यों जावे ?

श्री मथुरादास माथुर : आप मुझे कानून के अन्दर अधिकार दे दीजिये, मैं इसको ठीक कर दूंगा, फैसला कर दूंगा।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : तेजारामजी की शिकायत को आर. टी. ए में भेजा या नहीं ?

श्री मथुरादास माथुर : भेज दी।

श्री भैरोंसिंह : इस शिकायत की इन्क्वायरी हुई, उसका जवाब दिया है ?

श्री मथुरादास माथुर : दूसरी शिकायतें थीं उसी केटेगरी की इनकी शिकायत थी, इसलिए उनके बारे में जो फैसला हुआ उसकी कापी आपको भी भेज दी। अब सवाल इतना सा ही रह जाता है कि यदि आपकी और कोई शिकायत हो तो उस पर फौरन, तत्परता से एक्शन लिया जावेगा। जब एम. एल ए. की कोई चिट्ठी आती है तो हम उसको फौरन ही भेजते हैं।

श्री तेजाराम गहलोत : २० जुलाई को जुर्माना हो चुका था और जब मेरी ५ अगस्त की चिट्ठी थी तो उस पर एक्शन लेना चाहिये था ?

श्री मथुरादास माथुर : २० जुलाई को आपके ५ अगस्त के पत्र का पहले से इम्प्रेशन था इसलिए उस पर उन्होंने एक्शन लिया और आपको कापी भेज दी।

श्री तेजाराम गहलोत : डाइरेक्टर ट्रांसपोर्ट के पास आप शिकायतें जांच के लिए भेज देते है। आपका ध्यान दिलाया इस ओर कि ५ अगस्त को मैंने पत्र लिखा और शिकायत की थी और आप कह रहे हैं कि २० जुलाई को ही यह हो चुका है। २० जुलाई के बाद जब ५ अगस्त को मैंने यह शिकायत की तो फिर उस पर तो एक्शन होना चाहिये था ?

श्री मथुरादास माथुर : अब भी शिकायत हो तो आज भी आर. टी. ए. को भिजवा दें। जुलाई में फैसला हुआ और ५ अगस्त की आपकी चिट्ठी पहुंची, आठ दिन दस दिन का फर्क है। आप चाहें

(श्री मथुरादास माथुर)

तो आज जो हाउस में इस ओर बहस हुई है तो उन मिनिट्स के आधार पर लिख कर भिजवाने के लिए तैयार हूं।

श्री तेजाराम गहलोत : शहर में किराया ज्यादा चार्ज किया जाता है। आप इसकी पूरी तरह से जांच करवा लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रघुनाथ बिश्नोई।

सांचोर पंचायत के सचिव के विरुद्ध अनियमितताओं के मामले

६४. श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सत्य है कि सांचोर पंचायत के सचिव श्री विरधीचन्द मैट्रिकुलेट या मिडिल पास भी नहीं है ?

(२) क्या यह भी सत्य है कि श्री विरधीचन्द एक से अधिक पंचायतों में सचिव का कार्य करते रहे हैं ? अगर हां, तो वे कौन कौन सी पंचायतें हैं जिनमें उन्होंने एक साथ काम किया और एक माह में वे कुल कितना वेतन पंचायतों से लेते थे ?

(३) क्या ऐसा करना गैर कानूनी नहीं था ! अगर था, तो अब सरकार उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करना उपयुक्त समझेगी ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

(४) उक्त सचिव की पंचायतों की नौकरी पार्ट टाइम थी या होल टाइम ? अगर उनकी नौकरी पार्ट टाइम थी तो क्या पंचायत समिति या पंचायत उनको नौकरी से मुक्त नहीं कर सकती ?

(५) क्या यह सच है कि श्री विरधीचन्द ने अपने कार्यकाल में पंचायत सांचोर में कई वित्तीय अनियमिततायें कीं ? अगर हां, तो वे क्या क्या थीं और उनके लिए पंचायत समिति ने क्या क्या कार्यवाही की और भविष्य में क्या कार्यवाही की जावेगी ?

(६) क्या यह सच है कि उक्त सचिव ने गत वर्षों में पंचायतों से वेतन के रूप में रकम अधिक उठाई और कार्य महीने में बहुत कम दिन किया ?

(७) क्या यह सत्य है कि उक्त सचिव का तबादला पंचायत समिति सांचोर ने किसी और पंचायत में किया परन्तु वह हुकुम कलेक्टर जालौर द्वारा रद्द कर दिया गया ? अगर हां, तो कलेक्टर का ऐसा करना कहां तक उचित था ?

(८) क्या इतनी बड़ी पंचायत में इतना कम पढ़ा-लिखा सचिव रखने से पंचायत का कार्य सुचारु रूप से चलाने में कठिनाई नहीं होती है ? अगर हां, तो क्या सरकार उक्त पंचायत में एक योग्यता प्राप्त सचिव रखवाने की व्यवस्था करेगी ?

उप-मंत्री, पंचायत (श्री भवानीशंकर नंदवाना) : (१) जी हां।

Page No.9

(श्री भवानीशंकर नन्दवाना)

(२) जी हां। सन् १६६० तक पंचायत सांचोर एवं गोलाना में तथा १६६१ में सांचोर एवं बावरला पंचायत में कार्य किया तथा १०५) रुपया प्रति माह वेतन प्राप्त किया था।

(३) जी नहीं। कार्यवाही का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(४) पंचायत सांचोर में होल टाइम एवं अन्य पंचायत में पार्ट टाइम थी, पंचायत स्वयं मुक्त कर सकती है।

(५) जी नहीं।

(६) जी नहीं।

(७) पंचायत समिति ने तबादला अवश्य किया था। जिलाधीश ने तबादले का आदेश रद्द करने का कोई आदेश नहीं दिया।

(८) जी नहीं। कोई कठिनाई नहीं मालूम हुई।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, आपने प्रश्न के भाग ३ में यह बताया कि यह गैर कानूनी नहीं है। इसके माने यह हैं कि आप यह मानते हैं कि होल टाइम किसी पंचायत में काम करता है तो पार्ट टाइम दूसरी में कर सकता है ?

श्री भवानीशंकर नंदवाना : एक ही क्लर्क दो पंचायतों में काम कर सकता है। दूसरी पंचायत का विरोध न हो तो उसमें एतराज की कोई बात नहीं है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : होल टाइम एक पंचायत में काम करने के बाद उसके बाद उसके पास कौनसा टाइम रह जाता है कि वह पार्ट टाइम में जाकर दूसरी पंचायत में काम करे ? क्या आप इसको गैर कानूनी नहीं मानते ?

श्री भवानीशंकर नंदवाना : जी नहीं।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : इसका मतलब यह है कि मेट्रिकुलेट आदमी को, एल. डी. सी. को १०० रुपये नहीं मिलता है वहां एक मिडिल पास आदमी भी नहीं हो उसको २००) इस प्रकार से प्राप्त होता है और वह इस प्रकार पार्ट टाइम करके काम करता है तो क्या यह गैर कानूनी नहीं है ?

श्री भवानीशंकर नंदवाना : पुरानी सर्विस है और उसको तनख्वाह मिलती आ रही है उसको कम करने का प्रश्न नहीं है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : इस प्रकार मामुली पढ़ा हुआ आदमी सांचोर जैसी पंचायत में जहां लाखों की आमदनी है, उसमें काम करता है और अनियमिततायें करता है, दूसरों से जांच हो चुकी है कि गैर कानूनी तरीके से पैसा उठाया है और उसकी जांच होनी चाहिये, क्या सरकार को इस प्रकार की जानकारी है ?

श्री भवानीशंकर नंदवाना : कोई जानकारी नहीं है।

Page No.10

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन । श्री जुझारसिंह ।

सिंचाई की दरें

६५. श्री जुझारसिंह (चेचट) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

१. राजस्थान में मुख्य, मध्यम, लघु तथा तालाब सिंचन योजना, मेजर, मीडियम माइनर एन्ड टैंक इरिगेशन स्कीम के अन्तर्गत विभाग द्वारा फसलवार क्या दरें वसूल की जाती हैं ?

२. क्या यह सही है कि उप-तहसील असनावर : तहसील झालरापाटन झालावाड़ क्षेत्र के भी माली वन्द योजना से पानी प्राप्त करने वाले कृषकों को इस बन्द से दो बार से अधिक पानी प्राप्त नहीं होता और इसके उपरान्त भी गन्ने तथा अन्य वार्षिक फसलों के लिए बिना किसी भेद के पूरी दरें देनी पड़ती है ?

३. क्या सरकार का विचार उसके द्वारा कृषकों को प्रदत्त सुविधावों के अनुपात में सिचाई की दरों के पुनरीक्षण करने का है ?

उप-मन्त्री, सिंचाई (श्री दिनेशराय डांगी : (१) फसलवार सिचाई दरों का शिड्यूल सलग्न है।

(२) इसका सम्बन्ध राजस्व विभाग से है।

(३) जी नहीं।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री जुझारसिंह : आपने सबका जवाब 'जी नहीं' में दे दिया है लेकिन जो मेजर क्रोप्स जैसे गेहूं जिसकी सिंचाई के लिये एक या दो पानी देते हैं उस पर भी १० रु. १२ रु. शिड्यूल रेट्स से पिलाई ली जा रही है। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं, आपके इस बांध से जो सिंचाई होती है क्या उसमें इतना पानी है जिससे आप तीन या चार पानी देने की क्षमता रखते हैं। क्या भीमला बांध में ३-४ बार पानी देवें, इतना पानी है ?

श्री दिनेशराय डांगी : अब तक हम तीन बार पानी दे चुके हैं; आशा है इस साल एक दफा और भी मिल सकता है। इसके अलावा जिस बन्ध या तालाब के नीचे २५०० एकड़ से अधिक की सिंचाई के तालाब हैं उनको राजस्व विभाग के अन्तर्गत ट्रान्सफर कर दिया गया है।

श्री जुझारसिंह : इरिगेशन के हिसाब से कम से कम फा क्रोप गेहूं के लिए मिनिमम नम्बर ऑफ वाटरिंग होना चाहिये वह चार दफा वाटरिंग उसके लिये एसेन्शियल है। भीमला बान्ध है उससे जितनी भूमि सिंचित होती है चार बार वाटरिंग दे सकता है या नहीं। आप रेट्स तो चार की ले लेते हैं, क्या उसमें इतना पानी है जिससे चार बार वाटरिंग हो सकता है अगर नहीं तो रेट्स के घटाने का विचार रखते हैं ?

Page No.11

खाद्य मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : इसके लिये सबके लिए नियम बने हुए हैं चार वाटरिंग के लिये कि कितना दिया जाय; दो के लिये कितना दिया जाय और एक के लिये कितना दिया जाय। एक से ज्यादा वाटरिंग लेने पर नियमों में प्रावधान है कि पूरे पानी का दाम देना होगा। सब तालाबों से चार पानी देंगे, यह कहना असंभव है। क्योंकि किसी तालाब के अंदर कितनी केपेसिटी है, कितना पानी भरेगा, कितनी बार सिंचाई के लिये दे सकेंगे, यह अलग अलग साल के पानी के स्टोरेज पर निर्भर करता है।

श्री जुझारसिंह : १२ रुपया पर एकड़ पिलाई ले रहे हैं चार वाटरिंग का जो कि नेसेसरी है। जो विभाग के छोटे छोटे बन्धे हैं वहां पर १२ रुपया एकड़ के हिसाब से पिलायी तो ले रहे हैं लेकिन चार वाटरिंग नहीं कर सकते; दो-तीन वाटरिंग मुश्किल से हो पाता है और पूरी पिलाई वसूल कर ली जाती है।

श्री नाथूराम मिर्धा : नियमों में प्रावधान है, दो से अधिक पानी देने पर १२ रुपया लिया जा सकता है।

श्री जुझार सिंह : जब कि चार वाटरिंग नेसेसरी है तो कैसे लेते हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : वह अलग बात है।

श्री दलपतसिंह (आबू) : चार पानी आप दे नहीं पाते और फसल खराब हो जाती है तो उसके लिये राज्य सरकार क्या कर रही है ?

श्री दिनेशराय डांगी : पानी होगा जितना ही तो देंगे।

श्री जुझारसिंह : या तो आपको नुकसान का हर्जाना देना चाहिये या रेट्स कम करें या एरिया कम करें।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

राज्य में आने वाले यात्रियों की संख्या में वृद्धि-टूरिज्म में वृद्धि

६६. **श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम)** : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(१) क्या यह सही है कि पिछले वर्षों में राजस्थान में आने वाले टूरिस्ट्स की संख्या २० हजार सालाना तक पहुंच गई है और बहुत बड़ी तादाद में आगे बढ़ सकती है।

(२) यदि हां, तो क्या सरकार टूरिज्म को बढ़ाने के लिये उदयपुर और जयपुर में रिसेप्शन सेन्टर खोलना लाभजनक और आवश्यक समझती है !

(३) क्या दिल्ली, बम्बई और अहमदाबाद में सेल ऑफिस खोले जाने से टूरिज्म में वृद्धि होने का अनुमान सरकार ने लगाया है ?

(४) यदि हां, तो क्या इन मुद्दोंको सरकार कार्यान्वित करने का विचार रखती है ?

उप-मंत्री, सामान्य प्रशासन (श्रीपरसराम मदेरणा) : (१) जी हां।

(२) इस योजना में ऐसी योजना का प्रावधान अर्थाभाव से नहीं हो सका है।

यद्यपि इन जगहों पर टूरिस्ट बंगले और सूचना केन्द्र काम कर रहे हैं।

(३) दिल्ली, बम्बई और आगरा व अहमदाबाद में विभागीय ऑफिस खोलने के बजाय ट्रैवल एजेन्ट्स और होटलों वगैरह के साथ उचित सम्बन्ध और सम्पर्क द्वारा इस दिशा में अधिक लाभदायक साबित होने की संभावना है।

(४) प्रश्न नहीं उठता।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत : दूसरा भाग का जवाब नहीं मिला, क्या उदयपुर और जयपुर में रिसेप्शन सेन्टर खोलना लाभजनक होगा या नहीं ?

श्रीपरसराम मदेरणा : दूसरे भाग का साफ जवाब दिया है, तीसरी पंचवर्षीय योजना में प्रावधान अर्थाभाव के कारण नहीं हो सकता।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : आप लाभजनक समझते हैं या नहीं ?

श्री परसराम मदेरणा : अर्थाभाव के कारण हम खोल नहीं पाते। आपने कल ही प्रश्न किया था मिडवाइव्ज वगैरह अस्पतालों में क्यों नहीं पहुंच पातीं, डाक्टर्स का क्यों अभाव है, इसमें हमारी मजबूरी है; धन की मजबूरी है। काम कई लाभदायक हो सकते हैं लेकिन उसके लिये धन भी तो चाहिये।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : चौथी योजना में प्रावधान है।

विधि मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : प्रावधान है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : दिल्ली; बम्बई और अहमदाबाद में सेल्स ऑफिस खोलकर ट्रैवल एजेन्ट्स को जो फायदा मिलता है, सरकार वहां ऑफिस खोलकर राजस्थान की तरफ आकर्षित क्यों नहीं करती ?

श्री परसराम मदेरणा : जो कोई भी फोरिन टूरिस्ट्स आते हैं उनका पूरा टूर प्रोग्राम वहां के ट्रैवल एसोसिएशन के थ्रु पैक्ड आता है। हम सेल ऑफिस खोलकर उनको साल-छ महीने में डाइवर्ट नहीं कर सकते राजस्थान के अन्दर क्योंकि फोरिन ट्रेवलर्स एसोसियेशन से सम्पर्क स्थापित किये हुए रहते हैं। इसके अलावा गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया और टूरिस्ट ब्यूरो हर कन्ट्री में इस तरह से लिखते हैं कि राजस्थान में टूरिस्ट ज्यादा भिजवावें। सेल ऑफिस खोलनेके बजाय ट्रैवल एजेन्ट्स के जरिये डाइवर्ट कर सकते हैं क्योंकि फोरिन टूरिस्ट ट्रैवल एसोसियेशन की मार्फत आते हैं इसलिये हमारा वहा जाना लाभदायक नहीं हो सकता इसलिये खोलने की आवश्यकता नहीं।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : प्राइवेट टेवल एजेन्सी को पब्लिक सेक्टर में

(श्री मोतीलाल चौधरी)

करने में क्या आपत्ति है इसका फायदा पब्लिक सेक्टर को मिले !

श्री परसराम मदेरणा : यह भारत सरकार से संबन्धित है, राज्य सरकार से नहीं।

श्री मोतीलाल चौधरी : राजस्थान सरकार पब्लिक सेक्टर में कर सकती है !

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : क्या सरकार यह समझती है कि पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर से अच्छा काम नहीं कर सकता ?

श्री परसराम मदेरणा : यह समझने की बात है। कोई कार्य प्राइवेट सेक्टर में अच्छा हो सका है पब्लिक सेक्टर में नहीं इसीलिये इन्डिया में मिक्स्ड इकोनोमी रख रहे हैं। जहाँ तक पब्लिक सेक्टर का सवाल है हरेक डेवलपमेन्ट का काम भी इसमें, नहीं रख सकते क्योंकि अर्थाभाव है। बहुत सी बातें जोइन्ट वेंचर हैं, मैं ऐसा समझता हूं। ट्रेवल एजेन्ट्स के जरिये गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया की एम्बेसीज़ है वहां इस बात की कोशिश करते है हर कन्ट्रीज में टूरिस्ट सेन्टर हो। इसका प्रचार करते हैं ट्रेवल एजेन्ट्स वर्ल्डवाइड बोडी है राजस्थान स्टेट एक ही स्टेक इन करें, असंभव है। प्राइवेट एसोसियेशन खत्म करके स्टेट स्टेक इन करें यह असंभव है भारत सरकार द्वारा ही यह संभव है। भारत सरकार ने फैसला नहीं किया वैसी हालत में राजस्थान इस बारे में सोचे, यह नहीं हो सकता।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द): क्या सरकार भारत सरकार को सुझाव देगी की इसको पब्लिक सेक्टर में लिया जाय !

श्री मोतीलाल चौधरी : इसका वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन एक है। गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया बना सकती है उस संस्था के हम मेम्बर बन सकते हैं पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेन्ट लेती है तो सरकार को लाभ होगा।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : टूरिस्ट्स को अट्रेक्ट करने के लिये इस क्षेत्र में राज्य की क्षमता है। इसमें जो सफलता मिल रही है उससे मंत्री महोदय सन्तुष्ट हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : जी हां, बहुत सन्तुष्ट हैं।

श्री परसराम मदेरणा : पांच-सात साल से जो फौरिन टूरिस्ट आ रहे हैं उनका नम्बर लगातार बढ़ रहा है। आपने बीस हजार का कहा, पर २८ हजार पिछले साल आये। राजस्थान की तरफ टूरिस्टों का बराबर आकर्षण हो रहा है और जब कभी वे यहां आये राजस्थान की चीजें सेल करने का हर सम्भव प्रयत्न किया गया है। और आगे भी आशा है इनकी संख्या बढ़ती जावेगी। हिन्दुस्तान में आने वाले फोरिन टूरिस्टों के लिये राजस्थान पैरेडाइज है। यहां की ऐतिहासिक बिल्डिंगें और स्थान देखने के लिये वे काफी संख्या में आते हैं। जितने देश में आते हैं उनका अधिक नहीं तो ३० प्रतिशत से ऊपर हिस्सा राजस्थान में अवश्य आता है।

Page No.14

श्री गिरधारीलाल व्यास : मेरे प्रश्न का तो उत्तर ही नहीं दिया। क्या इस व्यवसाय को पब्लिक सेक्टर में लेने के लिये राजस्थान सरकार भारत सरकार से सिफारिश करेगी ?

श्री परसराम मदेरणा : मुझे आपका सुझाव इस स्पष्टीकरण के बाद माकूल प्रतीत नहीं होता। इसलिये मजबूर हूं।

श्री मथुरादास माथुर : मैं थोड़ा स्पष्ट कर दूं। इस प्रश्न पर थोड़ा कनफ्यूजन है मेम्बरों में। अब हमने स्टेट होटल कोर्पोरेशन तो बना लिया है। टूरिस्टों के लिये होटल महत्वपूर्ण कम्फर्ट के स्थान होते हैं। अब टूरिस्ट का पूरा व्यवसाय ही नेशनेलाइज कर लिया जावे इसे हम इस समय उचित नहीं समझते। आगे जाकर जब उचित अवसर हम देखेंगे और टूरिज्म डेवलप हो गया और जरुरत पड़ी तो भारत सरकार के कन्सलटेशन में विचार किया जा सकता है इस पर। पर अभी चौथी योजना में हमारा विचार इस बारे में नहीं है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : ट्रान्सपोर्ट के व्यवसाय को पब्लिक सेक्टर में लेने की बात कही, पर आज लोड्स, ट्रक्स वगैरह प्राइवेट चलते हैं। तो इस तरह की मिक्स्ड इकोनोमी से कोई फायदा नहीं होता। इसलिये इसे पूरे को ही पब्लिक सेक्टर में लेने से लाभ होगा। इसलिये इसे लेना चाहिये।

प्रश्न संख्या ६७

श्री भगराज चौधरी।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री कृष्णकुमार गोयल।

तहसील किशनगंज के बोरदा व बांसथूनी बान्धों के ठेके

६८. श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : क्या पंचायत मन्त्री उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सत्य है कि तहसील किशनगंज, जिला कोटा के बोरदा व बांसथूनी के बान्ध का ठेका सन् ५७-५८ में दिया गया था ? अगर हां, तो किन किन ठेकेदारों को कितन कितनी राशि पर ?

(२) उपरोक्त बन्धे से कितनी एकड़ भूमि की सिंचाई कितने समय तक हुई।

(३) क्या यह सत्य है कि अब पुन: उपरोक्त बन्धों का ठेका दिया गया है? अगर हां, तो कब व किन किन ठेकेदारों को कितनी राशि में ?

(४) उपरोक्त बन्धों से कितनी भूमि की सिंचाई का अन्दाजा है ?

उप-मन्त्री, पंचायत (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) जी हां। दोनों कार्यों का ठेका क्रमश: ४,६७०) व ६,७००) में श्री नरेन्द्रकुमार को दिया गया।

(२) बोरदा बन्ध से सिंचाई नहीं हुई। बांसथूनी बन्ध से लगभग १२ एकड़ भूमि में तीन वर्ष से सिंचाई हो रही है।

(३) जी हां, ठेका फरवरी, १९६४ में दिया गया। बोरदा बन्ध का ठेका श्री माण-

Page No.15

((श्री भवानीशंकर नन्दवाना)

कचन्द के नाम १८८०)में है व बांसथूनी बन्ध का ठेका ७२५०) में है।

(४) बोरदा बन्ध से १०० एकड व बांसथूनी बन्ध से २५ एकड़ भूमि की सिंचाई होने का अनुमान है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : आपने जो खण्ड (१) में जवाब दिया और दूसरे में कहा कि सिंचाई नहीं हुई तो क्या कारण है कि बान्ध बनने के बाद भी सिंचाई नहीं की जा सकती ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : उनकी नहरें बन पाई हैं इसलिये। बान्ध का भी काम पूरा नहीं हुआ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सत्य है कि ये ठेके ५७-५८ में दिये गये और उन ठेकों से बने सारे बान्ध टूट गये या फ़ैक हो गये ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : आप का यह प्रश्न अलग है। अलग से करेंगे तो उत्तर दे दूंगा।

श्री कृष्णकुमार गोयल : आप सारे प्रश्न को देखें, मैंने प्रश्न ही इसीलिये रक्खा था कि सिंचाई नहीं हो रही है इनसे !

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : उसका मैं उत्तर दे चुका हूं कि काम पूरा नहीं हुआ और जब काम ही पूरा नहीं होता है तो सिंचाई का प्रश्न पैदा नहीं होता।

श्री कृष्णकुमार गोयल : काम के पूरा नहीं होने का क्या कारण है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : यह तो पंचायतों ने काम करवाया है उसमें जन-सहयोग कम मिला होगा या जिस साल जितना मिला होगा काम उतना ही हुआ होगा।

श्री कृष्णकुमार गोयल : हुआ होगा, होगा में उत्तर मत दीजिये। मेरा प्रश्न स्पष्ट है। ठेके दिये गये, ठेकेदारों को पेमेन्ट हुए। जब ठेकेदारों को पेमेन्ट हुए तो काम पूरा क्यों नहीं हुआ ? स्पष्ट प्रश्न है !

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : दो हजार, चार हजार में जितना काम हो सकता है उतना ही तो होगा। और जिस पर २५ हजार लगने को हैं तो २५ हजार की पूरी रकम होगी और वह लगेगी तभी तो काम पूरा होगा।

श्री कृष्णकमार गोयल : क्या आप यह बता सकते हैं कि जितना एस्टीमेट था उसके मुताबिक जो पैसा दिया गया वह कम पैसे का दिया गया ? क्या आप यह कहना चाहते हैं ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : यह तो अलग से प्रश्न है कि क्या एस्टीमेट है। इसकी अलग से जानकारी करके ही दे सकता हूं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : प्रश्न मेरा बहुत स्पष्ट है। जवाब अवोइड किया जा रहा है। इससे अधिक दुखपूर्ण घटना और नहीं हो सकती।

Page No.16

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

आप कहते हैं, ठेका दिया गया। ठेका पूरा हुआ, पेमेन्ट हो गया, पर एक एकड़ सिंचाई हुई नहीं।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : यही तो मैंने कहा है कि ठेका जितने का दिया गया उतना काम पूरा कर दिया गया। अभी काम और बाकी है, जैसे जैसे पैसा मिलता जावेगा, काम पूरा कराया जा सकेगा और जब काम पूरा होगा तभी तो सिंचाई हो सकेगी।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मैं सिंचाई के लिये ही निवेदन करना चाहता हूं। ये जो ठेके दिये गये हैं उनमें डिफॉल्ट हुआ और इसी कारण सिंचाई नहीं हो पाई। आज भी उन्हीं लोगों को उनके रिश्तेदारों को वे ठेके दिये गये हैं और इस तरह से जो इन्वेस्टमेंट उसमें किया जा रहा है वह भी बेकार जावेगा। और खास कर जो लेफ्ट कैनाल है बांध की वह तैयार नहीं होगी तब तक बांध बनकर भी बेकार पड़ा रहेगा।

उप-मन्त्री, गृह (श्री निरंजननाथ आचार्य) : भाषण दे रहे हैं ये तो।

श्री उपाध्यक्ष : भाषण न दें।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री कृष्णकुमार गोयल : बांध को आप पहले पूरा करवाइये और कैनाल को भी ठीक करने के लिये प्रबन्ध करिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक सप्लीमेन्टरी पूछना चाहता हूं। आपने यह कहा कि बांध बन गया नहरें नहीं बनीं। मैं पूछना चाहता हूं कि नहरें पहले बनती हैं या बांध पहले बनता है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, आपका जवाब तो रह गया और दूसरा जवाब आ गया।

श्री कृष्णकुमार गोयल : यह कोई पोइन्ट ऑफ ऑर्डर नहीं है।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : यह आवश्यक नहीं कि पहले नहर बनें या तालाब बनें। दो-तीन हजार की पंचायत समिति में फण्ड में रकम थी और जितनी रकम थी उतनी ही अलॉट की गई। ज्यादा फण्ड था नहीं इसलिये तालाब एक साथ नहीं तैयार कर सके अलग अलग सालों में खर्चा हुआ है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : डैम पहले बनता है या नहरें, यह पहले बताइये।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : कॉमन सेंस अप्लाई करिये।

श्रीमती नगेन्द्रबाला (छबड़ा): जो जानकारी विभाग के द्वारा दी गई है हमें मिनिस्टर ने दी है, मेरा उस बारे में नम्र निवेदन है कि यह निश्चित सत्य है कि जिनको पहले ठेके दिये गये थे और जिनका नाम स्वयं मिनिस्टर महोदय ने लिये हैं उनका डिफॉल्ट था,

Page No.17

(श्रीमती नगेन्द्रबाला)

उनका काम ठीक नहीं हुआ था और इस कारण ये बांध बनकर भी टूटे हैं, नहरें नहीं बनी थीं और दूसरी बात यह कि ये ठेके जो दिये गये इन्हीं के रिश्तेदारों को दिये हैं। यह मैं ठीक तरह से निश्चित तौर पर कहना चाहती हूं। इसकी आप फिर से जांच करवा लीजिये भले ही।

प्रश्न संख्या ६६

श्री रामकिशन।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती नगेन्द्रबाला।

बारां से छबड़ा तक बस का परमिट

७०. **श्रीमती नगेन्द्रबाला** (छबड़ा) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) क्या यह सही है कि बारां से जलवाड़ा, नाहरगढ़, छीनोद, छीपाबड़ोद, व छबड़ा तक बस रूट स्वीकृत होकर बस मालिकों को परमिट दे दिये गये हैं ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त किसी भी स्थान पर बसें समय पर तथा नियमित रूप से नहीं चलतीं ?

(३) क्या यह सत्य है कि उक्त कुछ स्थानों के नाम पर तो केवल परमिट ले लिया गया है किन्तु बस चलाई ही नहीं गई और बस किसी दूसरे रूट पर ही चलती है ?

(४) क्या यह भी सत्य है कि इससे जनता ने परेशान होकर अन्य बस चालकों को परमिट दिये जाने के बावत प्रार्थना की है ?

(५) ऐसे व्यक्तियों के परमिट कैंसिल क्यों नहीं किये गये ?

उप-मंत्री, यातायात (श्री भीमसिंह) : (१) जी नहीं। बारां से जलवाड़ा, नाहरगढ़, छीनोद, छीपाबड़ोद, छबड़ा ऐसा कोई बस मार्ग नहीं है, बल्कि मार्ग निम्न प्रकार है :—

(१) बारां से जलवाड़ा नाहरगढ़।

(२) बारां से भंवरगढ़ नाहरगढ़।

(३) बारां से बपावर गऊघाट बवाई छबड़ा।

(४) बारां से अटरू काला तालाब कवाई छीपावड़ोद छबड़ा।

ऊपर के दोनों नम्बर १ व २ रूट पर कोटा ट्रान्सपोर्ट कम्पनी के नाम पर परमिट हैं। नम्बर ३ रूट पर मनोहरलाल एण्ड कम्पनी को नया परमिट दिनांक २०-१-६५ को दिया है। नम्बर ४ रूट पर ५ परमिट पहले से ही दिये हुए हैं।

(२) बारां, जलवाड़ा, नाहरगढ़ व बारां भंवरगढ़ नाहरगढ़ रूटों पर गाड़ियां नहीं चलने की शिकायतें सहायक प्रादेशिक यातायात अधिकारी कोटा के कार्यालय में थीं और अब भी हैं। बारां बपावर गऊघाट कबाई छबड़ा रूट अभी हाल में चालू हुआ

Page No.18

(श्री भीमसिंह)

है। दिनांक २०-१-६५ से बारां छबड़ा वाया छीपा बड़ोद रूट पर नियमित रूप से बस के न चलने की शिकायतें हैं जो आर. टी. ए. की मीटिंग में दिनांक २३,२४-२-६५ में लगी हुई हैं।

(३) हां, यह सत्य है कि बारां, छबड़ा वाया अटरू छीपाबड़ोद मार्ग के चालक छबड़ा नहीं पहुंचते हैं और छीपाबड़ोद रूक जाते हैं। हालांकि इनके परमिट छबड़ा तक के हैं। पूरे रूट पर नहीं चलने के लिए सेक्रेटरी, आर. टी. ए. कोटा को लिख दिया है कि मोटर मालिकों के खिलाफ धारा ६० मोटर व्हिकल एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही की जावे।

(४) जी हां, बारां से नाहरगढ़ वाया जलवाड़ा छतरगंज रूट पर दो प्रार्थनापत्र केसरीलाल दासोट व हरी मोहन भटनागर के प्राप्त हुए हैं। इन प्रार्थनापत्रों पर दिनांक २३,२४-२-६५ को होने वाली आर. टी. ए. कोटा की मीटिंग में विचार किया जावेगा।

(५) कोटा ट्रान्सपोर्ट कम्पनी का परमिट बारां से जलवाड़ा नाहरगढ़ रूट का आर. टी. ए. कोटा ने दिनांक ४-१-६४ को कैंसिल कर दिया था। लेकिन मोटर मालिक ने ट्रान्सपोर्ट अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील की और यहां से आर. टी. ए. के फैसले को रद्द करवा दिया और अपीलेट ट्रान्सपोर्ट ट्रिब्यूनल ने दुबारा इस केस को आर. टी. ए. को सुनने का आदेश दिया है। जो आर. टी. ए. की दिनांक २३,२४-२-६५ की मीटिंग में विचार हेतु रखा जावेगा।

श्री दयाचन्द सोन (बारा सु.) : आपने प्रश्न के भाग २ में बताया है कि छबड़ा बसें ४ तक जाती हैं लेकिन वहां पर वास्तव में पहुंचती कितनी हैं ?

श्री भीमसिंह : सुना नहीं।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा): आपका कहना यह है कि आपने ४ गाड़ियों को परमिट दे रखा है लेकिन वास्तविकता क्या है ? कितनी बसें चलती हैं ?

श्री भीमसिंह : मैंने अपने उत्तर में कहा है कि कई रूटों में जहां बसों को पहुंचना था, मोटर चालक नहीं ले जाते थे इसलिए उनके परमिट कैंसिल करने के लिए लिखा गया है जो २३ और २४ तारीख को मीटिंग होने वाली थी उसमें पुट-अप हुआ होगा।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : जब तक परमिट्स कैंसिल नहीं होते तब तक तो बसें चलेंगी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भैरवलाल काला-बादल।

पुष्पा ट्रांसपोर्ट कम्पनी, कोटा

७१. **श्री भैरवलाल कालाबादल** (अकलेरा–सु०) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) सरकार द्वारा पुष्पा ट्रान्सपोर्ट कम्पनी, कोटा को किस-किस कम्पनी की मोटरों की ऐजिन्सियां दी गई हैं तथा इस कम्पनी को किस-किस कम्पनी से, कितनी

Page No.19

(श्री भैरवलाल 'कालाबादल')

मोटर गाड़ियां, किस-किस वर्ष में किस-किस नम्बर की दी गई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) पृथ्वा कम्पनी ने प्राप्त मोटरों में से कितनी मोटरें ब्लैक से बेचीं और कितनी मोटरें निश्चित रेट पर तथा किस-किस पार्टी को ?

(३) जिस पार्टी को ये गाड़ियां बेची गईं उस पार्टी ने कितने दिन इन मोटरों को अपने अधिकार में रखा और कितना टैक्स सरकार को दिया ?

उप-मंत्री, यातायात (श्री भीमसिंह) : (१) मोटरों की एजेन्सियां देने का काम राजस्थान सरकार नहीं करती उनको एजेन्सी उत्पादक देते हैं। सूची संलग्न है।

(२) इस विषय में इस विभाग को कोई जानकारी नहीं है। जिन-जिन पार्टी को मोटरें दी गई उनकी सूची संलग्न है।

(३) सूची संलग्न है।

श्री भैरवलाल कालाबादल : सूची नहीं मिली। सूची मिल जानी चाहिए, संलग्न कहां है ?

श्री भीमसिंह : सूची आप चाहें तो बाद में दिखा सकता हूं और अभी चाहें तो अभी दिखा सकता हूं।

श्री भैरवलाल कालाबादल : सूची मिलती तो मैं समझता हूँ कि इसमें सप्लीमेन्टरी देने का अवकाश मिल जाता।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : सूची आपके तो संलग्न है लेकिन उनके नहीं है।

श्री भीमसिंह : तो वह आपको मिल जायेगी।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : मैं सप्लीमेन्टरी तो क्वेश्चन नहीं कर सकता जब तक सूची नहीं मिल जाती।

श्री उपाध्यक्ष : सूची मिलनी चाहिए।

विधि मन्त्री (श्री मथुरादास माथुर) : सूची हमारे पास तो इतनी जाड़ी है। हमने तो भिजवाई थी रास्ते में ही रह गई होगी।

श्री उपाध्यक्ष : सूची प्राप्त होने पर आप फिर से इसको पूछ सकते हैं।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : क्या कल के लिये इसको रख रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : कल के लिये नहीं, कल तो कोई मीटिंग नहीं है। अगले दिन जब भी मीटिंग हो, पूछ सकते हैं।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : मेरे पास यह सूची अभी आई है और यह अंग्रेजी में दी है जबकि राज-भाषा हिन्दी हो गई है। मैंने तो अंग्रेजी में पढ़ने की सौगन्ध ली है।

श्री उपाध्यक्ष : हिन्दी में मिल जायेगी।

श्री मथुरादास माथुर : कम्पनियों के नाम हैं तो हम क्या करें ?

Page No.20

श्री उपाध्यक्ष : श्री जेठमल बरवड़ ।

जोबनेर स्टेशन से जोबनेर शहर तक चलने वाली बसों का किराया

७२. श्री जेठमल बरवड़ (परबतसर): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि जोबनेर स्टेशन से जोबनेर शहर तक चलने वाली बसों का किराया नियम से ज्यादा वसूल होता है ?

(२) क्या यह सही है कि किराया ज्यादा लेने की शिकायत जोबनेर के निवासियों ने विभाग के पास की थी ? यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

उप-मन्त्री, यातायात (श्री भीमसिंह) : (१) जी नहीं ।

(२) जी हां, उस पर जांच की गई तो ज्ञात हुआ कि यह मार्ग ६ मील ५ फर्लाङ्ग लम्बा (ए) श्रेणी का मार्ग बन चुका है अतः नियमानुसार ७ मील का ८ पाई प्रति मील के हिसाब से किराया लिया जाना उचित है जो करीब ३५ न० पै० लगता है और वही चार्ज किया जा रहा है। पहले ४० न० पै० चार्ज किये जाते थे। जांच की जाकर अधिक किराया लेने के सम्बन्ध में चालकों को नोटिस धारा ६० मोटर व्हीकल्स एक्ट के अन्तर्गत किया जा चुका है, उस पर आर० टी० ए० द्वारा निर्णय शेष है ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरलाल मीणा ।

खेतों में निकलने वाली नहरों का मुआवजा

७३. श्री हरलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि जिला चित्तौड़गढ़ तहसील प्रतापगढ़ के गादोला टैंक से निकलने वाली नहरें काश्तकारों के खेतों में होकर निकाली हैं ? यदि हां, तो कितनी जमीन नहरों में आई व कितने काश्तकारों की ?

(२) क्या यह सच है कि इन काश्तकारों को अभी तक मुआवजा नहीं मिला है और इनसे सरकार अभी तक लगान भी वसूल कर रही है ? यदि हां, तो ऐसे कितने काश्तकार हैं ?

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री दिनेशराय डांगी) : उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न एक हफ्ते के लिए स्थगित कर दिया जाये ।

प्रश्न संख्या ७४

श्री उपाध्यक्ष : वैद्य श्री गोविन्द-सहाय ।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ७५

श्री जोधसिंह चौहान ।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

Page No.21

(श्री उपाध्यक्ष)

प्रश्न संख्या ७६

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा ।

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिये)

श्री विजयपाल कटारा ।

अनुदान द्वारा कुओं का निर्माण

७७. **श्री विजयपाल कटारा** (डूंगरपुर सु०) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) पंचायत समिति सीमलवाड़ा में सन् १९६३-६४ में कितने कृषि के लिए कुए तैयार हुए ?

(२) क्या यह सही है कि इन कुओं पर एक हजार रुपयों का अनुदान दिया गया ?

(३) क्या यह सही है कि काश्तकारों को समय पर किश्त न मिलने से कुओं का कार्य अधूरा रह गया ?

(४) क्या यह भी सही है कि इन काश्तकारों पर दबाव डाल कर खाद व कृषि औजार दिये गये जिसकी वजह के बहुत सारे कुओं के काम अधूरे रह गये हैं ।

उप-मंत्री, पंचायत (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) (१) कोई भी नहीं ।

(२) जी हां, एक हजार रुपये के अनुदान की स्वीकृति हुई ।

(३) जी नहीं ।

(४) जी नहीं ।

श्री विजयपाल कटारा : आपने जो एक हजार रुपये की बात कही क्या वह पैसा काश्तकारों के पास पहुंच चुका है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : काश्तकारों ने अपना काम पूरा नहीं किया इसलिए उनको चौथी किश्त नहीं दी गई ।

श्री विजयपाल कटारा : आज तक कितने पूरे हुए ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : पूरे तैयार नहीं हो चुके हैं ।

श्री विजयपाल कटारा : कितने कुए थे ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : पूरी संख्या मेरे पास इस समय नहीं है ।

श्री विजयपाल कटारा : पूछने का मतलब यह था कि कुए कितने तैयार हुए ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : चौथी किश्त उनको नहीं मिल सकती है जब तक काम पूरा न हो । जब भी वे काम पूरा कर देंगे तो वे चौथी किश्त दे देंगे ।

श्री विजयपाल कटारा : किश्तें जो काश्तकारों को नहीं मिलती हैं तो उनको दिक्कत होती है क्या आप इसकी जांच करवायेंगे ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : करवा देंगे, यदि आप करवायेंगे तो ।

श्री विजयपाल कटारा : क्या उनको खाद देना जरूरी था ? उनके कुए तो तैयार भी

(श्री विजयपाल कटारा)

नहीं हुए और उनको खाद लेने के लिए मजबूर किया गया।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : जबरदस्ती नहीं दी गई।

श्री विजयपाल कटारा : उपाध्यक्ष महोदय, काश्तकारों में बड़ा भारी असंतोष पैदा हो रहा है। बिना कुए तैयार हुए खाद पहले दे दिया, औजार पहले दे दिये कुए तैयार हुए बिना अब काश्तकार इन खाद और औजारों का क्या करेंगे बिना कुए तैयार हुए।

श्री उपाध्यक्ष : भाषण न दें आप।

श्री विजयपाल कटारा : कुए अधूरे पड़े हैं, इसके लिए क्या है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : उन्होंने रकम जमा कराई होगी तभी तो खाद वगैरह उनको दी गई होगी। कोई जबरदस्ती नहीं की गई।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर): कुओं के लिए तकाबी देते समय काश्तकारों को मजबूर किया जाता है कि उक्त रकम में से खाद और औजार के लिए वह खर्च करें और खाद और औजार की रकम कुओं की तकावी में से काटली जाती है, क्या यह सच है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : जी नहीं, मजबूर नहीं किया जाता है।

श्री विजयपाल कटारा : काश्तकारों को मजबूर किया जाता है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : इस प्रश्न के पहले भाग में उपमंत्री जी ने बताया है कि इस पंचायत समिति में १९६३-६४ में एक भी कृषि कुआ नहीं बना तो आपका जो प्लानिंग अगर सारी पंचायत समिति में एक कुआ कृषि के लिए तैयार हो सका तो प्रोडक्शन कहां से बढेगा, यह तो बतायें

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : कुओं के लिए रकम स्वीकृत हुई थी। इस रकम को हम ४ किश्तों में देते हैं। पहली किश्त २५० रुपये की होती है, उसमें कुआ खुदता है और पानी निकल जाता है तो दूसरी किश्त देते हैं और काम हो जाने पर फिर तीसरी किश्त देते हैं और फिर उसके बाद चौथी किश्त देते हैं इसलिए जब तक काश्तकारों का काम पूरा नहीं हो जाता तब तक कैसे दिया जाये।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : १९६३-६४ में कितने कुए तैयार हुए तो आपने कहा कि पूरे नहीं हुए।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : पूरे कम्प्लीट तो नहीं हुए, उनसे सिंचाई तो नहीं हो सकेगी।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुरा): क्या बी.डी.ओ. की कार्यवाही और कारगुजार ऊपर रिफ्लेक्शन नहीं है जो एक भी कुआ तैयार नहीं करा पाया और ६ साल से बैठा है।

श्री भवानी शंकर नन्दवाना : मैं कह चुका हूं कि चौथी किश्त तब ही दी जाती है जबकि काश्तकार अपना काम पूरा कर दे ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : आप समझते हैं कि बी०डी०ओ० गंगाजल सम निर्मल हैं और दोषी काश्तकार ही हैं, बहुत अच्छा

श्री उपाध्यक्ष : श्री सांवलियाराम

कुए की मरम्मत

७८. श्री सांवलियाराम (रूपवास–सु०) [श्री श्रवणलाल (हिन्डौन सु०), द्वारा पूछा गया] : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि ग्राम मायदपुर, तहसील वैर की आबादी के बीच एक जमीन से समतल एक टूटा फूटा कुआ है और इसमें कुछ व्यक्तियों और जानवरों के गिर जाने से उनकी मृत्यु हो गई है ।

(२) यदि हां, तो क्या इसे बनवाने या बन्द कराने की कोई कार्यवाही की जावेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

उप-मंत्री, पंचायत (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) जी हां; किन्तु उस कुए में गिर कर किसी मनुष्य व जानवर की मृत्यु होने की सूचना नहीं मिली ।

(२) कुए के चारों ओर तारों का घेरा लगा दिया गया है ।

श्री श्रवणलाल : कब से लगा दिया गया है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : यह निश्चित तारीख नहीं है लेकिन मेरे पास सूचना है कि लगा दिया गया है ।

श्री श्रवणलाल : अभी तक तो वहां कुछ भी नहीं है और आप कहते है कि लगा दिया गया है ।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : मैं जानकारी के आधार पर ही कह रहा हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री दुर्गालाल बाढ़दार ।

राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद् सर्विस सिलेक्शन कमीशन द्वारा सेवा चयन नियम

७६. श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवा-महल, जयपुर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद् सर्विस सिलेक्शन कमीशन का निर्माण जयपुर के लिए कब हुआ और क्या इस कमीशन ने सेवा में चयन के लिए कोई नियम बनाये ? यदि हां, तो नियम की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें ।

(२) क्या पंचायत समिति सिलेक्शन कमीशन ने सन् १६६३ में विज्ञापन संख्या १६ के द्वारा प्राइमरी स्कूल के अध्यापक व अध्यापिकाओं के चयन के लिए आवेदन-पत्र मांगे थे ? यदि हां, तो कितने आवेदन-पत्र आये और कितनों का चयन हुआ ?

Page No.24

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

(३) क्या यह सच है कि सन् १९६३ में चयन किये हुए प्रत्याशियों को यह आश्वासन दिया गया था कि बेसिक एस० टी० सी० प्रशिक्षण काल में उन्हें २५) रु० मासिक छात्रवृत्ति दी जावेगी।

(४) सन् ६३ में चयन किये गये प्रत्याशियों में से कितनों को ट्रेनिंग में भेजा गया और क्या छात्रवृत्ति सभी को दी गई ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं दी गई ?

उप-मंत्री, पंचायत (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) नवम्बर १९५९ में निर्माण हुआ। कमीशन ने कोई नियम चयन के लिए नहीं बनाये।

(२) जी हां। १३०३१ आवेदन-पत्र आये। उसमें से १८०० अध्यापकों का चयन हुआ।

(३) विज्ञापन में प्रशिक्षण काल में २५) रु० प्रति मासिक छात्रवृत्ति दी जाने का उल्लेख था।

(४) सभी व्यक्तियों को ट्रेनिंग में भेजा गया। छात्रवृत्ति नहीं दी गई क्योंकि बेसिक ट्रेनिंग स्कूल खुली संस्थाएं घोषित कर दी गईं।

श्री दुर्गालाल बढ़ादार : यहं बगैर नियमों के फिर कार्यवाही किस प्रकार की गई ? इस पर प्रकाश डालने की चेष्टा करें। नियम तो आपने बनाये ही नहीं।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : पंचायत सर्विस के नियम बने हुए हैं।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : आप स्वयं यह कहते हैं कि ऐसे नियम नहीं बनाये गये तो नियमों के प्रतिकूल यह कार्यवाही कैसे की गई ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : चयन के लिए नियम नहीं हैं लेकिन पंचायत सर्विस के नियम बने हुए हैं। उसके अनुसार यह कमीशन काम करता है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : उन नियमों को लागू किये जाने के लिए क्या कोई विज्ञप्ति प्रसारित की गई है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : लागू किये गये हैं।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : मैं इसीलिए तो पूछना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसी विज्ञप्ति प्रसारित की गई है ? यदि की गई है तो कब की गई है और किस राजपत्र में निकली है और किस प्रकार से यह क्रियान्वित की जा रही है इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं किया गया।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : ये सारे नियम इन सारी चीजों पर लागू हैं।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : यह २५) माहवार दिये जाने का जो प्रश्न था वह क्या सब को दिये गये हैं ? यदि सब को नहीं दिये गये हैं तो उसके क्या कारण थे ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : उस समय दिये जाने की बात थी लेकिन बाद में नहीं दिये जाने की घोषणा की गई थी और विद्यार्थियों को यह बता दिया गया था कि यह स्टिपेण्ड नहीं मिलेगा ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : क्या यह रुपये सब को नहीं दिये गये ? यदि दिये गये हैं तो किसको दिये गये हैं और किस को नहीं दिये गये हैं ।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : किसी को नहीं दिया गया है ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : क्या प्रारंभ में रुपये नहीं दिये गये थे ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : जी नहीं ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : प्रारम्भ में दिये गये थे या नहीं ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : मैंने कहा कि नहीं दिये गये ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जुझारसिंह ।

वन विभाग के अधिकारियों को शिकार खेलने के लिए विशेषाधिकार

८०. **श्री जुझारसिंह (चेचट)** : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) वन विभाग के डिविज़न वन अधिकारी, वन संरक्षकों, मुख्य संरक्षकों, वन तथा अन्य अधिकारियों को कितने क्षेत्र के भीतर तक वन्य पशुओं का शिकार खेलने के क्या क्या विशेषाधिकार प्राप्त हैं ?

(२) राजस्थान सरकार ने यह अधिकार वन अधिकारियों को ही क्यों दिये हुए हैं तथा इन नियमों के अधीन वन अधिकारियों द्वारा अब तक कितने जानवर मारे गये हैं ? कृपया वन अधिकारियों तथा उस क्षेत्र, जिसमें उन्होंने शिकार खेला है, का नाम बतायें ।

(३) क्या सरकार ने यह निश्चित रूप से जान लिया है कि समस्त वन अधिकारियों ने जिन्हें शिकार खेलने के अधिकार प्राप्त हैं, बन्दूक चलाने की परीक्षा पास करली है तथा उन्हें हथियारों के उचित प्रयोग की जानकारी है ? व उनके पास ऐसे हथियार मौजूद हैं जिनसे बड़े जानवरों का शिकार किया जाता है ?

उप-मंत्री, वन (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) वन विभाग के समस्त राजपत्रित अधिकारियों को शिकार खेलने का अधिकार है ।

(२) क्योंकि यह सरकार के अधिकार में है ।

(३) श्री माथुर ने शिकार किया था ।

श्री जुझारसिंह : इनको कितने जानवरो को मारने का अधिकार है ? वे क्या शिकार कर सकते हैं और किस तादाद में

Page No.26

(श्री जुझारसिंह)

मार सकते हैं ? दूसरा मैंने जो प्रश्न किया था कि जो अधिकारियों को अधिकार दिये गये हैं तो क्या उन्होंने उसका फायदा उठाया है और क्या उनके पास वे हथियार हैं जिनके द्वारा ही शिकार किया जा सकता है ? उनके लाइसेन्स भी उनके पास है या नहीं ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : लाइसेन्स तो है।

श्री जुझारसिंह : मि० माथुर ने जो शिकार किया है वह क्या शिकार किया है और कौन से हथियार से किया है ? क्या वह हथियार उस शिकार को करनेके उपयुक्त था ?

वन मंत्री (श्री भीखाभाई) : उन्होंने बघेरे का शिकार किया है। माथुर जो है वह कन्जरवेटर है और मैं समझता हूं कि उनके पास में, स्वाभाविक रूप से प्रत्येक आदमी पढ़ा–लिखा लाइसेन्स रखता है, उनके पास में भी लाइसेन्स होना चाहिए। लाइसेन्स लिए बिना कोई भी कोई हथियार नहीं रख सकता है।

श्री जुझारसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह नहीं है। ज्यादातर वे १२ बोर का लाइसेन्स लेते हैं और उससे बघेरे वगैरह मारते रहते हैं और वह हथियार बड़े शिकार करने के उपयुक्त नहीं होता है और उसका नतीजा यह होता है कि वे घायल हो जाते है और मेनईटर हो जाते हैं। यह रेकॉर्ड नहीं गया है और लोग-बाग हर जगह अपने दोस्तों को बुलाकर जो कन्सेशन उनको दिया गया है उसका बेजा फायदा उठाते हैं और जगह जगह उनके शिकार का इन्तजाम करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : यह बात ठीक है कि कोई कम मार की बन्दूक से बड़ा शिकार नहीं किया जाता है लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा कोई नियम नहीं है। यह अलग बात है कि उसका नियम बना दिया जाय।

श्री दलपतसिंह (आबू) : वहां वन अधिकारियों को इजाजत देने की क्या जरूरत पड़ती है ?

श्री भीखाभाई : उन्होंने शिकार खेला है मेरे पास रिपोर्ट है कि वह बन्दूक ठीक है।

श्री मतीलक्ष्मी कुमारी चूडांवत (भीम) : सवाल स्पष्ट है कि क्या क्या विशेषाधिकार दिये गये तो वह बतायें कि क्या क्या दिये गये हैं ?

श्री भीखाभाई : यह नियम जो हमारे शिकार के बने हुए हैं उन नियमों में यह है। ये नियम हमारे यहां ही नहीं हैं लेकिन भारत सरकार और दूसरे राज्यों में इस प्रकार के नियम हैं और वे नियम ये हैं– Exempted persons; The following persons shall be treated as exempted and they shall be treated exempted from......

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद) : हमारी राज-भाषा हिन्दी हो गई है और ये अंग्रेजी में बोल रहे हैं।

Page No.27

श्री भीखाभाई : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य से मैं ज्यादा हिन्दी जानता हूँ और बोल सकता हूँ और लिख सकता हूँ और मैं अपने दफ्तर में हिन्दी में ही लिखता हूं इसलिए इनका यह दावा कि वे ज्यादा हिन्दी प्रेमी है वह दावा गलत है।

श्री उपाध्यक्ष : कल संक्षेप में कहें।

श्री भीखाभाई : नियमों में प्रावधान है। इस प्रकार के वन अधिकारियों को जो कि राजपत्रित अधिकारी हैं उनको यह अधिकार दिया गया है और वह इसलिए दिया गया है कि लोगों के अन्दर जो कि गजटेड ऑफिसर्स हैं उनमें जंगल में जाने की प्रवृत्ति क्रियेट हो जाय ताकि जंगल में जानवरों की तलाश करते रहें और वनों की सुरक्षा करते रहें।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : क्या यह सच है कि राजस्थान में ऐसे नियम नहीं है ?

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : मेरा एक साधारण सा सवाल है कि विशेषाधिकार क्या क्या हैं और वे कितने जानवरों को मार सकते हैं और कौन कौन से जानवरों को मार सकते हैं ?

श्री महेन्द्र सिंह (दीगोद) : वन मंत्री को कितने जानवर मारने का अधिकार है ?

श्री भीखाभाई : वन मंत्री को न तो जानवर मारना आता है और न उसने कभी मारे हैं और न उसने बकरे कटवाये हैं। ये सब झूठी बातें हैं।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर !!

श्री गिरधारीलाल व्यास : यह मिलिट्री के हथियार से मारे गये हैं जिस पर कि राजस्थान सरकार की रोक है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : क्या मिनिस्टर महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि उन्होंने किस मैनईटर को देखा है ? क्या टाइगर को ?

एक माननीय सदस्य : वे खुद ही हैं।

श्री उपाध्यक्ष : यह अलग से पूछिये।

श्री जुझारसिंह : क्या मंत्री महोदय को शिकार खेलने का राइट है ?

श्री भीखाभाई : नहीं है इसके अन्दर।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मानिकचन्द सुराणा।

गांव मूंदी (जिला चूरू) के गोलीकाण्ड की जांच

८१. **श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत)** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या गांव मूंदी (जिला चूरू) में चूरू जिला पुलिस द्वारा जून, ६४ में कोई गोलीकाण्ड किया गया ?

Page No.28

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

(२) यदि हां, तो क्या उक्त गोलीकाण्ड में कोई बनबावरी जाति का व्यक्ति मारा गया ?

(३) उक्त गोलीचार्ज करने की आवश्यकता क्यों पड़ी ? विवरण सदन की मेज पर रखें। गोली चार्ज का हुक्म किस अधिकारी ने दिया व क्या उसे हुक्म देने का अधिकार था ?

(४) क्या सरकार ने इस बात की जांच की है कि पुलिस बनबावरियों के पुरुषों को भगाकर जब आगे ले गई तो उनकी स्त्रियों और बच्चों पर अनियन्त्रित भीड़ ने आक्रमण कर दिया और लाचार औरतों को बुरी तरह पीटा गया और उनके गहने व पशुधन को लूट लिया ? क्या उक्त घटना के सम्बन्ध में कोई मुकदमा अब तक दर्ज किया गया है और उससे सम्बन्धित मुलजिमान गिरफ्तार किये गये हैं।

उप-मंत्री, गृह (श्री निरंजन नाथ आचार्य) : (१) जी नहीं, पुलिस द्वारा कोई गोलीकाण्ड नहीं किया गया, यद्यपि डकैती के अपराध के सम्बन्धित कुछ बनवारियों को पकड़ने के प्रयास में बनबावरियों द्वारा पुलिस पर गोली चलाने पर पुलिस ने आत्म रक्षा हेतु अवश्य गोलियां चलाई।

(२) इस मुठभेड़ में एक बनबावरी मारा गया।

(३) दिनांक २२-६-६४ को ग्राम जयपुरा व देवीपुरा के कुछ मवेशी लूटकर ले जाते हुए बनबावरियों को श्री सुरेन्द्र शर्मा उपाधीक्षक, आरक्षी के नेतृत्व में कार्य कर रहे पुलिस दल ने आत्म-समर्पण करने के लिए चेतावनी दी किन्तु उन्होंने इस चेतावनी की अवहेलना की, भागना एवं भागते हुए गोली चलाना प्रारम्भ किया, इसके फलस्वरूप पुलिस को भी आत्म-रक्षा हेतु गोलियां चलानी पड़ीं। ये गोलियां पुलिस ने आत्म-रक्षा हेतु चलाईं। अतः किसी के द्वारा गोली चलाने की आज्ञा देने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

(४) इस विषय की जांच प्रथम श्रेणी दण्डनायक चूरू ने की जिससे ये आरोप सही नहीं पाए गए। ऐसी अवस्था में कोई मुकदमा दर्ज करने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : क्या यह जो गोली चली उसमें एक आदमी जैसा कि आपने कहा कि मारा गया तो क्या इस प्रकार से गोली चलाने से कितनों को चोटें आईं और कितनों के गोलियां लगीं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : एक आदमी जोधा नामक-वह तो मारा गया। दूसरे एक बनबावरी के चोटें आईं जो कि नहीं मरा। एक हेड कॉन्स्टेबल के छर्रे लगे और पुलिस के ५-७ आदमी और आहत हुए।

श्री मुरलीधर व्यास : आप यह कहते हैं कि पुलिस की तरफ से कई आदमी आहत हुए हैं तो क्या आपके पास किसी पुलिस के आदमी के गोली लगी और छर्रे लगे उसकी मेडीकल रिपोर्ट है ?

Page No.29

श्री निरंजननाथ आचार्य : है।

श्री मुरलीधर व्यास : कितने आदमियों की है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : जिनके छर्रे लगे वह एक कॉन्स्टेबल है। उनका भी मेडीकल सर्टीफिकेट है और जो ४-५ आदमी पुलिस की तरफ से घायल हुए हैं उनकी भी मेडीकल रिपोर्ट है और जो आदमी मारा गया है जोधा उसकी भी मेडीकल रिपोर्ट है और जो बनबावरी घायल हुआ है उसकी भी मेडीकल रिपोर्ट है।

(१२ मध्यान्ह)

श्री मुरलीधर व्यास : जैसा कि आपने कहा कि गोली भागने की वजह से मारनी पड़ी, भागते हुओं के बल्लम चले वे किस प्रकार पुलिस के लोगों के लगे ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : जैसा कि मैंने अर्ज किया दण्डनायक, चूरू ने सारी शहादतें लेकर और उनका विश्लेषण करके निर्णय किया। एक जगह ही नहीं नम्बर १, नम्बर २, नम्बर ३ भागते हुए तीन जगह उन्होंने आक्रमण किया और मुठभेड़ हुई। भागते हुए अपराधियों को पुलिस ने कहा 'रुक जाओ, आत्मसमर्पण करो' उसके बाद भयंकर रूप से डराया गया। उसके बाद छर्रेदार बंदूकों और बल्लमों से उन्होंने पुलिस पर आक्रमण किया। इन सारे सर्कम्सटान्सेज़ के आधार पर सेलफ डिफेन्स में पुलिस ने अपराधियों को पकड़ने के लिये फायर किया और यही निर्णय दंडनायक, चूरू ने दिया है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मंत्री जी ने जो जवाब दिया है उसके पार्ट (४) में मैंने यह पूछा है कि क्या उनकी औरतों को उनके गिरफ्तार होने के बाद गांव वालों ने पीटा और उनके पास जो कुछ सामान था वह लूट लिया ? इस बारे में आपने उत्तर नहीं दिया।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं अर्ज कर देता हूं,कि जब डिप्टी सुपरिन्टेन्डेट, मि० शर्मा ने उनका पीछा किया उस समय उनके दिमाग में यह बात आई कि गांव वाले इकट्ठे थे, इसलिये महिलाओं के साथ कोई ऐसी स्थिति न हो जाय। इसलिये उन्होंने वहां पर एक क्षमताशील पुलिस ऑफिसर को रोक दिया ताकि महिलाओं, बच्चों और बूढ़ों के साथ कोई ऐसी स्थिति न हो और न ऐसी स्थिति हुई; क्योंकि प्रोटेक्शन पहले ले लिया था।

श्री मानिकचन्द सुराणा : प्रोटेक्शन पहले ले लिया गया क्योंकि डी वाई. एस. पी. के दिमाग में था कि ऐसा हो सकता है इसलिए उन्होंने बनबावरियों को भागने का मौका दिया, ३ जगह मुठभेड़ हुई बाद में आत्म रक्षा में गोली चलाई जिससे बनबावरी मारा गया। अदालत में मुल्जिम के वकील के रूप में आप इस तरह की दलील दे सकते हैं वह सही हो सकती है लेकिन एक राज्य सरकार जो शिड्यूल ट्राइब्स को प्रोटेक्ट करने की बात करती है जब आप यह एडमिट करते हैं कि किसी मजिस्ट्रेट ने गोली चलाने का हुक्म नहीं दिया और पुलिस ने आत्म-रक्षा में गोली चलाई वहां पर जो बनबावरी रहते हैं उससे आप मिलें तो पता

Page No.30

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

चलेगा कि वे ऐसे नहीं हैं, उनकी हैसियत ऐसी नहीं है कि वे पुलिस पर गोली चला दें। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह प्रश्न कोई प्रश्न पूछने के लिए नहीं है बल्कि यह प्रश्न आपके द्वारा जांच कराने के लिये है। मुख्य मन्त्रीजी रोज कहते हैं कि मेरे शासन-काल में कोई गोली नहीं चलाई गई, मैं कहता हूं कि बिना मैजिस्ट्रेट के हुक्म के पुलिसवाले गोली चलाकर किसी को मार डालें और उसकी जांच करा कर मंत्रीजी जो कुछ कह रहे हैं और जो तथ्य उन्होंने सदन के सामने रखे हैं वे बिल्कुल झूठे और गलत हैं। तथ्य यह है कि जिस रिपोर्ट से मंत्रीजी कह रहे हैं सदन में, वे तथ्य गलत हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आप इनीशियल चीज को ही चैलेन्ज करते हैं, मैं झूठा हूं।

श्री मुरलीधर व्यास : आप बिल्कुल झूठे हैं।

(शोरगुल)

आप इसकी जांच करा लें। इनका स्टेटमेन्ट कितना नंबर १ झूठा है। जांच से अगर यह साबित हो जाय कि इनका स्टेटमेन्ट झूठा है तो वे त्याग-पत्र दें, नहीं तो मैं त्यागपत्र दूंगा। ये मंत्री इसलिए नहीं है कि लोगों पर गोली चलावें और ५ आदमियों को घायल करें और यहां गलत स्टेटमेंट दें...

(शोरगुल)

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): व्यवस्था का सवाल है। कल से उपाध्यक्ष महोदय, एक बात देखने में आ रही है झूठ शब्द का प्रयोग बहुत जोर से शुरू हो गया है। इस शब्द से चाहे ऊधर से हो या चाहे इधर से हो, गर्मी पैदा होती है। आपको इससे सदन को बचाना जरूरी है। यह अनपार्लियामेन्टरी है....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं सीख के लिये कहता हूं।

श्री मुरलीधर व्यास : यह आप दूसरों को सिखावें; झूठे को झूठा ही कहा जायगा। एक और एक मिल कर दो ही होंगे चार नहीं होंगे...

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! यह मैं कल और निवेदन कर चुका हूं कि जहां तक हो सके हमारे सदन में ऐसी भाषा का प्रयोग हो जिससे किसी को विशेष आघात नहीं पहुंचे और शब्द इस प्रकार के हों कि जिनसे अपना आशय भी व्यक्त कर दें और किसी पर आघात भी न हो। यह मैं कह चुका हूं अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है कि कौनसा शब्द कहां पर प्रयोग किया जाय।

प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): माननीय मंत्रीजी को श्री मुरलीधर ने झूठा बताया और मुरलीधरजी को मंत्रीजी ने

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

झूठा बताया; एक निर्णय हो जाय कि झूठा कौन है ? मुख्य मंत्रीजी इसकी जांच करावें; इस शब्द का प्रयोग तभी बंद होगा। इसकी जांच करने के लिये मुख्य मंत्रीजी एक कमेटी बनावें....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज़ !

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : वर्ना यह यह शब्द बन्द नहीं होगा। माननीय ज्वाला प्रसादजी जो कह रहे हैं उसका उपयोग कभी बंद नहीं होगा। हम झूठ को झूठा कहेंगे। मुख्य मंत्रीजी जाँच करावें कि क्या झूठ है, क्या नहीं, तभी शान्ति होगी।

श्री मुरलीधर व्यास : झूठ और सत्य की बात जाने दीजिये। यदि आप कहते हैं कि झूठ शब्द का उपयोग न करें, हम मानवीय दृष्टिकोण से कहना चाहते हैं, मैं सच कहना चाहता हूं गोली से ५ वनबावरियों के चोटें लगी हैं,उनमें से मरा एक है, निशान मौजूद हैं। जिनके गोलियां लगीं वे जेल में बंद हैं, उनकी औरतें और बच्चे इधर उधर भटकते हैं, कोई उनका पालन-पोषण करने वाला नहीं है, स्थिति खराब है। इस मुद्दे पर गोली चलाई, न चलाई यह अलग सवाल है, मगर पुलिस अधिकारियों ने गोलीं चलाई और ५ के चोटें लगीं, एक मरा है यह अमानवीय कार्य हुआ है। ऐसी कोई परिस्थिति वहां नहीं थी जिसके कारण सरकार गोली चलावे और लोगों को मारे। यह कान्ड बुरा हुआ है हमारे राज्य के लिये, मुख्य मंत्रीजी के लिये और मंत्रीजी जो बोल रहे हैं उनका कलंकित करने वाला है। यदि मंत्रीजी कहते हैं वह गलत नहीं है तो इन लोगों पर जो गोलियां मारी गई हैं वे उनके सीने पर नहीं लगी हैं। मुठभेड़ करते तो गोली सीने पर लगती, मुकाबला करके वे नहीं मरे हैं....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज़ !

श्री मुरलीधर व्यास : इसलिये मैं यह जानना चाहता हूं कि मुख्य मंत्रीजी इस मुद्दे पर क्या कहना चाहते हैं। ये मंत्रीजी जो कह रहे हैं उन पर हमें विश्वास नहीं रहा....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज़ ! प्रश्नों का समय समाप्त हुआ। अब हमारे सामने एडजोर्नमेन्ड मोशन है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : सदन में प्रश्नों का समय समाप्त हो न हो, लेकिन यदि वनबावरियों की हत्या करते हैं और सरकार जवाब देना नहीं चाहती है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : सरकार ने जवाब दिया है, मजिस्ट्रेट ने फैसला दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : यदि जवाब संतोषप्रद नहीं है तो डिस्कशन रेज़ करने के और भी प्रावधान हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह लगातार चल रहा है। मंत्री महोदय की आदत है। मैं चैलेन्ज करके कहता हूँ कि २५ प्रश्न के

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

गलत जवाब दिये हैं। इन्क्वायरी करा लीजिये। इन्होंने हाउस को मिस्लीड किया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं चैलेन्ज करता हूं, इसकी जांच हो। मुख्य मंत्रीजी क्यों चुप बैठे है। यह रात दिन का धन्धा हो गया है...

श्री निरंजननाथ आचार्य : ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर...

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह रात-दिन का धन्धा हो गया है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर.......

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : ये सप्लीमेन्ट्रीज का जवाब नहीं देते........

श्री निरंजननाथ आचार्य : ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : और जवाब देते हैं तो गलत देते हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर......

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : हम यह बात सहन नहीं कर सकते।

श्री निरंजननाथ आचार्य : ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर.......

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह सहन नहीं किया जायगा।

श्री निरंजननाथ आचार्य ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर........

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : कम से कम मैं कहता हूं कि मुख्य मंत्रीजी इसमें इन्क्वायरी करायें।

श्री निरंजननाथ आचार्य : ओन ए पोइन्ट ऑफ प्रिवलेज, सर........

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : जितने रिप्लाई होते हैं वे सब इस प्रकार के होते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज़ ! इस प्रकार नियंत्रण नहीं हो सकता है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह मामला विवादास्पद है। मैं आपके द्वारा मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रश्न पर उस मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट और जो भी पुलिस ने सरकार को रिपोर्ट दी है, उनको इस सदन की मेज पर रखवाया जाय, जिससे उनकी असलियत मालूम हो जाय और यह भी मालूम हो जाय कि किस किस किस्म की इन्क्वायरी कराई गई है और कितनी एवीडेंसेज़ रेकॉर्ड की गई हैं और किन एवीडेंसेज़ के आधार पर यह तथ्य प्रगट किया है कि सेल्फ डिफेन्स के अन्दर इस रूप में फाइरिंग किया ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट चाहूंगा, जिससे इस प्रश्न का स्पष्टीकरण भी हो जायगा और

Page No.33

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

सब शंकाओं का समाधान भी हो जायेगा। माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है वह तथ्यपूर्ण है और अहमियत वाला है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि इन मजिस्ट्रेट साहब ने जो इन्क्वायरी की उसमें तीन तरह की शहादतें ली गई थीं....

श्री भैरोंसिंह : ज्यादा अच्छा हो, आप उस रिपोर्ट को सदन की मेज पर रख दें।

श्री मानिकचन्द सुराणा : उपाध्यक्ष महोदय, इस रिपोर्ट को सदन की मेज पर रखवा दिया जाय।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं उस डॉक्युमेंट के आधार पर ही कह रहा हूं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : ताकि हम उसके आधार पर हाफ एन आवर डिस्कशन की मांग कर सकें।

श्री निरंजननाथ आचार्य : इसमें तीन बावरियों की शहादतें ली गई ; जो जेल में हैं उनका बयान लिया गया, और लोगों के बयान लिये गये, पुलिस वालों के बयान लिये गये। इसमें तीन इश्यूज़ को एग्ज़ामिन किया गया है। पहला, सेल्फ डिफेन्स प्रोपर हुआ है। दूसरे, सेल्फ डिफेन्स प्रोपर होने से बढ़ तो नहीं गया है और सेल्फ डिफेन्स के राइट को एक्सर्साइज़ करना जरूरी था या नहीं। इन तीनों तथ्यों पर बहुत बड़ा जजमेंट मजिस्ट्रेट साहब ने दिया है और जो कई गवाहान उनके सामने पेश हुए हैं उनकी एवीडेंसेज़ के आधार पर इन तीनों इश्यूज़ पर निर्णय लिया गया है। ऐसी सूरत में यह कहना गलत है कि कई बावरिये घायल हुए हैं। जैसा कि मैंने कहा, इसमें बावरियों की शहादत मौजूद है और उनमें से ऐसा किसी ने अपनी एवीडेंस में नहीं बताया। यह डॉक्यूमेंट परिपूर्ण है और कम्प्लीट है। इसकी पूरी पब्लिसिटी करके, पूरा विज्ञापन दे कर तीनों तरह की शहादतों को बुला कर....

श्री मानिकचन्द सुराणा : इसको आप सदन की मेज पर रखिये।

श्री निरंजननाथ आचार्य : बावरियों को एग्ज़ामिन किया है, लोगों को एग्ज़ामिन किया है...

श्री मानिकचन्द सुराणा : उपाध्यक्ष महोदय, इस डॉक्यूमेंट को सदन की मेज पर रखवाइये।

श्री निरंजननाथ आचार्य : उनकी बुनियादी पर तीनों इश्यूज़ के ऊपर फाइडिंग्ज़ दी हैं। सेल्फ डिफेन्स पर कहा है कि उस राइट को एक्सीड नहीं किया गया है। और जितना जरूरी था उतना किया गया है। बावरिये भाग रहे थे, वे जानवर लेकर भाग रहे थे। उनको कई बार कहा गया और बावरियों ने एक बार नहीं तीन बार हमला किया। बावरियों ने हमला किया। ऐसी स्थिति में मेरा विश्वास है कि यह प्रश्न तय हो चुका है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आप पेश कर दीजिये ।

श्री मुरलीधर व्यास : आपने एक बावरिये के मरने की बात कही है। मैं कहता हूं कि दो बावरिये मरे हैं। मैं इस बात को प्रमाणित करूंगा कि आप कितना झूठ बोलते हैं ! आप लोगों को मार कर झूठ बोल सकते हैं । मैं दावा करता हूं कि तुम्हारी गोली से दो मरे हैं । मैं प्रमाणित करके बताऊंगा ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : न मेरा दावा है, न आपका दावा है; मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट के बाद में दावे खत्म हो चुके हैं ।

श्री मुरलीधर व्यास : दो मरे हैं, इसको मैं साबित कर दूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री भैरोंसिंह : ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर...

श्री उपाध्यक्ष : पोइन्ट ऑफ ऑर्डर है । ऑर्डर प्लीज !

श्री भैरोंसिंह : मैं सदन की प्रक्रिया नियमावली के अनुसार निवेदन करता हूं कि जब कोई सदस्य किसी डॉक्यूमेंट को रेफर करता है तो यह लाजमी है कि उस डॉक्यूमेंट को सदन की मेज पर प्रस्तुत करे । मैंने माननीय मंत्रीजी से निवेदन किया, लेकिन उन्होंने डॉक्यूमेंट पेश नहीं किया । लेकिन उसके, उस डॉक्यूमेंट के, जितने कन्टेन्ट्स थे, उन सारे के सारे कन्टेन्ट्स का इस हाउस में उल्लेख किया है । ऐसी स्थिति में वे सारे कन्टेन्ट्स सही हैं या नहीं, इस पर इस सदन के सदस्य अपनी राय व्यक्त नहीं कर सकते हैं । इसलिए मैं आपसे इस सम्बन्ध में रूलिंग चाहूंगा, और ऐसी रूलिंग पहले भी हुई हैं, डॉक्यूमेंट रेफर करने के प्रश्न पर मेरे से भी कई डॉक्यूमेंट रखवाये गये हैं।···

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : मुझसे भी रखवाये गये हैं ।

श्री भैरोंसिंह : और बाकी के सदस्यों से भी डॉक्यूमेंट रखवाये गये हैं । वह रूलिंग अगर ऑपोज़ीशन के सदस्यों पर भी लागू होती हो और वे कोई डॉक्यूमेंट रेफर करें तो उन्हें सदन की मेज पर रखना पड़ेगा और सरकारी बेंचेज से कोई डॉक्यूमेंट रेफर किया जाय तो उसको सदन की मेज पर नहीं रखा जायगा-ऐसी रूलिंग हो तो बात दूसरी है; मैं उसके खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं करता हूं। लेकिन मैं समझता हूं कि चेअर की रूलिंग के अन्तर्गत इस प्रकार की कोई भावना नहीं निकल सकती । इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो डॉक्यूमेंट रेफर किया गया है उसको इस सदन की मेज पर रखना चाहिए ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने डॉक्यूमेंट को पढ़ा है, इसमें कोई शक नहीं है । मैंने डॉक्यूमेंट को एनेलेटिक ढंग से देखा है, यहां तक भी ठीक है । मैं आपकी भावनाओं की कद्र करता हूं और मैंने जैसा कहा इसमें शक नहीं होना चाहिए । अब यह डॉक्यूमेंट में है या नहीं, उसको देखा गया है या नहीं और यही नहीं,

Page No.35

श्री निरंजननाथ आचार्य)

जो मैंने एक्स्प्लेनेशन दिया है वह उसकी बुनियाद पर है या नहीं—इसको देखने के लिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके रेफरेन्स के लिए मैं डॉक्यूमेंट रख देना चाहता हूं।

(शोरगुल व व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज़ !

श्री निरंजननाथ आचार्य : आप इसको टेली करके देख लें, जो कुछ भी मैंने कहा है...

श्री मानिकचन्द सुराणा : उपाध्यक्ष महोदय के रेफरेन्स का प्रश्न नहीं है; सदन के रेफरेन्स का प्रश्न है, सदन के सदस्यों के रेफरेन्स का प्रश्न है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : उससे वह टेली करता है या नहीं, यह देख लें। वह डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है, एग्ज़िस्टेन्स में है। इसके बाद में कोई दूसरा प्रश्न पैदा नहीं होता है, इसके बाद आपके पास में प्रोसीजरल वे है। वह इन्क्वायरी कमरे में बैठकर हुई नहीं है, You can have the copy from the Magistrate; उसके आप रिविज़न में जा सकते हैं, उसको आप चैलेंज कर सकते हैं। इसलिये जहां तक स्पीकर साहब के सेटिस्फेक्शन का सवाल है, मैं उसे रख देना चाहता हूं। अगर आपको चाहिये तो आप उसकी कॉपी ले लीजिये। उसके बाद में चाहें तो रिविज़न में जाइये, उसको चेलेन्ज करिये, रिव्यू करा लीजिये, रिविज़न करा लीजिये। यह कोई प्रिविलेज्ड डॉक्यूमेंट नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा अफसोस है, माननीय उप-मंत्री ने कहा कि यह प्रिविलेज्ड डॉक्यूमेंट नहीं है इसकी सर्टीफाइड कॉपी ली जा सकती है। जब यह प्रिविलेज्ड डॉक्यूकेट नहीं है और इसकी कॉपी ली जा सकती है तो इसमें आप क्यों गुरेज करते हैं कि इसको सदन के सदस्यों के रेफरेन्स के लिए नहीं रखा जाय ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : I place it on the Table of the House.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : बकरी दूध देगी, लेकिन मेंगणी गिरा करके देगी।

श्री मानिकचन्द सुराणा : ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर....

श्री निरंजननाथ आचार्य : मेंगणी आपके मुंह में न आ जावे।

श्री मानिकचन्द सुराणा : वह यह है कि जो जुडिशियल फाइंडिंग की, मजिस्ट्रेट महोदय ने रिपोर्ट दी है तो जो इन्क्वायरी हुई, उसमें इन बावरियों की तरफ से कोई वकील था ? क्या बनवाबरियों की तरफ से राज्य सरकार ने किसी वकील का इन्तजाम किया था ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : इसका सवाल नहीं उठता। जब डॉक्यूमेंट को सदन की मेज पर रख दिया है तो क्या था, क्या नहीं था; इसका प्रश्न नहीं उठता।

श्री मानिकचन्द सुराणा : 'क्या क्या' का प्रश्न नहीं है :

श्री निरंजननाथ आचार्य : I have placed the copy on the Table of the House, The matter ends now.

श्री मानिकचन्द सुराणा : The matter does not end.

यह गलतफहमी रहती है ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : It ends now.

श्री मानिकचन्द सुराणा : It does not end, it begins; यह सारा इसमें है ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : इसमें वकील का सवाल नहीं था बावरियों को राज्य सरकार की तरफ से देने का ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आपकी पुलिस और मजिस्ट्रेट मिले हुए हैं चूरु के अन्दर, यहां तक कि सुपरिंटेंडेंट पुलिस भी मिले हुए हैं ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अन्डर प्रोसीजर जो कुछ भी उपयुक्त था वह हुआ है ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज को लीगल एड न देकर तमाम फाइंडिंग कराई गई हैं, उसका कोई अर्थ नहीं है......

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री निरंजननाथ आचार्य : फिर वह मैं नहीं रखूंगा ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : हम कह रहे हैं कि उनको लीगल एड नहीं दी गई है ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आपके कहने से क्या होता है ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपकी अपील नीति है इन लोगों को ऊंचा उठाने की । आप वनबावरियों के उत्थान की छाती कूटते हैं, हरिजन उत्थान की छाती कूटते हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : इतना क्या हो गया, उपाध्यक्ष महोदय "छाती कूटना" क्या शब्द है ?

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

प्रश्न समाप्त हुए ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तरों के लिए कृपया परिशिष्ट देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

रायला के औषधालय में वैद्य की नियुक्ति

६०. **श्री उमरावसिंह ढाबरिया** (बनेड़ा) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि रायला, पंचायत समिति बनेड़ा के औषधालय के वैद्य ५ साल से रायला में ही हैं ?

(२) क्या यह सही है कि वे रायला के ही रहने वाले हैं ? यदि हां, तो क्या उनकी रायला में नियुक्ति नियमानुकूल है ?

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

(३) क्या यह सही है कि इनके विरुद्ध जनता ने कई बार शिकायतें की हैं और उनका स्थानान्तरण कई बार हुआ है और क्या यह भी सही है कि उनका स्थानान्तरण मई व जून, १९६३ में भी हुआ था ? यदि हां, तो उनके स्थानान्तरण के आदेशों का पालन क्यों नहीं होता और उनका स्थानान्तरण कुल कितनी बार हुआ है ?

(४) क्या यह भी सही है कि इनके संबंध में मंत्री महोदय द्वारा दिये गये आदेश का पालन भी विभागीय संचालक ने नहीं किया ?

(५) क्या सरकार अब भी उक्त वैद्य का स्थानान्तरण करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(१) जी नहीं।

(२) वर्तमान में वैद्य श्री जगदीश चन्द्रजी जून ६४ से रायला में काम कर रहे है और वे विजयनगर के निवासी हैं। शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(३) जी नहीं।

(४) जी नहीं।

(५) जी नहीं।

सेन्ट्रल जेल अजमेर में केयर–टेकर के पद पर नियुक्ति

६२ श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह-नगर) : क्या मंत्री कारावास विभाग यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) क्या यह सही है कि कमला रानी केयरटेकर फीमेल सेन्ट्रल जेल, जयपुर ने पंजाब युनिवर्सिटी का मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट देकर १९६१–६२ में अजमेर जेल पर एम्लॉयमेंट एक्सचेन्ज की मारफत केयर टेकर की नौकरी प्राप्त की ?

(२) क्या यह सही है कि आई. जी. प्रिजन्स द्वारा ओरिजिनल सर्टिफिकेट मांगने पर कमला रानी ने नहीं दिया और इस प्रकार शक होने पर यूनिवर्सिटी को लिखा गया तथा सर्टिफिकेट जाली पाया गया ?

(३) यदि हां, तो कमला रानी के विरुद्ध आज तक क्या कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

(१) हां, हाई स्कूल के सर्टिफिकेट के अलावा अन्य योग्यता सम्बन्धी प्रमाण-पत्र दिखाकर ही एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, अजमेर द्वारा श्रीमती कमला रानी ने केयरटेकर की नौकरी प्राप्त की।

(२) हां, सर्टिफिकेट मांगे जाने पर श्रीमती कमलारानी ने राजपूताना यूनिवर्सिटी से इंग्लिश में हाई स्कूल पास करने का सर्टिफिकेट, हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की (साहित्य रत्न) परीक्षा का प्रमाण-पत्र, और प्राइमरी टीचर्स सर्टिफिकेट परीक्षा का डोमेस्टिक सांइस के प्रमाण–पत्र आदि जो उनके पास मौजूद थे पेश किये, जो जेल

Page No.38

(श्री कारावास मंत्री)

विभाग की महकमाना आवश्यक योग्यता के अनुसार पर्याप्त थे।

(३) क्योंकि केयरटेकर के पद के लिए जिन शैक्षणिक योग्यताओं की आवश्यकता थी वे सब उनमें नियुक्ति के समय से पूर्व की ही मौजूद थीं। अतएव श्रीमती कमलारानी के विरुद्ध किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

घास की नीलामी

९७. श्री भगराज चौधरी (रानीवाड़ा): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या यह सही है कि तहसील पिंडवाड़ा जिला सिरोही में जुलाई १९६३ में घास नीलाम किया गया था?

(२) यदि हां, तो इस नीलाम की बोली किस व्यक्ति के नाम स्वीकार की गई, किस तारीख को व किस दर पर?

(३) क्या यह सही है कि वहां की अकाल पीड़ित जनता ने बहुत से तार व चिट्ठियों द्वारा सम्बन्धित अधिकारियों को इस नीलाम को रुकवाने के लिये कोशिश की?

(४) क्या ठेकेदार को आदेश दिया गया कि वह घास नहीं बेचे? अगर हां, तो किस तारीख को?

(५) क्या यह सही है कि उक्त ठेकेदार ने रुपये जमा कराने से पहले ही घास बेचना शुरू कर दिया जो कि नियम विरुद्ध है?

(६) ठेकेदार ने इस तरह गैर कानूनी तरीके से कितना घास बेचा?

(७) इस गैर कानूनी कार्यवाही करने के लिये ठेकेदार के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? क्या उस ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है?

(८) स्थानीय वन विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) श्री युसुफुदीन ठेकेदार के नाम दिनांक २३-७-६३ को निम्न प्रकार स्वीकृति दी गई: १९५८-५९ के एकत्रित किये हुये घास की २२००) रुपये में १९५९-६० के एकत्रित किये हुये घास की २००१) रु० में।

(३) जी नहीं। नीलाम को रुकवाने के लिये जनता द्वारा कोई तार व चिट्ठी इस विभाग को दिया जाना मालूम नहीं पड़ता।

(४) जी हां। दिनांक २४-७-१९६३ को।

(५) जी हां। ठेकेदार ने नियमानुसार अरनेस्ट मनी व चोथान जमा कराई थी किन्तु ठेके की पूरी रकम जमा कराने से पूर्व ही उसने घास बेचना शुरु कर दिया जो नियम विरुद्ध था।

(६) ठेकेदार ने कुछ घास कृषकों तथा अन्य लोगों को गैर कानूनी तरीके से बेचा।

(७) ठेकेदार की डिपोज़िट तथा मौके पर रोका हुआ घास अन्दाजन ८००० मन जब्त कर लिये गये है और ५००)रु. जुर्माना किया गया है। उसे ब्लेकलिस्ट करने की कार्यवाही भी चालू है।

(८) यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

कामां--पहाड़ी ड्रेनेज स्कीम

६६. श्री रामकिशन (वैर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) सरकार की कामां-पहाड़ी ड्रेनेज स्कीम कितने रुपये की है ? अब तक कितना रुपया खर्च हो चुका है और कितना काम हो चुका है ?

(२) यह स्कीम कब तक पूरी हो जायगी ?

उत्तर

(१) कामां पहाड़ी योजना की अनुमानित लागत ३१.८६ लाख रुपया है । इस योजना पर अब तक ६.५० लाख रुपया व्यय हो चुका है तथा ५० प्रतिशत खुदाई का कार्य पूर्ण हो चुका है ।

(२) इस योजना के सन् १९६५-६६ के वित्तीय वर्ष में पूर्ण होने की आशा है ।

गंगापुर पंचायत समिति के प्रधान के विरुद्ध अनियमितताओं के मामले

७४. वैद्य श्री गोविन्दसहाय (गंगापुर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि गंगापुर पंचायत समिति के प्रधान के विरुद्ध गंगापुर पंचायत समिति के उप-प्रधान ने पंचायत समिति के कार्यों में अनियमितता तथा सब-कमेटी के चुनावों में फोर्जरी करने की शिकायत मंत्री महोदय को जांच कराने के लिये मार्च, ६२ में की थी ? यदि हां, तो उसकी जांच अभी तक क्यों नहीं कराई गई है ?

उत्तर

(१) जी हां । शिकायती आवेदन-पत्र माह अप्रेल, सन् १९६२ में प्राप्त हुआ था और उसकी जांच हो चुकी है ।

पंचायत भवन, कुरावड़

७५. श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे-

(१) क्या यह सही है कि पंचायत भवन कुरावड का शिलान्यास किसी डिप्टी मिनिस्टर द्वारा किया गया था ?

(२) क्या यह सही है कि उसी भवन के निर्माण हेतु २०००) रु० विकास खण्ड गिरवा से कुरावड़ सरपंच को दिया गया है जो कि पंचायत की रोकड़ में अब तक भी जमा नहीं हुआ है ?

(३) क्या यह भी सही है कि २०००) रु० की रकम लेने के पश्चात् अब तक भी पंचायत भवन में कोई कार्य नहीं हुआ है ?

(४) क्या सरकार सम्बन्धित व्यक्तियों के खिलाफ कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(१) जी नहीं ।

Page No.40

(पंचायत मंत्री)

(२) जी हां।

(३) जी नहीं।

(४) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

सहकारी समितियों की सदस्यता सम्बन्धी निदेश

७६. श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली) : क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार व असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार को क्या कोई इस प्रकार के इन्सट्रक्शन्स दिये गये हैं कि अमुक जाति के लोगों को सहकारी समितियों के सदस्य बनाओ और अमुक जाति के लोगों को सदस्य नहीं बनाओ ?

(२) यदि हां, तो कौन-कौन सी जातियों के बारे में इस प्रकार के इन्सट्रक्शन्स हैं ?

(३) यदि नहीं, तो क्या सरकार उन गवर्नमेन्ट ऑफिसरों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी जो ऐसा कर रहे हैं ?

उत्तर

(१) अधिकारियों को इस प्रकार का कोई निर्देश नहीं दिया गया है।

(२) कोई प्रश्न नहीं उठता।

(३) कोई प्रश्न नहीं उठता।

(१२.१६ म० प०)

राजस्थान नहर के मजदूरों की हड़ताल विषयक शासकीय वक्तव्य

श्री उपाध्यक्ष : राजस्थान नहर के मजदूरों की हड़ताल के विषय में सम्बन्धित मंत्री इसका उल्लेख करेंगे।

कुछ माननीय सदस्य : वक्तव्य देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : वक्तव्य देंगे।

श्री नाथूराम मिर्धा (सिंचाई मंत्री) : श्री उपाध्यक्ष, श्री मुरलीधर व्यास ने एक स्थगन-प्रस्ताव की सूचना सदन को दी कि राजस्थान नहर के करीब २ हजार कर्मचारी हड़ताल पर हैं। इसको रखने के बाद मुझे चेयर की तरफ से आज्ञा दी गई कि मैं जानकारी के रूप में अपनी बात सदन के सामने रखूं। वह जानकारी मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं।

राजस्थान नहर परियोजना के यांत्रिक खण्डों में काम करने वाले लगभग ६५३ मजदूर २२ फरवरी, १९६५ से हड़ताल पर हैं। चौकीदार और कुछ टाइम कीपर्स बदस्तूर कार्य कर रहे हैं। हड़ताली मजदूरों के प्रतिनिधियों ने अभी कोई मांगें सरकार के समक्ष प्रस्तुत नहीं की हैं और न वे कार्य पर ही आ रहे हैं। सरकार की ओर से अधिष्ठानों (इन्स्टालेशन्स) की सुरक्षा का प्रबन्ध कर दिया गया है।

पूर्व में मजदूरों द्वारा निम्नांकित १४ मांगें प्रस्तुत की गई थीं :—

Page No.41

((श्री नाथूराम मिर्धा)

(१) केजुअल लीव (आकस्मिक छुट्टियां) १५ दिनों की फिर दी जावें।

(२) २० प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जावे।

(३) २० प्रतिशत प्रोजेक्ट अलाउन्स दिया जावे।

(४) २ साल के बाद स्थाई (रेगुलर परमानेन्ट) किया जावे।

(५) प्राथमिक चिकित्सा का अविलम्ब प्रबन्ध किया जावे।

(६) मनोरंजन की उचित व्यवस्था की जावे।

(७) साइट पर रहने की उचित व्यवस्था की जावे।

(८) रहने के स्थान पर पानी, सफाई, प्रकाश आदि का प्रबन्ध किया जावे।

(९) पद-वृद्धियां (प्रोमोशन्स) सेवाकाल एवं योग्यता के आधार पर दी जावें।

(१०) अनुचित एवं पक्षपातपूर्ण पद वृद्धियां समाप्त की जावें।

(११) चौकीदारों का वेतन बढ़ाया जावे और २४ घण्टे ड्यूटी न ली जावे।

(१२) साल में दो युनिफॉर्म दी जावें।

(१३) वर्कशॉप से (साइट से मशीन लेकर) आने वाले मजदूरों के रहने की उचित व्यवस्था की जावे।

(१४) साइट पर डाक की उचित व्यवस्था की जावे।

उपरोक्त मांगों को दिनांक २६.८.६४ को एक मीटिंग में जिसमें कि मजदूरों के प्रतिनिधि, श्रमविभाग के अधिकारी तथा विभागीय अधिकारीगण भी उपस्थित थे, स्वीकार कर लिया गया था। इन मांगों की पूर्ति संबंधी कार्यवाही की वर्तमान स्थिति निम्न प्रकार से है :

मांग नं० १ :

आकस्मिक तथा उपार्जित अवकाश सभी मजदूरों को दिया जा रहा है।

मांग नं० २ :

महंगाई भत्ते में जो वृद्धि रेगुलर स्टाफ की हुई है वह इन कर्मचारियों को भी जनवरी, १९६५ से बराबर दी जा रही है। पुराने एरियर्स के बिल बनाये जाकर उनका भी भुगतान किया जा रहा है।

मांग नं० ३ :

सभी मजदूरों का नई ग्रेडों में फिक्सेशन किया जा रहा है। कुछ मजदूरों को जिनके ग्रेड के विषय में दुबारा आपत्ति उठाई जाने के कारण सरकार से, उनके ग्रेडों की नयी मंजूरी चाही गई थी,

Page No.42

(श्री नाथूराम मिर्धा)

वह मंजूरी अब प्राप्त हो गई है और उसके अनुसार ग्रेड देने के आदेश दे दिये गये हैं और ये ग्रेड शीघ्र ही अमल में आ जायेंगे। २० प्रतिशत प्रोजेक्ट अलाउन्स वेतन में शामिल है और नये ग्रेड जो तय किये गये हैं वह इस अलाउन्स को शामिल करते हुये गये हैं, मजदूरों की स्थायी व अर्द्ध स्थायी करने की कार्यवाही की जा रही है। उनके पुराने कागजों को देखने और जांच करने की आवश्यकता के कारण इसमें कुछ समय लग रहा है जो अनिवार्य है। किन्तु स्थायी और अर्द्धस्थायी होने पर जो सुविधाएं उपलब्ध होती हैं वे सभी सुविधायें इन मजदूरों को दी जा रही हैं।

मांग नं० ५

प्राथमिक चिकित्सा का प्रबन्ध कर दिया गया है। प्राथमिक चिकित्सा के बोक्स जगह जगह रखवा दिये गये हैं तथा डाक्टर मजदूरों की देख-रेख करते हैं।

मांग नं० ६ :

मनोरंजन के सम्बन्ध में भी उचित व्यवस्था कर दी गई है। रेडियो, केरम बोर्ड, बालीबाल, आदि आवश्यकतानुसार कैम्पों में रखवा दिये गये हैं।

मांग नं० ७ :

साइट पर रहने की उचित व्यवस्था की जाती है। इस कठिनाई के लिये विशेष तौर से अस्थायी शेड मंगाये गये हैं, जिनमें से कुछ साइट पर पहुंच गये हैं शेष आ रहे हैं। प्रोजेक्ट का कार्य होने के कारण कुछ कठिनाइयां अवश्यम्भावी हैं फिर भी उनको हर प्रयत्न द्वारा दूर करने का प्रयत्न किया जाता है।

मांग नं० ८ :

इस सम्बन्ध में हर संभव व्यवस्था की गई है। तथा जहां कोई विशेष कठिनाई होती है, उसका इन्तजाम उपलब्ध साधनों से ज्यादा से ज्यादा कर दिया जाता है।

मांग नं० ९ :

पद वृद्धियाँ सेवाकाल एवं योग्यता के आधार पर की जाती हैं। अलग अलग पदों पर नियुक्तियां अलग अलग योग्यता के अनुसार की जाती हैं।

मांग नं० १० :

अनुचित एवं पक्षपात पूर्ण पदवृद्धियां नहीं की जाती हैं। इस संबन्ध में जो भी शिकायतें आदि आती हैं उनकी सही जांच की जाती है।

मांग नं० ११ :

चौकीदारों का वेतन भी और लोगों के वेतन के साथ बढ़ाया गया है चौकीदारों से २४ घण्टे की ड्यूटी न ली जाने के सम्बन्ध में आदेश जारी कर दिये गये हैं और उन पर कार्यवाही भी शुरू हो गई है।

Page No.43

(श्री नाथूराम मिर्धा)

मांग नं० १२ :

मजदूरों को इस वर्ष में एक यूनिफॉर्म दी जा चुकी है। दूसरी यूनिफॉर्म के लिये ऑर्डर दिया जा चुका है जो शीघ्र ही मिलने वाला है ।

मांग नं० १३ :

वर्कशाप में साइट से आने वाले मजदूरों के आवास की व्यवस्था के सम्बन्ध में रेस्ट हाउस (विश्राम गृह) बनाने की स्वीकृति दी जा चुकी है । उनका निर्माण कार्य शुरू किया जा रहा है।

मांग नं० १४ :

साइट पर डाक वितरण की व्यवस्था कर दी गई है । सहायक अभियंता और दूसरे अधिकारी साइट पर मजदूरों की डाक स्वयं ले जाते हैं और वितरित करते हैं। कई स्थानों पर विभागीय डाकिये भी रख दिये गये हैं।

उपरोक्त विवरण से प्रतीत होगा कि मजदूरों की मांगें पूरी की जा चुकी हैं, अथवा उनको पूरा किये जाने की कार्यवाही बराबर की जा रही है । सभी मजदूरों के फिक्सेशन सर्विस रेकॉर्ड पूरा करने आदि ऐसे कार्य हैं जिनमें समय लगना अवश्यम्भावी है। इस संवन्ध में यह बताना उचित होगा कि अभी तक मुख्य अभियन्ता के कार्यालय में आज तक यूनियन की ओर से एक भी ऐतराज या विशेष व्यक्ति के बारे में कोई भी पत्र नहीं आया है। हर बार इस तरह के आम पत्र आ जाते हैं जिस पर कोई विशेष कार्यवाही करना असम्भव है। राजस्थान नहर का रक़बा कठिन है और वहां के काम करने या रहने में जो असुविधायें आती हैं वे वहां के जीवन का एक अंग हैं । शहर का वातावरण व व्यवस्था वहां होनी असंभव है और इन सब बातों को ध्यान में रखते हुये ही वेतन श्रंखला को बढ़ाया गया है और उसी में प्रोटेक्ट अलाउन्स का तथ्य शामिल किया गया है । वहां कार्य करने वाले कर्मचारियों का ऐसी असुविधाओं में जीवन बिताना वहां पर की सेवाओं का एक अंग है और अन्य स्थानों से कहीं अधिक वेतन दिया जा रहा है वह विशेषकर इन असुविधाओं के कारण ही दिया जा रहा है।

मैं एक मिनट और सदन का लूंगा और जो कुछ अभी तक फिक्सेशन की स्थिति है मजदूरों की, उसको सदन की जानकारी के लिये रखना चाहता हूं। अभी तक प्राप्त सूचना के अनुसार जैसा मैंने निवेदन किया २ हजार मजदूरों की जगह ६५३ हड़तालियों की संख्या है। इसमें दो सर्कल्स हैं जहां मजदूर काम करते हैं। दोनों सर्कलों की स्थिति क्या है यह मैं आपको बताना चाहता हूं।

यांत्रिक खंड नं० १

(१) १६० मजदूरों के फिक्सेशन १ अप्रेल सन् १९६३ तक के होने थे। इनमें से ११५ मजदूरों के फिक्सेशन लेखाधिकारी से स्वीकृत हो चुके हैं, २० लोगों के फिक्से-

(श्री नाथूराम मिर्धा)

शन के कागज लेखाधिकारी जांच कर रहे हैं। ४५ मजदूर काम छोड़कर जा चुके हैं जिनका निवास स्थान इत्यादि ज्ञात नहीं है। सहायक फोरमेन तथा चार्जमैन इत्यादि पदों के फिक्सेशन ग्रेड के निर्णय के लिये रुके हुए हैं जो कि आदेश आते ही तय कर दिये जाएंगे।

(२) १२० मजदूर ऐसे हैं जो कि १ अप्रेल सन् १९६३ के बाद नियुक्त हुए हैं। ८५ लोगों के फिक्सेशन किये जा चुके हैं। ३५ लोगों के फिक्सेशन ग्रेड निर्णय के आदेश आते ही हो जायेंगे।

(३) ५४ मजदूरों के एरियर दिये जा चुके हैं। ३५ मजदूरों के एरियर पास हो चुके हैं और शेष बिल पास किए जा रहे हैं।

यांत्रिक वृत्त सूतरगढ़

इस वृत्त में कुल मजदूरों की संख्या १८० है। प्राप्त सूचना के अनुसार इस वृत्त में मजदूरों की सभी मांगे पूरी हो चुकी हैं।

सूरतगढ़ खंड तथा डेगलाइन खंड से पूरी ब्योरेवार सूचना प्राप्त नहीं हो सकी है जो कि टेलीफोन तथा तार द्वारा मंगवाई जा रही है। पिछली सूचना के अनुसार वहां भी स्थिति लगभग यांत्रिक खड नं० १ के अनुसार ही है। दो हजार मजदूरों की सूचना बिल्कुल गलत है। कुल मजदूरों की संख्या जो कि यांत्रिक खंडों में कार्य कर रहे हैं लगभग ९०० है। इनमें से अधिकांश लोगों की मांगें पूरी हो चुकी हैं।

ये सारे हालात मैंने सदन के सामने रखे हैं। मजदूरों के लिये इतना सारा करने के बाद भी जब कि वहां पर डिफिकल्टीज कितनी हैं, उसके बाद भी अचानक हड़ताल पर चले जावें और प्रान्त का सबसे बड़ा काम है उसको खटाई में डालना, मैं समझता हूं कि मजदूरों के लिये यह गलत कदम है। इसका मेन कारण उनका गलत नेतृत्व है। वहां उनका सेक्रेटी है वह डिस्ट्रिक्ट पटवारी के रूप में हैं जो नेता बन कर उनको गलत राय देता है। वे गोलमाल रूप मे आम तौर से इस प्रकार के रिप्रेजेन्टेशन्स सरकार को या अधिकारियों के सामने करते रहते हैं जिससे कोई अर्थ नहीं निकलता है और गलत राय जब देते हैं तो मजदूर लोग गलत कदम उठा लेते हैं। फिर भी सरकार सभी बातों पर विचार करती है और जितना संभव है किया गया है और यथा संभव कदम उठाये जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि जो मजदूर काम पर नहीं आ रहे हैं वे गलत तरीके हैं काम पर नहीं आ रहे हैं उनको काम पर लौट आना चाहिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिहनगर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने स्थगन—प्रस्ताव दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : आप इतना ही कहें जिससे स्पष्टीकरण हो।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं कुछ स्पष्टीकरण ही चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह जो स्पष्टीकरण दिया है कि चाहे आर.पी. सी. की यूनियन हो, चाहे इन्टक की यूनियन हो पर मजदूरों का प्रश्न कहीं का हो, चाहे

Page No.45

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

मजदूर यूनियन हो, चाहे कहीं का वह प्रश्न हो, वह हमारे लिये महत्व का प्रश्न हो और वह प्रश्न हम उठाते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत मुख्य प्रश्न पूछना चाहूंगा।

चाहिये तो यह था कि श्रम विभाग के मंत्री इस सम्बन्ध में उत्तर देते। श्रम विभाग के एक ओब्जर्वर स्पोट पर गये हुए हैं, उनके ओब्जर्वेशन्स नहीं आये हैं, न उन्होंने रिपोर्ट भेजी है और मंत्री महोदय, उस ओब्जर्वर की ओब्जर्वेशन रिपोर्ट को पढ़े विना, जानकारी लिये बिना एक उत्तर सदन में दे रहे हैं और यह इन्टक की यूनियन एक डिस्मिस्ड पटवारी की लीडरशिप में काम कर रही है यह कह कर डिस्मिस्ड पटवारी पर मन्त्री महोदय ने व्यक्तिगत आक्षेप किया है इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि हम तो मजदूरों के हक के लिये लड़ते हैं। २६-८-६४ को एक एग्रीमेन्ट चैअरमैन एडमिनिस्ट्रेशन राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट, चीफ इन्जीनियर जिसमें शामिल हैं, और भी १० व्यक्ति शामिल हैं, उनके सम्मुख एग्रीमेंट हुआ है, और यही कहा गया कि फिक्सेशन हो रहा है, दो डिविजन के आंकड़े दिये। बाकी २००० मजदूर एट दी लाइट काम कर रहे हैं, वर्क शोप में काम कर रहे हैं, ड्रेगलाइन्स में काम करते हैं, और-और जगह काम करते हैं उनमें से ३०० व्यक्तियों के मन्त्री महोदय ने आंकड़े पेश कर दिये कि ६० को फिक्सेशन मिल गया........

श्री नाथूराम मिर्धा : ये तो भाषण कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : संक्षेप में पूछ लें। यह स्पष्टीकरण है ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : १४ पोइन्ट्स का स्पष्टीकरण मांगूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, हाउस को मिहलीड किया गया है। ७ महीने हो गये, ८० पर्सेन्ट मजदूरों के फिक्सेशन ऑफ ग्रेड्स के एरियर्स का पेमेंट नहीं हुआ है।

श्री नाथूराम मिर्धा : यह गलत है। बिल्कुल गलत है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : स्पष्टीकरण नं० २ जो १५ दिन की केज्युअल लीव का एग्रीमेन्ट हुआ था। जिनकी दो साल की सर्विस है, जिन्होंने लीव विदाउट पे ली थी, एग्रीमेन्ट में यह चीज सम्मिलित थी कि उनकी लीव विदाउट पे को केज्युअल लीव में शुमार किया जायगा। तो,यह स्पष्टीकरण करें कि ऐसे कितने मजदूर हैं जिनकी लीव विदाउट पे को केज्युअल लीव में शुमार किया गया ?

स्पष्टीकरण नं० ३ : एग्रीमेन्ट में प्रोजेक्ट अलाउन्स देने का था। तो कितने लोगों को प्रोजेक्ट अलाउन्स का क्लीयरेंस कर दिया गया है ?

स्पष्टीकरण नं० ३ : एग्रीमेन्ट में ५ रु० का इन्टेरिम अलाउन्स डिक्लेअर किया गया था, एग्रीमेन्ट में यह बात थी कि जो सिविल डिपार्टमेन्ट से ट्रान्सफर होकर आये हैं, जो चौकीदार हैं उनको इन्टेरिम अलाउन्स ५ रु० दिया जायगा। तो उनमें से कितनों को इन्टरिम अलाउन्स दे दिया गया है ?

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

स्पष्टीकरण न० ४ : एग्रीमेन्ट में यह मंजूर किया गया था कि डॉक्टरों का, फर्स्ट एड बॉक्सेज़ का अरेंजमेन्ट किया जायगा। इससे पहले जितने डॉक्टर्स, कम्पाउन्डर्स थे जितनी मेडिकल फैसेलिटीज़ थीं उनमें कितनी बढ़ोत्तरी हुई है.कर दी गई है ? कितने डॉक्टर्स ज्यादा कर दिये गए हैं, कितनी नर्सेज़ ज्यादा कर दी गई हैं, कितना मिड्वाइफरी का अरेंजमेन्ट कर दिया गया है, इसके आंकड़े दें।

स्पष्टीकरण नं० ५ : मजदूरों के रहने के लिये टेंनलिया और रामसिंहनगर के भयानक टीबे हैं; उनके रहने के लिये कितने क्वार्टर्स बना दिये गये। टिन की चादरों के शेड्स जो गर्मियों में अधिक गर्म और सर्दियों में अधिक ठंडे रहते हैं उनके अलावा कितने क्वार्टर्स ७ महीनों के अन्दर स्पोट पर विभाग द्वारा बनाये गये हैं ?

स्पष्टीकरण नं० ६ : मजदूरों को दो-दो दिन तक पानी नहीं मिलता है, तो कितने टेंन्कर्स और कितने ट्रेक्टर्स बढ़ा दिये गये हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : आपने अपने सवालों को इकाट्ठा करके भाषण देना शुरू कर दिया है। मैं समझता हूं, मैं इन सारे प्रश्नों का उत्तर दे चुका हूं। अभी जनरल वाद-विवाद चल रहा है, आपका भाषण भी बाकी है। जितना स्पष्टीकरण मुझे करना था वह मैं कर चुका हूं। आप अपने भाषण के समय में जो बातें आपको रखनी हैं उनको रख दें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं भाषण नहीं दे रहा हूं, सिर्फ १४ बातों का स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : मेरी सम्मति में यह ठीक रहेगा कि यहां जितना आवश्यक स्पष्टीकरण करना हो कर लें। इसको और भी विशद रूप से डिस्कस करना हो तो भाषण में कर लें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं कोई भाषण नहीं देना चाहता।

श्री नाथूराम मिर्धा :जनरल वाद-विवाद पर आपका भाषण होना है, आप घंटा डेढ़ घंटा बोलेंगे उस वक्त फिर बोल लीजिये। अभी आप जितनी बातें कह रहे हैं उन सारी बातों को मैं स्टेटमेन्ट में कह चुका हूं। मैं यही उत्तर दूंगा कि मैं जवाब दे चुका हूं और कहूंगा नहीं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप कहें या नहीं कहें, आपका जो एटीट्यूट है उसकी जानकारी सदन को है।

ये ६ स्पष्टीकरण है.......

श्री नाथूराम मिर्धा : उत्तर दे दूं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : एक और प्रश्न पूछ लूं। हड़ताल का मुख्य लक्ष्य यह है कि ६ महीने हुए एग्रीमेन्ट को हुए। सातवां महीना है, अब तक किन-किन शर्तों को पूरा किया गया है।

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

सरकार की ओर से साइट पर क्या प्रबन्ध किया गया है मजदूरों को आटा देने का ? कॉन्ट्रेक्टर लेबर को एक रुपया किलो के भाव से आटा बेचता है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : ओन ए पोइन्ट ऑफ सजेशन, सर...

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय इन सारे प्रश्नों का स्पष्टीकरण करें।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : एक क्वेशचन मैं और पूछ लूं । माननीय श्रम मंत्रीजी ने, जब से स्ट्राइक नोटिस दिया गया, जब से स्ट्राइक हुआ तभी से लेबर डिपार्टमेन्ट की तरफ से क्या-क्या प्रोसीडिंग्ज़ शुरू हुई । यह स्टेटमेन्ट दिया । इसी प्रकार का स्पष्टीकरण यदि पहले ही हो जाता तो शायद यह नौबत नहीं आती ।

श्री नाथूराम मिर्धा : गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने सवाल उठाया इसके सम्बन्ध में मैं निवेदन कर दूं । हमारे विभाग को स्ट्राइक का नोटिस ही नहीं दिया गया । अलबत्ता यह बात जनरल दर्खास्तों के रूप में हमारे सामने आती रही मजदूरों की मांगों की जो करीब-करीब सब मंजूर कर चुके थे । उनके इम्प्लीमेंटेशन के बारे में, सिर्फ वह भी एक मांग के बारे में कि फिक्सेशन में डिले की जा रही है, उसके बारे में हमारे सामने सवाल आता रहा । पहले जो ऑर्डर इश्यू हुआ था उसमें गलती रह गई, उस गलती को करेक्ट करने के लिये फाइनेन्स के पास भेज कर दुरुस्ती करवानी थी । उन कागजों पर २५ फरवरी को ऑर्डर देकर ग्रेड्स को ठीक कर दिया गया है । इस बात को हमारे अधिकारी मजदूरों को कहते रहे हैं कि इसमें यह डिफिकल्टी है इसलिये देरी हो रही है, कुछ लोगों का रेकार्ड तैयार नहीं था इसलिये हमने कहा कि यदि वे एफिडेविट के आधार पर फिक्सेशन कर देंगे । जनरल तरीके से मजदूरों द्वारा बात उठाई गई थी । हम प्रयत्न करते रहे कि वे हड़ताल पर नहीं जायं पर दुर्भाग्य है कि बिना किसी नोटिस के दिये हड़ताल करदी ।

जो स्थिति आपने कही कि आटा नहीं देना चाहते, मजदूरों को आटा-गेहूं देने का प्रश्न है, हम सदैव सचेत और जागरूक रहे हैं; सरकारी सस्ते अनाज की दूकानें भी हैं ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : डाक्टर कितने बढ़ाये ?

श्री नाथूराम मिर्धा : डॉक्टर बढ़ाने से क्या ? उनकी बीमारी का इलाज हो रहा है या नहीं हो रहा है ? आप गोल-माल बातें उठा कर उनकी भावना को उभार रहे हैं ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : नोटिस बाकायदा दिया है, रजिस्ट्रेशन की रसीद है । आपका एग्रीमेंट इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं आपको एक अच्छा एम० एल० ए० मानता हूं और आपकी बात को सुनता हूं, हमारी बात को भी सुनिए ।

Page No.48

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : जिस तरह आप मेरी सुनते हो उस तरह मैं भी सुनता हूं ।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं आपकी बात को हमेशा इज्जत के साथ सुनता हूं ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं बता रहा हूं...

(घंटी)

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं आपसे कह रहा था कि बहुत दृष्टिकोणों से सोचना पड़ेगा । वहां की हालत कठिन है । अच्छे ग्रेड्स दिये जांय, स्पेशल प्रोजेक्ट अलाउन्स दिया जाय ठीक ढंग से फिक्सेशन किया जाय, जितनी भी हमदर्दी उन मजदूर के लिए हो सकती है. हमारे विभाग के कर्मचारियों ने और हमने लगातार प्रयत्न किए हैं लेकिन जैसे मैंने कहा किसी प्रकार अगर नेतृत्व ही ऐसा हो एक डिस्मिस पडटवारी की लीडरशिप

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : आप तो डिमांड्स के बारे में कहिए, आपने उनकी डिमांड्स को जायज समझा या नहीं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : लागू कर रहे हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : उस आदमी से हमें संतोष है चाहे वह डिस्मिस्ड है,उस चीज को आप अलग रखिए ।

श्री रामानंद अग्रवाल (अलवर) : डिस्मिस्ड थानेदार मिनिस्टर हो सकता हैं तो यदि डिस्मिस्ड पटवारी यूनियन का सेक्रेटरी हो जाय तो क्या हर्ज है ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : जहां के क्रिमिनल दस नम्बर का हिस्ट्री शीटर थानेदार हो सकता है और डिस्मिस्ड थानेदार मंत्री हो सकता है, तो यदि डिस्मिस्ड पटवारी....

(घंटी)

श्री नाथूराम मिर्धा : मेरी सलाह अभी भी उन मजदूरों को है कि वे लौटकर काम पर आ जायं । उनकी मांगों का जहां तक मन्जूर करने का प्रश्न है, हम कर चुके हैं बहुत सी इम्प्लीमेंट कर चुके हैं और बहुत सी मांगों को लागू करने में क्या दिक्कतें हैं उन पर विचार करके जितना जल्दी हो सके लागू करने की हम कोशिश करेंगे । इससे सदन के माननीय सदस्यों को संतोष होना चाहिए । इतना होते हुए भी मुझे किसी प्रकार की उन लोगों से रंजिश नहीं है ।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): क्या राज्य सरकार ने ऐसी कोई मशीनरी स्थापित की है कि जो बातें आप सिद्धान्ततः स्वीकार कर चुके हैं उनको फौरन इम्प्लीमेंट किया जाय ?

श्री नाथूराम मिर्धा : स्पेशल मशीनरी स्थापित करने की जरूरत नहीं है । सर्किल्स बने हुए हैं । उन सर्किल्स में जिन मजदूरों का फिक्सेशन करना है वहां पर सर्किल्स ऑफीसर्स हैं, सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर्स, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स और असिस्टेन्ट इंजीनियर्स हैं । सभी के पास रेकॉर्ड है और इसलिए फिक्सेशन के लिए स्पेशल मशीनरी की न तो आवश्यकता है नहीं की जानी चाहिए । अब ऑर्डर्स फाइनल जारी हो

Page No.49

(श्री नाथूराम मिर्धा)

गए हैं रिकार्ड की अवेलेबिलिटी के प्रश्न पर हमने कह दिया है कि हलफनामे भी दे देंगे तब भी स्वीकार करेंगे ।

श्री मानिकचंद सुराणा (कोलायत) : क्या इस बात की व्यवस्था की गई है कि जो मजदूर जिस सर्किल में है, जिनके बारे में उन्होंने कम्प्लेंट आपको दी है कि उनका फिक्सेशन जिसे आपने सिद्धान्तः स्वीकार किया है, नहीं हो रहा है, उसके बारे में क्या आपने ऑफिसर्स को आदेश दिए हैं कि फोर्टनाइटली या मन्थली यूनियन के प्रतिनिधियों के साथ बैठकर बात कर लें और जो सिद्धांततः बातें मानी गई हैं उनको इम्प्लीमेंट करें ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मेरी ऑफिसर्स को शुरू से हिदायतें हैं ।

श्री मानिकचंद सुराणा : उनका पालन नहीं हो रहा है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : वह हो रहा है ।

(घंटी)

लेकिन जैसे मैंने कहा, एक भी शिकायत किसी आदमी के खिलाफ या इस प्रकार का दावा अभी तक मेरे विभाग के किसी इंजीनियर के पास नहीं है...

श्री मुरलीधर व्यास : ६०० आदमी हड़ताल पर हैं,आखिर कोई न कोई कारण है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं सोचता हूं कि मैंने काफी कह दिया है; यदि सारा दिन इसी पर विवाद चले तो मुझे आपत्ति नहीं ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उत्तर संतोषप्रद नहीं है । हड़ताल इसलिए हो रही है कि एग्रीमेंट पूरा नहीं हो रहा है । समय बताइए कि दो या तीन या पांच साल में एग्रीमेंट इम्प्लीमेंट हो जायगा । एक अप्रेल से तो राजस्थान कैनाल भारत सरकार को हैंड ओवर कर रहे हैं तो इस एग्रीमेंट की क्या पोजीशन होगी । ७ महीने हो गए, एग्रीमेंट लागू नहीं हुआ । आप कहते हैं कि कोई कम्प्लेन्ट नहीं आई । पचासों शिकायतें आई होंगी ।

(घन्टी)

नोटिस ५ तारीख को लीगली सर्व हुआ है । आप झूठ बोल रहे हैं कि नोटिस सर्व नहीं हुआ है । इम्प्लीमेंट कब तक हो जायगा, इसका आश्वासन दिया जाय ।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं आपकी लेवल पर नहीं बोल सकता ।

(१२.४६ म.प)

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अग्रेत्तर वाद-विवाद

श्री उपाध्यक्ष : राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अग्रेत्तर वाद-विवाद । श्री रघुनाथ विश्नोई ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : मैं कल पंचायतों के चुनाव के सिलसिले में बता रहा था कि जो मौजूदा कानून पंचायतों और जिला परिषदों का संशोधित रूप

श्री रघुनाथ बिश्नोई)

में लागू किया गया और उसमें जो पंचायतों को अनुभव हुए, उस बारे में विरोधी पक्ष में बैठने वालों ने भी कुछ अनुभव पेश किए और इधर बैठने वालो ने भी। एक बात तो आवश्यक रूप से माननी पड़ेगी कि पंचायतों और पंचायत समितियों का जो कानून अभी संशोधित किया गया है उसके अन्तर्गत जो विस्तृत रूप में योजना है उससे बहुत से लोगों को परेशानी होती है और से का बहुत खर्चा पड़ता है। विरोधी दल के कुछ सदस्यों ने कांग्रेस पार्टी के लिए कहा कि इस तरह की कार्यवाहियां की गई, मैं उसे मानने के लिए तैयार नहीं हूं। जो लोग विभिन्न दलों में काम करते हैं उनको अनुभव है १७ साल के प्रजातन्त्र के तरीकों का, जिस भी पार्टी को जिस तरह मौका लगता है; हर तरीके से मतदाताओं को प्रलोभन देकर उनके मत प्राप्त करने की कोशिश करते हैं और इन पंचायतों के चुनाव में मुझे अनुभव यह रहा है कि जिस जगह जिस दल ने अपनी ताकत लगाई, पैसा खर्च किया और भ्रष्ट तरीके काम में लिए तो उनकी जीत हुई। जिन लोगों ने मतदाताओं की इच्छा अनुसार भरपूर पैसा खर्च किया तो दूसरे विरोधी पक्ष के उम्मीदवार के लिए लाजिमी हो गया कि वह भी ऐसा करे। जिस जगह जैसा मौका लगता है हर पार्टी काम में लाती है और उसके बावजूद भी पराजित हो जाते हैं तो फिर कुसूर राज्य के सरकारी अधिकारियों पर थोप देते हैं। लेकिन यह बात नहीं है, समय काफी आगे हो चुका है। मैं यह कतई मानने को तैयार नहीं हूं कि सरकारी अधिकारियों का दोष है या सरकार का है, यह गलत है। हर तरीके से भ्रष्ट तरीके काम में लिए गए हैं।

मैं अपनी जगह का उदाहरण देना चाहता हूं। वहां पर हमने अपनी तरफ से एक उम्मीदवार खड़ा किया। सामने वाला धनी आदमी था, लोगों को खिलाया, पैसे भी बांटे। हालांकि राजनैतिक और सामाजिक क्षेत्र में कोई कार्य नहीं किया था, परन्तु धन के बल से लोगों को राजी करके बड़ी मार्जिन से जीता। इसलिए मेरा निजी अनुभव है कि ऐसी विजय महंगी पड़ती है। इसलिए सारी पार्टियों को मिल कर जब तक कोई आचार संहिता बनाकर और उसूल पर नहीं टिकेंगी तो ये चीजें चलती रहेंगी। एक दल भ्रष्ट तरीका अपनाता है तो दूसरे भी सोचते हैं, यह मानने योग्य बात नहीं है। एक पार्टी खुले रूप से खर्च करती है तो मजबूरी की हालत में दूसरों को भी करना पड़ता है; ऐसे भी उदाहरण राजस्थान में हैं। इसलिए सब दलों को यह फैसला करना पड़ेगा कि इन भ्रष्ट तरीकों को अपनाना, मतदाताओं को खराब करना, खाना खिलाना, पैसा देना, इन सब चीजों को बन्द करना पड़ेगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर, एक भी मन्त्री इस धन्यवाद प्रस्ताव को सुनने के लिए हाजिर नहीं है। श्री जवाहरलाल से लेकर सबने इस बात को माना है कि इस सदन को इम्पार्टेन्स मिलनी चाहिए। आपसे

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

प्रार्थना है कि कम से कम इस बारे में आपकी तरफ से आदेश दिए जायं । मंत्रियों का हाउस के प्रति इस प्रकार का रुख हो, यह खेद की बात है । इस बारे में आपको उनकी तरफ जरूर इशारा करना चाहिए । आखिर किसको हम कहें, कौन सुनकर जवाब देगा ? एक उप-मन्त्री ने कॉपी और पैंसिल आगे रख ली है और उसमें कविता लिख दी....

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों की भावनाओं का आदर करता हूं और मैं भी मानता हूं कि सदन को उतना ही महत्व दिया जाना चाहिए जो इसके लिए बिल्कुल वाजिब है और सब मन्त्री भी इस सदन के सदस्य हैं, उसी नाते भी यह आवश्यक है कि वे उनका जब विषय हो, यहीं रहें । यों तो नियमों के अनुसार डिप्टी मिनिस्टर्स भी मिनिस्टरों की श्रेणी में ही हैं, सरकार के प्रतिनिधि हैं, फिर भी यह आवश्यक है कि यदि कोई दूसरा जरूरी कार्य न हो मन्त्रीगण यहां उपस्थित रहने की, जहां तक हो सके, कोशिश करें ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं तो आपकी रोशनी में लाना चाहता हूं कि आप किसी को भेज दें और देखें कि वहां मन्त्रीगण क्या कार्य कर रहे हैं; मालूम हो जायगा, सवाल यह है कि उनको आना चाहिए ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : यदि मन्त्रिमण्डल के सदस्यों को बहुत आवश्यक कार्य है तो बेशक इस हाउस को कुछ समय के लिए स्थगित किया जाय वर्ना बार बार इस प्रकार से हाउस का अपमान होता है । जब लीडर ऑफ दी ऑपोजीशन बोलने को खड़े हुए उस समय मन्त्रिमंडल के वरिष्ठ सदस्य गैरहाजिर थे और उस वक्त चेयर के कहने पर उपस्थित हुए । बारबार मन्त्रिमण्डल के सदस्यों को इस प्रकार ताड़ना दी जाय, ठीक नहीं है । मैं समझता हूं कि सदन का सम्मान कायम रखना आपके हाथ में है ।

(सर्व श्री नाथूराम मिर्धा और मथुरादास माथुर का सदन में आगमन)

श्री निरंजननाथ आचार्य (उपमंत्री, गृह) : माननीय सदस्यों की भावनाओं की कद्र करते हुए आपने जो कहा उनका हम सम्मान करते हैं । लेकिन यह किन्हीं नियमों के प्रोवीजन्स के अन्तर्गत नहीं है । हम सरकार को फुली रिप्रेजेंट करते हैं ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : ओन ए पोइन्ट ऑफ पर्सनल एक्सप्लेनेशन, मुझे दुख है कि सरकार के डिप्टी मिनिस्टर होते हुए ये ऐसी बातें करते हैं । उठ कर चले जाएं, यदि बीमारी हो...

श्री निरंजननाथ आचार्य : कहां उठ कर चले गए ?

श्री मथुरादास माथुर (योजना मंत्री): मेरा निवेदन है कि पार्लियामेंट में कन्वेन्शन है कि एक बजे लंच के लिए ब्रेक नहीं करते हैं, लेकिन एक और दो के बीच में न तो कोई डिवीजन क्लेम करते हैं और न वोट पड़ते हैं और न कोरम बैल बजती है क्योंकि लन्च ब्रेक नहीं होती है । अगर इस तरफ सदस्य नहीं हैं तो उधर भी तो

Page No.52

(श्री मथुरादास माथुर)

नहीं हैं। पार्लियामेंट वाली कन्वेंशन यहां भी डेवलप हो जाय तो अच्छा है। इसके अलावा आज वोटिंग चल रही है। इस हाउस के प्रति सब की प्राइम ड्यूटी है। हाउस अगर उक्त परम्परा को मान ले, बाइ कन्सेंट ऑफ ऑल दी पार्टीज़ तो अच्छा होगा।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : हम आपको तकलीफ नहीं देना चाहते, हम आपको आराम देना चाहते हैं। लेकिन यह भी आपको कद्र करनी चाहिए कि इस कन्वेंशन को डेवलप करने की बात हो तो पहले से होनी चाहिए। इसका आज सहारा लिया जाय तो गलत होगा।

श्री उपाध्यक्ष : केवल आपका सुझाव है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : लेकिन उस सुझाव को एक एक्सक्यूज़ की तरह दिया गया है और उसके लिए जो यहां सवाल उठा वह आज ही नहीं कई बार इस सदन के प्रति यह रुख अपनाया गया है। ये तो फिर चले जाएंगे।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : पिछले एक साल से कितनी स्थिति विकट हो गई...

श्री उपाध्यक्ष : अब पांच मिनट और लेंगे।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : ये कम होंगे।

श्री उपाध्यक्ष : आपकी पार्टी का जो समय निर्धारित किया गया है उसमें बोल सकते हैं, फिर भी जो लिखकर निर्धारित किया गया है उसके अनुसार आपको समय लेना चाहिए।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : मुझे आधा घंटा दिया गया है, उसके अन्दर खतम करूंगा।

(१.०० म. प.)

उपाध्यक्ष महोदय, देश में खाद्यान्न की जो विषम स्थिति उत्पन्न हुई उसका राजस्थान में भी अनुभव हुआ है, विशेषकर शहरों में अधिक हुआ है और गांवों में कम। इसके फलस्वरूप राज्य सरकार ने समय समय पर अलग अलग हुक्म निकाले हैं। नया हुक्म अभी निकला है कि जो अन्न की उपज करते है उनको २५ क्विन्टल से अधिक एक समय में अपने पास में नहीं रखना चाहिये। यह एक ऐसा हुक्म है जिसके लिए मैं सरकार को आगाह कर देना चाहता हूं कि काश्तकार के परिवार में बीस बीस सदस्य होते हैं, बैल होते हैं, घोड़े वगैरह होते हैं, दूसरे मवेशी होते हैं....

श्री नाथूराम मिर्धा (खाद्य मंत्री) : बीस क्विन्टल गेहूं है। दूसरा अनाज इस आदेश में शामिल नहीं है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : यह स्पष्टीकरण करना चाहिये। जो लोग उपज पैदा करते हैं गांवों में, उनके साल भर खाने–पीने के लिए पर्याप्त मात्रा में अनाज रहे। जैसी ही उनके यहां पर उपज हो उस हिसाब से ही उनको प्रतिवेदक महोदय नक्शे देने की बात हो। नहीं तो, इसमें बड़ी ही विषम स्थिति पैदा हो जायगी और उस

(श्री रघुनाथ बिश्नोई)

विषम स्थिति के कारण सरकार को कहीं गांवों में अनाज पहुंचाने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। खेती का धन्धा घाटे का धन्धा! काश्तकार बड़ी विषम स्थिति में रह कर और बड़ी मुश्किल से उसकी बहुत कीमत चुका कर अन्न पैदा करता है। मर्द, औरत, छोटे से लेकर बूढ़े तक सब खेती में रात दिन लगे रहते हैं; तब जाकर कहीं अन्न पैदा कर सकते हैं और वह भी भगवान् की महर हो तो। इस ओर सरकार को विशेष ध्यान देने की बात है।

विशेषकर बाढ़मेर के इलाके और सांचोर की बात निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर सरकार ने अनाज खरीदने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं की है। आपने एक मंडी सांचोर में रखी है। पचास मील दूर से गाड़ा भर कर किसान वहां पर अनाज तुलाने के लिए लाये, यह असंभव बात है। यही अनाज खरीदने का वक्त है, बाजरा खरीदने का टाइम है। यह बाजार में काफी आ गया है। आपने ४०।।) रु० के भाव पर प्रति क्विन्टल के भाव नियत किये हैं, लेकिन लाइसेन्सदार उससे कम कीमत में खरीदते हैं। २) रु० मन का भाव घट चुका है। काश्तकार अपनी मजबूरी से अनाज मंडी में ला नहीं सकता और मंडी तक राज्य सरकार द्वारा अनाज लाने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। मैं राज्य सरकार को साफ तौर से बता देना चाहता हूं कि इस प्रकार की राज्य सरकार की अव्यवस्था के कारण से काश्तकार इस प्रकार मंडी तक अनाज दे नहीं सकता। सरकार को इसकी व्यवस्था करनी चाहिये। काश्तकार अनाज देना चाहता है। सरपंच द्वारा इतला करे कि फलां गांव के अन्दर अनाज बेचना चाहते हैं वहां सरकार खरीदेगी, काश्तकार वहां आसपास में लाकर बेच देगा, सरकार उसको खरीद ले और नकद पैसा उसको वहीं पर दे दे। सरकार इस प्रकार अनाज को इकट्ठा करे, नहीं तो महाजन लोग लेने के समय सस्ते मूल्य में लेते हैं और फिर डबल मूल्य उसका लेते हैं और बीज के समय तिगुना उससे वसूल करते हैं। अनाज के भाव गिर चुके हैं। राज्य सरकार को काश्तकारों से सीधा मूल्य देकर पर्याप्त मात्रा में खरीद लेना चाहिये उन्हीं भावों पर जो कि उसने नियत किये हैं। लेकिन जो अभी व्यवस्था की गई है वह अपर्याप्त है और सरकार ने यदि मशीनरी की पूरी तरह से व्यवस्था नहीं की तो राजस्थान में एक विकट परिस्थिति पैदा हो जायगी।

पटवारी लोग काश्तकारों को बड़ा तंग करते हैं। पंचायत के इलेक्शन के कारण से मुझे गांवों में घूमने का मौका मिला है। कहते हैं कि पचास रुपया दो तो दस मन लिख दूंगा, १०० रुपया दो तो २० मन और नहीं तो ५०० मन लिखूंगा। इनके चंगुल से काश्तकारों को बचाना चाहिये, अन्यथा गांवों में किसानों में बड़ी विषम परिस्थितियां पैदा हो जावेंगी। काश्तकार के यहां कम पैदा हुआ और पटवारी लिख देगा कि इतना पैदा हुआ। इसलिए मैं खाद्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि यदि सरकार काश्तकारों से अनाज लेना चाहती है तो व्यवस्था ठीक ढंग से सरकारी मशीनरी के जरिये से करनी चाहिये जिससे कि काश्तकारों में एक विश्वास की भावना

Page No.54

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

पैदा हो और वे सरकार को सही तरीके से अनाज भी दे सकें। किसान अनाज देना चाहते हैं लेकिन राज्य सरकार ने उसको लाने की व्यवस्था नहीं की है। आपने जो भाव नियत किये हैं, मजबूर होकर आपकी ओर से लाने की पूरी व्यवस्था न करने के कारण, उसको नीचे भावों में महाजन को देना होगा। आपको सोचना चाहिये कि कौन किसान आपको निर्धारित मंडी तक माल पहुंचाने में तीन चार दिन अपने देगा? जागीर के समय में जागीर के गांव में जाना पड़ता था। अब तो तहसील में आकर देना होगा, बहुत दूर। कौन आयेगा ? तहसील में आकर काश्तकार तुलाये यह संभव नहीं है। अनपढ़ लोग हैं और उनको बहुत ही परेशानी उठानी पड़ती है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं, उपाध्यक्ष महोदय, पांच मिनट और लूंगा।

दूसरी बात मैं राज्यपाल महोदय ने जो विचार व्यक्त किये हैं अपने भाषण में काश्तकारों की कठिनाइयों के बारे में, उनके बच्चों को पढ़ाने-लिखाने, उनके इलाज की व्यवस्था और स्कूल की व्यवस्था....

श्री उपाध्यक्ष : आपने संकेत दिया उससे अधिक समय ले रहे हैं। मैं माननीय श्री ज्वालाप्रसादजी के समय में से काट लूंगा।

श्री रघुनाथ विश्नोई : तो अध्यक्ष महोदय, काश्तकारों की कठिनाइयों पर ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि हिन्दुस्तान एक कृषि प्रधान देश है। यहां के निवासी सौ में से सत्तर प्रतिशत किसान हैं। शहरों के लोग होशियार हैं। वे हड़तालें कर सकते हैं, आन्दोलन कर सकते हैं, भूख-हड़ताल कर सकते हैं, लेकिन ये गांव के लोग नहीं कर सकते। उनके लड़कों को पढ़ाने के लिए यदि स्कूल की बिल्डिंग्ज़ चाहिए तो ये राज्य सरकार को बनानी होंगी। उन स्कूलों में गांव के लोगों के बच्चों को खेती की पढ़ाई पढ़ानी होगी। आज की जो शिक्षा की गांवों में वास्तविक स्थिति है उसके कारण से लोगों में असंतोष है। केवल क्लर्क पैदा करने से गांवों में बहुत असंतोष फैल रहा है। केन्द्रीय सरकार ने जो शिक्षा के बारे में व्यवस्था की है कि बिल्डिंग हो, अच्छी शिक्षा हो, ऐसी ही राज्य सरकार को व्यवस्था करनी पड़ेगी। यह नहीं कि गांव वाले आधा खर्चा दें तब स्कूल होगा, उनके लिए तब भवन बनेगा, आगे फिर व्यवस्था होगी। यदि आप गांवों के लोगों की इल्लिट्रेसी को दूर करना चाहते हैं तो राज्य सरकार को अपने कोष से ही उनकी पढ़ाई-लिखाई की, स्कूल भवन, अध्यापक आदि की पूरी तरह से व्यवस्था करनी होगी। वरना शिक्षा आगे नहीं बढ़ पायगी। लोग खेती-बाड़ी को छोड़ कर इसमें घाटा नहीं भुगत सकते। यदि आपने सही तौर से गांवों में शिक्षा की व्यवस्था नहीं करेंगे तो तकनीकी जानकारी उन लोगों को भी नहीं दे सकेंगे, केवल क्लर्क पैदा करने की शिक्षा पर निर्भर रख देंगे। मैं राज्य सरकार का इस ओर भी ध्यान आकर्षित करना चहता हूँ कि गांव वालों को शिक्षा इतनी मंहगी भी नहीं होनी चाहिए। जो कुछ भी काम करते हैं, किसानों के नाम पर दम भरते हैं, उनके

(श्री रघुनाथ बिश्नोई)

विकास की बात करते हैं लेकिन वास्तव में होता क्या है, आप हम सब जानते हैं। आज गांवों में प्राइमरी स्कूल की हालत है वह एक भयंकर रूप धारण कर रही है। स्कूल खाली पड़े हैं, कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए उन गांवों में पूरा धन लगा कर पूरी तरह से अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करना चाहिये। वरना खेती-बाड़ी का काम बढ़ेगा नहीं, पड़ा रहेगा। शास्त्रीजी ने ठीक ही कहा है कि हम हमारी योजनाओं का तो ढिढोरा पीटते हैं कि हमारे प्लान सक्सेसफुल हो रहे हैं लेकिन इनसे काम नहीं चलेगा। आज हमें विदेशों से ४०० करोड़ का अनाज आयात करना पड़ रहा है। यह आज जो हमारे काश्तकारों की स्थिति है उसी के फलस्वरूप है यह एक बड़ी भयंकर और विषम स्थिति है और बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिये मैं राज्य सरकार का विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि किसानों की जो विशेष समस्यायें हैं, उनकी जो विशेष परिस्थितियां हैं उनको ध्यान में रखते हुए इस ओर समुचित प्रबन्ध करना पड़ेगा। उनको जो भी कठिनाइयां हैं उनको शीघ्रातिशीघ्र दूर किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय का अभिभाषण जो सदन में प्रस्तुत हुआ है मैं आशा करता था, जब हमारा प्रान्त महंगाई के कारण, इधर बिजली के संकट के कारण महंगाई के कारण जो स्थिति उत्पन्न हुई है उस स्थिति में तमाम मजदूरों में, कर्मचारियों में और आम जनता में जो एक असन्तोष व्याप्त है उसके बारे में कोई ठोस सुझाव इन समस्याओं के हल करने का प्रस्तुत करते ताकि आम जनता में विश्वास पैदा हो सकता कि हम इन कठिन परिस्थितियों का हिम्मत के साथ मुकाबिला कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, खेद के साथ निवेदन करना पड़ता है कि जो अभिभाषण माननीय राज्यपाल महोदय ने दिया है उससे यह साफ जाहिर है कि यह भाषण सरकार की अयोग्यता, गैर जिम्मेदारी, क्रिमिनल नैग्लीजेन्स को जाहिर करता है। इसमें यह बात अलग है कि पिछले दिनों पंचायतों के चुनाव हुए, जनता उसमें व्यस्त रही; लेकिन इस कारण हम अपने प्रान्त की खाद्य स्थिति की गंभीरता कम करके आंकें, यह बहुत बुरी बात होगी। पिछला वर्ष जो गुजारा हैं जिसमें हमारे यहां की जिस प्रकार की खाद्य स्थिति रही है और सरकार ने जिस तरीके से हल करने की कोशिश की है ; मैं समझता हूं इसमें सिवाय रामभरोसे छोड़ने के कुछ नहीं किया है। सरकार ने ठोस तरीके से अदूरदर्शिता से हिम्मत करके इसको हल करने की कोशिश नहीं की। आज भी जो पर्सपेक्टिव है वह भी इस भाषण से हमारे सामने आया है वह भी इस भाषण से हमारे सामने आया है। इससे यह जाहिर होता है, सिवाय इस उम्मीद के कि आने वाली रबी की फसल अच्छी है, इसलिये इस समस्या का हल हो जावगा, यह गंभीर संकट टल जायगा। इसके अलावा सरकार की तरफ से अपने प्रयत्नों के रूप में कोई हल सामने नजर नहीं आता।

उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने स्वयं ने इस बात को स्वीकार किया है कि हमारे

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

यहां ८० हजार टन प्रति माह खाद्यान्न की आवश्यकता है और इस बात को भी माना है। पिछले दिनों केन्द्र से ५० हजार टन मिलता था, अब उसको काट कर १५ हजार टन कर दिया है। फिर हमारी सरकार ने इस कमी को पूरा करने के लिए क्या बन्दोबस्त किया। इस डेफीसिट को मीट करने के लिये हमारी सरकार क्या सोच रही है ? उपाध्यक्ष महोदय, इस खाद्य संकट के बारे में बराबर इस सदन में हमारी ओर से उस ओर से और इधर बैठने वाले अन्य सदस्यों की ओर से बारबार इस बात को कहा गया कि सरकार को अपना बफर स्टाक बनाना चाहिये। स्टेट ट्रेडिंग करना चाहिये ताकि केवल इम्पोर्टेड व्हीट पर ही निर्भर न रहना पड़े। इतना कहने के बावजूद भी आप अपने हित की बात नहीं सोच सकते, आप में इतनी योग्यता नहीं कि आप अपना शेयर अपने प्रान्त के कोटे के अनुसार ले सकें। वैसी हालत में खाद्य संकट को देख कर, समझ कर यह करना चाहिये कि हम अपने प्रान्त में अपने खुद का अनाज खरीद कर बफर स्टॉक क्रियेट करें ताकि संकट का समय आये उस वक्त आम जनता को सप्लाई कर सकें।

उपाध्यक्ष महोदय, सरकार की तरफ से पिछले साल जब बजट सैशन चल रहा था उस समय सरकार द्वारा कहा गया कि हम अनाज खरीदने वाले हैं, हम मार्केट में आयेंगे, इस ट्रेड को अपने हाथ में लेंगे लेकिन जो आपने किया वह सब हमने देखा आपसे एक दाना भी नहीं खरीदा गया; जिसका नतीजा यह हुआ कि तमाम जनता को ब्लैक मार्केटियर्स, स्मगलर्स के भरोसे छोड़ दिया गया। उसका परिणाम यह हुआ कि अनाज का भाव तेजी से बढ़ता गया, जो आपके और हमारे सामने हैं। मुझे इस बात का आश्चर्य होता है कि एक तरफ जब महंगाई इस तरह से बढ़ रही थी और बढ़ती जा रही है तब तो सरकार न्यूनतम भाव निर्धारित करती है और उससे आशा व्यक्त करती है कि इससे किसानों में यह भरोसा पैदा हो जायगा कि अपनी उपज का ठीक मूल्य उसे मिल रहा है, इससे अनाज मार्केट में आना शुरू हो जायगा। एक साधारण बुद्धि वाला आदमी भी समझ सकता है कि जब प्राइसेज ऊंची जा रही हों उस समय जरूरत इस बात की है कि उसको कन्ट्रोल करें कि इससे ऊंची जाने नहीं देंगे लेकिन सरकार करती है न्यूनतम भाव.......

श्री नाथूराम मिर्धा (खाद्य मंत्री) : अभी आपने सुना नहीं; माननीय सदस्य कह रहे थे भाव-बहुत नीचे जा रहे हैं कोटा जालोर आदि में। हमने एक बोरा नहीं कहा, बोरे खरीदे हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जो स्टेटमेंट आपके डिपार्टमेंट की तरफ से आया है उसमें और राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में और जैसा हमारा पिछले वर्ष का तजुर्बा रहा है उसके अनुसार सरकार अपने स्टाक में सिवाय इम्पोर्टेड व्हीट के जनता को बांटने के लिये और कोई अनाज नहीं दिया। और अब भी जो स्थिति है; आपने, जो राशन मिलता था उसमें भी कमी कर दी है। देहातों में तो बिल्कुल

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

ही आपने इसको खत्म कर दिया, शहरों में पचास, साठ और ७० प्रतिशत, कमी कर दी। मैं निवेदन करना चाहता हूं, इसमें सरकार बराबर झिझक दिखला रही है। केन्द्रीय सरकार ने कॉर्पोरेशन बनाया। कई स्टेट्स ने इसी तरह के काउन्टर पार्ट्स बन कर खरीदने का इन्तजाम किया है लेकिन हमारी सरकार इस बारे में बिल्कुल उदासीन है। यह तो यह मान कर चल रही है कि हमें यह काम करने की क्या आवश्यकता है। दूसरी जगह स्टेट्स बना रही है वहां से रिक्वीज़ीशन कर लेंगे वहां से स्टॉक मिल जायगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं जिस आदमी को सुझे उसको थोडा माफ किया जा सकता है लेकिन जिसको सुझाव देने के बाद भी नहीं समझे उसके लिये सिवाय अफसोस जाहिर करने के और क्या कर सकते हैं, दो वर्ष से हम भयंकर संकट से गुजर रहे है; उसके लिये बार बार कहने के बाद भी सरकार द्वारा इस बात के स्वीकार करने के बाद, राज्य सरकार द्वारा इस नीति को स्वीकार करने के बाद राज्य सरकार अपना स्टॉक्स बनाने के बारे में काउन्टर पार्ट कॉर्पोरेशन बनाकर यहां पर खरीद चालू करने के बारे में किसी प्रकार भी सोचा नहीं जा रहा है आगे भी यह सरकार जनता को राम भरोसे छोड़ने वाली है।

उपाध्यक्ष महोदय, सरकार कहती है कि इस बारे में जनता का सहयोग चाहिये; ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो जनता को भूखा मारना चाहते हैं उनको पकड़वाये। यह हम भी मानते हैं कि सरकार को इसके लिया सहयोग चाहिये। जनता सरकार को सहयोग नहीं देना चाहती यह बात नहीं है। जनता ने जगह जगह मीटिंगे करके, जलसे निकाल कर, सत्याग्रह करके इन असामाजिक तत्वों के खिलाफ खुद आगे बढ़कर कार्यवाही की हैं और आपको बताया है कि आप कार्यवाही करें। लेकिन सरकार का क्या रुख रहा है; उन असामाजिक तत्वों को पनाह देने की कोशिश की गई है, उनको बचाने की कोशिश की है। अगर कोई किसी तरह से पकड़ा गया तो यहां पर टेलीफोन के जरिये, जमानत तक करवाने की कोशिश की गई है। बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है, पिछले दिनों हमारे जिले की खैरथल मंडी में कुछ व्यापारी मक्का का स्मग्लिंग करते हुए गिरफ्तार किये गये। जो कोटा वगैरह की तरफ से मक्का लाकर अलवर में इकट्ठी की गई और वहां से एक्सपोर्ट किया गया। उसमें कुछ लोगों के खिलाफ कार्यवाही हुई और कुछ लोग गिरफ्तार भी हुए जिसमें कुछ बड़े व्यापारी थे। आश्चर्य को बात यह कि कोई राजनैतिक कार्यकर्त्ता किसी अपराध में पकड़ा जाता है उसको सीधा जेल भेज दिया जाता है लेकिन इन व्यापारियों को इज्जत के साथ कोतवाली में रखा गया। वहां से टेलीफोन कांग्रेस के लीडरों ने यहां खाद्य मन्त्री को किया, इनसे बातचीत की। खाद्य मंत्री द्वारा कहा गया कि इनकी जमानत हो जायगी।

श्री नाथूराम मिर्धा : यह बिल्कुल निराधार है। मेरी किसी से टेलीफोन पर बातचीत नहीं हुई। केवल

(श्री नाथूराम मिर्धा)

आप कहते हैं, यही सही है और हम कहते हैं वह झूठ है !

श्री रामानन्द अग्रवाल : उन लोगों की बुनियाद पर जो लोग प्रयत्न कर रहे थे। और इतना ही नहीं उपाध्यक्षजी, उन्हीं लोगों से, जिन लोगों पर अभी मुकदमे चल रहे हैं, वहां पर हमारे यहां बाई इलेक्शन हुआ, वहां पर उन्हीं लोगों से बाकायदा जाकर चन्दा मांगा गया और ३१००) चन्दा उन्हीं से लिया।

सरकार के ये बहुत ही भ्रष्ट तरीके हैं। उपाध्यक्षजी अगर सरकार ये तरीके अपनाने पर ही तुल गई, तो बहुत तरीके हैं ये। फिर तो ऐसेन्शियल कमोडिटीज एक्ट को इस तरह से इस्तेमाल करें कि कुछ लोगों पर मुकदमे बनवाये जावें और फिर गिरफ्तार करें और अगले दिन उनसे मन भर कर चन्दा ले लीजिये। वे लोग तो बाहर आना चाहेंगे, आप उनसे चन्दे से थैलियां भर लीजिये। तो मैं निवेदन करूं कि पांच हजार रुपया उस दिन लिया गया और जिस दिन उनकी जमानत हुई ३१००) रु० लिया गया। बद्रीप्रसाद जी इन्हीं लोगों के पैसे से कामयाब होकर यहां आये हैं। जो गिरफ्तार किये गये उनसे कहा गया कि हमारी मदद करो और उनकी मदद की बिना पर उन लोगों से चन्दे लेकर ये जीत कर आये हैं।

मैं कहना चाहता हूं कि यह सामान्य नैतिकता से भी परे की बात है, वहां वे आज कहते हैं कि माननीय सदस्यों की एक आचार संहिता बनाई जानी चाहिये जो सामान्य, कॉमन आदमी की समझ में इम्मोरल बात मानी जाती है कि जिस आदमी को गिरफ्तार किया जाय, जिस पर मुकद्दमे बनाये जावें, चलाये जावें उनसे आप इस तरह की बात कह कर कि हम शासन में हैं मैं जीत गया तो मंत्री बनने वाला हूं जीतने के बाद मेरे हाथ में सत्ता आने वाली है और इन तरीकों से उनसे चन्दा लिया जावे तो वह सामान्य बात भी आप नहीं मानते तो आचार संहिता की बात करना ढोंग के सिवाय और क्या है। यह सीधा सादा करप्शन है।

इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि जनता की तरफ से तो पूरा सहयोग मिला है। जनता ने तो अपनी तरफ से पूरी ताकत से इन असामाजिक तत्वों को और असामाजिक काण्डों को रोकने की चेष्टा की है। लेकिन हमारी सरकार की ही तरफ से उनको लगातार पनाह मिलती है और इस तरह से उनसे चन्दा लेकर पैसा लेकर उनको प्रोत्साहन दिया जाता है।

उपाध्यक्षजी, पहले भी सदन में मैंने यह गुजारिश की थी मुख्य मंत्री जी से उस समय कि यहां पर गुड़ और शक्कर यू. पी. से स्मगल की जा रही थी और कामां और खेरथल की मण्डी से ये चीजें आती थीं, वह केन्द्र बने हुए थे; उस वक्त हमारी सरकार के सामने हमने सारी बात रखी थी उसको रोकने के लिये और मुख्य मंत्री जी जब वहां माजरी कलां में गये तो इनको बताया गया यह सब तो कहा उन्होंने कुछ न कुछ आता है तो उसे बन्द किया जाय। यह तो

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

कह देंगे, क्योंकि होशियार हैं ये। राइटिंग में हुक्म देते नहीं। जुबानी कुछ भी कह दें; जैसे खाद्य मंत्री जी कहते हैं टेलीफोन की बात रिकॉर्ड तो होती नहीं, चलो रिफ्यूज़ कर दो। तो इस तरह से उन्होंने भी बात कह दी। आप पिछले छः महीनों का रिकॉर्ड देख लीजिये....

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, गृह) : वह भी निराधार है; मुख्य मंत्री जी कीबात।

श्री रामानन्द अग्रवाल : तो मैं कह रहा था कि वह जो गुड़ के स्मग्लर्स थे वे ही बाद में राजस्थान से जौ के, बाजरे के, मक्का के स्मग्लर्स बने। उनको इस बात की चिन्ता नहीं कि राजस्थान में चीजें लानी हैं। उनका तो देवी और देवता मुनाफा है। मुनाफा मिलना चाहिये। बाहर भेजने में मुनाफा मिलता है तो बाहर भेजेंगे, बाहर से अन्दर लाने में मुनाफा मिलता है तो बाहर से अन्दर लावेंगे और अगर पाकिस्तान भी भेजने का काम है और उसमें भी मुनाफा मिलता है तो पाकिस्तान भी भेज देंगे। पर मुझे अफसोस है कि इस तरह से सरकार ने इस तबके को पनाह दी है। एक आदमी ने जो इनका सरगना है, १७ आदमियों की एक एसोसियेशन बनाई है। उनके खिलाफ एक एन्क्वायरी हुई। यहां पर एन्टीकरप्शन विभाग को मामला सौंपा गया। बार बार चीफ मिनिस्टर साहब को मेरे कहने पर कि अगर यह स्मगल का मामला गलत निकला तो मैं इस बता पर इस्तीफा देने को तैयार हूं। लेकिन उन्होंने इस बात की जांच पूरी तरह से करवाने की कोशिश नहीं की और मामले को रफा–दफा कर दिया गया।

अगर इस तरह का रूख हमारी इस सरकार का इतने बड़े नेशनल क्राइसिस के मौके पर रहा और फिर कहें कि दो करोड़ जनता जिससे प्रभावित हो उसके प्रति हमारी सरकार कहे कि हमको जनता का सहयोग चाहिये और जब यह कहती है एक तरफ और दूसरी तरफ स्वयं ही उसको पनाह देती है असामाजिक तत्वों को तो मैं कहना चाहता हूं कि यह केवल एक दिखावे की बात है। केवल बहाने की बात है और दर असल सरकार सिंसियरली इन तत्वों को समाप्त करना नहीं चाहती। वह तो जनता की इच्छाओं को जनता की भावना को दबाना ही चाहती है।

मैं कहना चाहता हूं कि जब आपके सामने खुले तौर पर मामला मौजूद है, क्रय विक्रय संघ का मामला है; एन्क्वायरी कमेटी, बिश्नोई कमेटी की रिपोर्ट भी आई और उस रिपोर्ट में साफ तौर से इस बात को मान लिया गया कि इस तरीके से इतना घोटाला हुआ है। उस बात में मान लिया गया कि जब डाइरेक्टरों की मीटिंग नहीं होती थी तो चैयरमैन टेलीफोन पर रिप्रेज़ेन्टिटिव्ज़ को मेरठ, यू. पी. में इन्स्ट्रक्शन्स दिया करते थे तो फिर आपने केवल उस मैनेजर को ही गिरफ्तार क्यों किया, उसको किया यह तो ठीक है, करना चाहिये था, पर यह असम्भव बात है कि थोड़ा सा रुपया तनख्वाह पाने वाला आदमी करोड़ों रुपयों का गबन कर जावे जब तक कि उसमें बड़ों का हाथ

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

न हो, यह असम्भव है, सामान्य आदमी इसको नहीं मानेगा। आप उस को इस तरह से एक मामूली आदमी को पकड़ कर कहें कि सारा कुसूर इसी का है, आप सामान्य आदमी को कन्विंस नहीं कर सकेंगे। यह बात अलग है कि आप उनको चुनाव जिता कर ले आये। पब्लिक ओपीनियन को सप्रेस करके आप उनको ट्रेजरी बेंचों पर भी ले आये। पर मैं साफ तौर से निवेदन करता हूं कि वह आज भी जनता की निगाहों में क्रिमिनल है, क्रिमिनल रहेगा और जब तक....

श्री निरंजननाथ आचार्य : जनता की निगाहों में वह लोकप्रिय नेता है। जनता ने उसे चुनकर भेजा है। आप अपनी चिन्ता करें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपकी आंखें खुल जानी चाहिये....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिहनगर): १ करोड़ बीस लाख रुपये लालाराम खा गया अकेला, यह नामुमकिन बात है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपकी आंखें खुल जानी चाहिये कैरों के काण्ड से। कैरों की हत्या जिस तरह से और जिस गलत तरीके से की गई उसका सबको खेद है, पर यह हत्या भी उन्ही लोगों ने की है। इसका सभी लोगों ने भारी कन्डेमनेशन किया है।

श्री नाथूराम मिर्धा : फिर आप यहां क्या कहना चाहते हैं ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं यह कहना चाहता हूं कि इन हत्याओं के मूल में आप लोग है। जिस तरह से आप लोग एक्ट करते हैं जिस तरह से आप लोग पब्लिक ओपीनियन को सप्रेस करके काले कारनामे करते है। पब्लिक ओपीनियन की परवाह नहीं करके बेईमानी, पापाचार और भ्रष्टाचार करते हैं और जनता की छाती पर थुपना चाहते हैं इन अंशों में इस अराजकता के, वायोलेन्स के और इस हिंसा के आप लोग जिम्मेदार हैं जिस तरीके से जनता की ओपीनियन का गला घोंट कर इस तरह की ये सारी कार्यवाहियां कर रहे हैं।

उपाध्यक्षजी, मैं इसलिये यह निवेदन करना चाह रहा था कि हमारे खाद्य संकट के बारे में जिस तरीके का सरकार का रूख रहा है, वह नीतान्त गैर जिम्मेदारी का रहा है। सरकार को फौरन स्टेट ट्रेडिंग को हाथ में लेना चाहिये। जिस तरीके का भी एक कॉर्पोरेशन की कल्पना केन्द्रीय सरकार ने की है, मैं उसको हालांकि पूर्ण योजना नहीं मानता, पर फिर भी जैसा भी जो कुछ यह है उसका काउन्टर पार्ट इस स्टेट में भी होना चाहिये। तभी हम उम्मीद कर सकते हैं कि इम्पोर्टेड व्हीट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी और यहां के व्हीट में कमी पड़ी और जरूरत आई तो वह भी हम दे देंगे।

इसके साथ ही मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज सरकार ने जो डिस्क्रिमिनेशन की नीति अरबन और रूरल एरियाज में अपनाई है इस खाद्य स्थिति के बारे में उसके लिये कोई जस्टिफिकेशन इस सरकार के पास नहीं है। शहर के गरीब लोगों में और गांव के लोगों में फूट पैदा करने का

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

यह डिवाइस है। इसके सिवाय और कोई पॉलिसी का जस्टिफिकेशन नहीं है। मैं समझता हूं कि खुद खाद्य मन्त्रीजी भी यह जान ते हैं कि गांव में हरेक के पास अनाज साल भर तक लगातार नहीं रहता; फसल के एक या दो महीने बाद वे भी खाली हो जाते हैं, खास तौर से हरिजन हैं, आर्टिजन्स हैं नॉन-एग्रीकल्चरिस्ट क्लास है और एग्रीकल्चरिस्ट में भी पांच-दस परसेन्ट को छोड़ कर एक-दो महीने के बाद मार्केट से खरीदना पड़ता है। तो फिर क्या वजह है कि शहरों में तो हम दें १६) रुपये मन और देहातों के आदमियों को मजबूर करें ३०) रुपये मन खरीदने को। और यही नहीं,मौके पर ४०)रु. मन भी इनको खरीदना पड़ता है। शहरों में तो सब्सिडाइज्ड रेट पर मिले और देहात के लोगों को ब्लैक मार्केट की रेट पर खरीदना पड़े। यह कोई जस्टिफाइड बात नहीं है। यह आपका निकम्मापन का नमूना है। आप स्वयं पूरी सप्लाई नहीं रखते। देहात के लोगों तक पूरी सप्लाई नहीं पहुंचा सकते। होर्डरों को, ब्लैक मार्केटियरों को आप पकड़ना नहीं चाहते। उनके होर्डेड माल को लेना नहीं चाहते। तो इन कारणों से यह सारी स्थिति पैदा हुई है।

मैं समझता हूं कि सरकार सबक लेगी इससे और स्टेट ट्रेडिंग हाथ में लेकर अपना स्टॉक बनायेगी ताकि जनता में विश्वास पैदा हो सके कि यह होर्डरर्स चाहे कुछ भी कर लें, हमारी सरकार के पास अनाज मौजूद है और जरूरत पड़ेगी तो हमें मिलेगा।

उपाध्यक्षजी, दूसरा निवेदन मैं पॉवर के बारे में करना चाहूंगा। जहां खाद्य संकट था एक पॉवर का संकट हमारे प्रान्त में विशेष रूप से पैदा हुआ और जिस तरीके से हमारी सरकार की आदत पड़ी हुई है आम लोग हिन्दुस्तान के तकदीर और परमात्मा पर विश्वास कर लेते हैं तो सरकार भी यही बहाना ले लेती है कि फसल खराब हो गई क्योंकि वर्षा नहीं हुई और यही बिजली के लिए बहाना ले लिया कि वर्षा कम हुई इसलिए चम्बल में पानी नहीं आया और इसलिए चम्बल से उतनी बिजली पैदा नहीं हुई। उपाध्यक्षजी, मैं इन्कार नहीं करता कि सन् ६१ के मुकाबिले में वर्षा कुछ कम हुई है और उसका भी कुछ असर इस सप्लाई के बारे में,पॉवर जेनरेशन के बारे में हो सकता है लेकिन मैं यह निवेदन करूंगा कि यह होल ट्रुथ नहीं है; यह पार्शियल ट्रुथ है और इस डिपार्टमेंट का निकम्मापन है, उसको छिपाने की कोशिश की है; मुझे अफसोस है कि विद्युत मंत्री जी यहां मौजूद नहीं हैं फिर भी जो बात हमें कहनी है वह सामने होते तो ज्यादा एम्फेटीकली समझ पाते और जवाब दे पाते। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि केवल बारिश की कमी उसका कारण नहीं है। उसका कारण यह भी है कि सरकार ने जो नीति अपनाई है पावर को देने की उसके अन्दर जो नार्मल लोड फैक्टर लेकर डिपार्टमेंट चलता था और पानी के लोड फैक्टर के अनुसार एवरेज ६० परसेंट लोड फैक्टर के ऊपर पानी डिस्पोज ऑफ होगा उस बुनियाद पर सारी स्कीम बन जाती है और चम्बल में यह मानकर चले कि हमारे ६० परसेन्ट लोड फैक्टर पर इतने पानी का डिस्चार्ज होगा, यह मानकर सारी योजना थी। लेकिन उपाध्यक्षजी, खेद की बात है कि अकेले डी० सी० एम० कन्सर्न को हमारी सरकार ने ही नहीं सारी सरकार

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

को भी नहीं कहें, हमारे मुख्य मंत्रीजी ने और विद्युत मंत्रीजी ने लोगों से विशेष तौर से प्रभावित होकर ९० परसेन्ट लोड फैक्टर उन लोगों को ४०,००० किलोवाट का बिजली का कन्जम्प्शन उनको दे दिया। उपाध्यक्षजी, इस बात के लिए डी० सी० एम० ने हमारे यहां के एक रिटायर्ड ऑफिसर, मेजर दौलतसिंह को अपने यहां नौकर रखा है और यह रिटायर्ड हैं और हमारे विद्युत मंत्रीजी उनसे खास तौर से प्रभावित हो जायेंगे इसलिए उनको रखा है। उपाध्यक्षजी, डी० सी० एम० के मालिक हैं, श्री भरतराम और श्री चरतराम। उनकी सुखाड़ियाजी से दोस्ती है। उन्होंने सुखाड़िया जी को पकड लिया और दौलतसिंह जी को पकड़ लिया और उनकी वजह से राजा हरिश्चन्द्रजी को पकड़ लिया और हमारे यहां जो कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसका ५० परसेन्ट रेट कम पर यानी ३ नं. पै० यूनिट के ऊपर राजस्थान के एक्सचेकर की परवाह न करते हुए उनसे एग्रीमेन्ट कर लिया। कहते यह हैं कि यह एग्रीमेन्ट इसलिए किया गया कि यह कन्टीनुअस कन्ज़म्प्शन है और जिस समय कोई हमारा कन्ज़म्प्शन नहीं हो उस समय हमारा खर्चा उतना ही होगा। इसलिए हमें यह फायदेमंद पड़ेगा, ऐसा मंत्री जी का कहना है।

मैं कहता हूं कि यह गलत प्रपोजीशन है, टेक्नीकली गलत समझ है। अगर थर्मल पॉवर की बात होती तो बात समझ आ सकती थी लेकिन हाइडल पॉवर स्टेशन पर, जहां उतना कन्जम्प्शन नहीं है तो एक टर्बाइन को बन्द किया जा सकता है और उतने पानी का डिस्चार्ज कम हो सकता है। उस पानी के डिस्चार्ज को इसलिए कम नहीं कर सके कि चूंकि ९० प्रतिशत लोड फक्टर पर डी० सी० एम० ४०,००० किलोवाट देने के लिए हमारे मुख्य मंत्री जी और विद्युत मंत्री जी ने ३ न. पै. पर एग्रीमेंट कर रखा है इसलिए जो ६० परसेंट पानी के डिस्चार्ज का सवाल था उसके बजाय ९० परसेंट पर चलाना पड़ा। जो पानी सेव हो सकता था वह नहीं हो सका और सारे को यह कहकर चलाया जा रहा है कि हमारे यहां बारिश नहीं हुई इसलिए वाटर सप्लाई कम हो गई और बिजली की कमी हो गई। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह से दोस्ती को निभायें–चाहे सुखाड़ियाजी हों चाहे राजा हरिश्चन्द्रजी हों लेकिन राजस्थान की जनता के ऊपर इस तरह का बोझ पड़ा और उनको ५० परसेन्ट कन्सेशन में देकर क्राईसेस को बढ़ाया तो यह क्रिमिनल नेग्लीजेन्स है और इसकी बाकायदा टैक्नीकल एक्सपर्ट के जरिये इस बात की इन्क्वायरी की जाये। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस बात की इन्क्वायरी करें तो पता चल जायेगा कि यह वास्तव में ३ न० पै० पर जो एग्रीमेंट किया है वह कहाँ तक सही है। यह राजस्थान के हित में है या अहित में है। यह ठीक है कि बारिश कम हो गई लेकिन आपने भाखरा से अपना हिस्सा लेने का क्या प्रबंध किया ? जो हिस्सा १५.९ परसेन्ट मिलना चाहिए था क्या वह हमने अपना हिस्सा ले लिया है ? आप लोगों की उदासीनता से और सरकार की उदासीनता से हम वह हिस्सा आज तक नहीं ले पाये हैं और मैं सरकार को बता दूं

Page No.63

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

शायद सरकार को मालूम हो या नहीं पंजाब सरकार आपको मूर्ख बना रही है । आपसे हिस्सा तय किया है ६० परसेंट पर ६० परसेन्ट वह अपने यहां पर चला रही है । एक स्टेन्ड बाई न रखकर सारी की सारी यूनिट उसके ऊपर चल रही हैं। मैं कहता हूं कि जो सरप्लस बिजली और पैदा कर रहे हैं और ६० परसेन्ट लोड फैक्टर के बजाय ६० परसेन्ट लोड फैक्टर पर चला रहे हैं उसका हिस्सा आपको मिल रहा है क्या ? नहीं मिल रहा है। आपको मालूम भी नहीं है। चुपचाप यह सारी कार्यवाही हो रही है। आप सेन्ट्रल पॉवर बोर्ड से रेकॉर्ड मंगवाइये, उनके पास सारे फिगर्स जाती है। यदि आप यह फिगर्स मंगवाते हैं तो आपको अपना हिस्सा कहीं ज्यादा मिलेगा। यह अच्छी बात है कि आपको कुछ बिजली मिली है, लेकिन आपका जो हिस्सा १५.६ परसेन्ट है उससे आप कहीं एक्सीड नहीं हुए हैं।

उपाध्यक्ष जी, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि इधर तो इनकॉम्पीटेन्सी और फेवरटिज़्म और दूसरी तरफ पॉलीसी, लेबर के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन की पॉलीसी, अपने चहेतों को पैदा करने की पॉलिसी, उन लोगों की क्रिमिनल नेग्लीजेन्स के ऊपर पर्दा डालने की पॉलिसी भी हमारे पॉवर क्राइसिस का कारण है। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि हमारे जयपुर के थर्मल पॉवर हाउस में एक टर्बाइन जल गया उसके लिए कौन जिम्मेदार है ? आज सरकार के निकम्मेपन से टर्बाइन लाखों की कीमत का और वह भी इस क्राइसिस के अन्दर जहां आज मांगते फिर रहे हैं कहीं पंजाब से और कहीं मध्यप्रदेश से आपने टरबाइन को जला दिया है। उपाध्यक्षजी, उस टर्बाइन में ऑइलिंग का और कूलिंग का अरेंजमेन्ट होता है उस सिस्टम को चेक नहीं किया गया उसमें चेक नहीं करने से व पानी की वजह से उसमें थोड़ा सा रस्टिंग हो जाता है, उसको साफ नहीं किया गया और किसकी वजह से ? केवल इस नेग्लीजेन्स की वजह से वह सारा जल गया । वजह क्या है कि जो वहां उस सेक्शन में काम करने वाले हैं वह हमारे विद्युत मंत्रीजी के चहेते है, दामोदर एण्ड कम्पनी के साथ मिनिस्टर साहब के साथ दावतें खाते फिरते हैं, लीडरी करते फिरते हैं। मिनिस्टर साहब उनके खिलाफ एक्शन कैसे ले लें ? उनके द्वारा युनियनें बनाई जाये, उनके आधार पर राजाजी की जय बुलाई जाय, उनके आधार पर उनका आदर सत्कार हो उनके खिलाफ वे एक्शन कैसे लें ? और उनको आइल क्लीनिंग के सेन्टर्स देखने की और साफ करने की फुर्सत कहां से मिले, क्योंकि राजा साहब के साथ लीडरी करने का उनको ज्यादा शौक पैदा हो गया है। उसकी वजह से, उपाध्यक्ष महोदय, हमारा यह टर्बाइन जल गया। एक तरफ तो एग्रीमेंट की वजह से क्राइसिस हुआ और दूसरी तरफ जेनरेशन का जितना हमारे पास पोटेन्शियल था उसमें उल्टी और कमी हो गई । इस कारण आज हमारे यहां पॉवर की यह स्थिति है।

(१.४२ म० प०)

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत, सभानेत्री, पदासीन)

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

सभापति महोदया, यही हाल सतपुड़ा पॉवर प्रोजेक्ट के बारे में है, उसमें हम हिस्सेदार हैं ५० परसेन्ट के। हमको उसमें से हिस्सा मिलना चाहिये । वह कमीशन होने वाला है। क्या आपने अपनी ट्रान्समिशन लाइन डालने का इन्तजाम किया है ? जैसे पंजाब से आपको जवाब मिल गया है वैसे वहां से भी आपको शो कॉज़ नोटिस आने वाला है, मैं आपको बतलाता हूं कि आप ट्रान्समिशन लाइन डाल कर ले जाओ अपना हिस्सा वर्ना किसी दूसरे को दे देंगे। फिर आपको ५ वर्ष के बाद इन्तजाम करना पड़ेगा। जिस तरीके से पंजाब से अपना हिस्सा नहीं ले सके उसी तरह से सतपुड़ा में भी हम बैठ रह जाने वाले हैं।

पौंग डेम और सकेती का क्या तय हुआ है ? तय कराया है कुछ हिस्सा अपना ? यह तो माना हुआ प्रिन्सिपल है कि जितना पानी लोगे उतनी परसेन्ट में बिजली मिलेगी। पानी तो हमको मिलने वाला ही है पौंग और सकेती से, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि पॉवर का कितना हिस्सा आपने रिर्जव कराया है ? वह सिर्फ एक गोल अंडा है। आपको अपना हिस्सा लेना चाहिए क्योंकि आपने उसमें खर्च में हिस्सा लिया है और अभी से आप कार्यवाही करेंगे तो वक्त पर आपको अपना हिस्सा मिल सकेगा उसमें से।

सभापति महोदया, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में, मुझे इस बात की तो खुशी है कि अपनी सरकार की श्रम नीति के फेल्योर को, असफलता को, उन्होंने खुले शब्दों में स्वीकार किया है कि भाई इस मंहगाई के कारण और जो गम्भीर समस्याएं हुई हैं उसमें हम हड़ताल वगैरह को नहीं रोक सके हैं। यह बात सही है कि बड़ी समस्यायें छोटे दिमाग से हल नहीं हो सकतीं। इससे ज्यादा और क्या राज्यपाल महोदय खुले शब्दों में अपनी गवर्नमेंट का कन्डेम्नेशन कर सकते थे। इसकी वजह से, हड़ताल होने की वजह से अशांति हुई, इस बात को सरकार ने खुद ने स्वीकार किया है। मंहगाई हुई । महंगाई के कारण आपने दो नारे दिये कि होल्ड दी प्राइस लाइन। बहुत अच्छा मजदूरों ने कहा, कर्मचारियों ने कहा, प्राइस लाइन होल्ड कर दीजिये बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप प्राइस लाइन होल्ड नहीं कर सके। उन्होंने कहा कि प्राइस होल्ड नहीं कर सके तो करेस्पोंडिंगली हमारी वेजे इन्क्रीज कीजिये, डी०ए० इन्क्रीज कीजिये। जब बड़ा शोर मचा तब आपने एक कमेटी बनाई, माथुर कमेटी और एक अन्तरिम रिलीफ आपने ५) रु० का दिया जिसका कि आप रोज गुण गाते हैं और जिन लोगों के लिये आपने राजस्थान की जनता का गला काटकर ३ पैसे में एग्रीमेंट कर लिया, उन पूंजीपतियों ने आपके उस कानून का, आपके उस निर्णय की धज्जियां बिखेर दी और ५) रु० भी मजदूरों को ऐसे संकट के समय राजस्थान के अन्दर उन उद्योगपतियों ने वह ५) रु० का अतन्रिम रिलीफ नहीं दिया। इस भाषण में कहा गया है ३२ संस्थानों द्वारा इस तरीके का रिलीफ दिया गया है। मैं कहता हूं कि वह गलत है। अगर सही है तो नाम दीजिये कि कौन कौन से वे ३२ संस्थान हैं। केवल दो संस्थानों ने इधर तो एन. बी. सी. और एक भरतपुर की सिमको वैगन फैक्ट्री ने दिया

(रामानन्द अग्रवाल)

है। वहां पर भी मजदूरों ने लड़ कर लिया है और उनमें भी केवल उनकी हाजरी की बुनियाद पर एक बोनस के रूप में दिया गया है। एक पर्टीक्यूलर हाजरी जिन लोगों की नहीं है उनको नहीं दिया गया है। इसलिए आप सारे राजस्थान के अन्दर निजी उद्योगों से वह ५) रु० भी नहीं दिलवा सके। यह आपके निकम्मापन का सुबूत है, यह आपकी इनकॉम्पीटेन्सी है। आप कहेंगे कि हम क्या कर सकते हैं? एक लेखक ने कहा है कि कोई आदमी मूर्खता कर दे तो वह क्षम्य है, लेकिन मूर्खता करने के बाद वह यह नहीं समझे और बताने पर भी यह नहीं समझे कि मैंने मूर्खता की है तो इसके लिए सिवाय सिम्पेथी के और कुछ नहीं कहा जा सकता।

श्री मथुरादास माथुर (विधि मंत्री) : यह तो आप धीमे से ही कह दें।

श्री रामानंद अग्रवाल : इतनी आपको शर्म आती होती तो बात ही क्या थी? जोर से इसलिए कहना चाहता हूं कि आपको सुनने की आदत नहीं है, आपको देखने की आदत नहीं है। गांधीजी तीन बन्दर आपको दे गये थे तो एक बन्दर के लिए तो उन्होंने कहा था कि कुछ भी बुराई मत सुनो, दूसरे के लिए कहा था कि बुराई मत देखो और तीसरे के लिए कहा था कि बुरा मत बोलो। आप बुराई शब्द तो भूल गये और आपने उसका उल्टा अर्थ ले लिया कि भलाई मत सुनो, भलाई मत देखो, भलाई मत बोलो। ये तीन बन्दर उल्टी तरह के आप लोग अपने अपने घरों के अन्दर रखे हुए हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : यहां तो दो ही बैठे हुए हैं, तीसरा गायब है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसीलिये मुझे चिल्ला चिल्ला कर कहना पड़ता है ताकि आपके कान के पर्दों तक कुछ पहुंच जाय। गांधीजी की और बातों को नहीं मानते हैं शायद इसको भी कुछ समय नहीं मानकर कुछ ठीक सुन लें इसलिये कह रहा हूँ जोर से, वर्ना मुझे आहिस्ता भी कहने की आदत है और कह सकता हूं लेकिन मैं देख लेता हूं कि कौन सामने बैठा है कैसा बैठा है उसके लिए जोर की जरूरत है या आहिस्ता की जरूरत है।

सभापति महोदय, मैं यह अर्ज कर रहा था कि एक मुवस्सिर ने दो तस्वीरें बनाई, दिखावट में एक जैसी। एक में कान में सीधी लकीर थी कि इधर से डालो तो उधर निकल जाय और एक के कान में ऐसी थी कि इस कान में डालो तो दिमाग में होकर निकले। उसमें से एक की कीमत ५ हजार रुपये थी और एक की कीमत दो आना। मुझे तो यह दिखता है कि दो आने वाली तस्वीरें सामने बैठी हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : ५ हजार वाली कहां हैं?

श्री रामानन्द अग्रवाल : सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता था कि ऐसे गम्भीर समय में जब कि एक तरफ तो खाद्य-संकट को सरकार हल नहीं कर

Page No.66

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

सकी जिसके कारण जो श्रमिकों के अन्दर समस्याएँ पैदा हुई ...

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : माननीया सभापति महोदय, बड़े ज्ञान की बातें सुना रहे हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : लेकिन सुना अज्ञानियों को रहे हैं।

श्री रामानंद अग्रवाल : डियरनेस को प्राइस इन्डेक्स के साथ लिंक करके मिनिमम वेजेज लोगों के रिवाइज करने के बारे में सरकार ने अलग रुख अपनाया हुआ है। सभापति महोदया, सन् १९५९ के मिनिमम वेजेज हमारे राजस्थान में अभी तक चल रहे हैं। वह ४५ रु० प्रति माह मिनिमम वेजेज के हमारे यहां मुकर्रर हुए थे सन् १९५९ में। अब कितनी महंगाई हुई है और कितना जमाना निकल गया और सरकार ने रिवीजन के लिए रिवीजन कमेटी मुकर्रर की, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी। फिर वह मामला एडवाइजरी बोर्ड में गया और एडवाइजरी बोर्ड ने अपनी रिकमन्डेशन्स दे दीं। हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पिछले साल १८ फरवरी को लेबर एडवाइजरी बोर्ड में यह आश्वासन दिया था कि जैसे ही एडवाइजरी बोर्ड की रिकमन्डेशन्स आयेंगी उनको लागू कर दिया जायगा, लेकिन अफसोस की बात है कि पिछले सितम्बर महीने से वे पड़ी हुई हैं रिकमन्डेशन्स की हुई, लेकिन उनको सरकार लागू नहीं करना चाहती। उनको आज तक लागू नहीं किया। उधर माथुर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित हुई है....

श्री मथुरादास माथुर : उनको लागू कर दिया।

श्री रामानंद अग्रवाल : लागू नहीं किया है, आपका कहना गलत है। आप बताइये कौनसे धंधे में लागू किया है। इसमें कहा है कि लागू कर दिया है लेकिन मैं चैलेन्ज करता हूं कि किसी भी धंधे में आपने लागू नहीं किया है। मिनिमम वेजेज रिवाइजिंग कमेटी बैठी है, उसकी रिपोर्ट आई है लेकिन किसी को लागू नहीं किया...

श्री मथुरादास माथुर : हो रही है।

श्री रामानंद अग्रवाल : हो रही है; यह तो लम्बी पूंछ है हनुमानजी की तरह कितनी ही बढ़ती चली जायगी। सरकार की बेईमानी को नीयत यह मालूम पड़ती है, माथुर कमेटी ने सेन्ट परसेन्ट न्यूट्रेलाइजेशन का कहा, सेन्ट परसेन्ट बढ़ाने का कहा...

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : (मुख्य मंत्रीजी के सदन में आने पर) तीसरी मूर्ति भी आ गई।

श्री रामानंद अग्रवाल : तीनों पूरे हो गये गांधीजी के...

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : सभापति महोदया, मैं आपके सामने कहना चाहता हूं कि हद होती है एक चीज की। इसी भाषा में यदि बात करनी है तो बहुत अच्छी तरह से इधर भी की जा सकती है, तमाशा बना रखा है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : एडवाइज़री बोर्ड्स द्वारा अपनी रिपोर्ट भेज देने के बाद और मुख्य मंत्रीजी के आश्वासन के बाद कि जैसी रिकमन्डेशन आयगी उनको लागू कर दिया जायगा, लेबर एडवाइज़री बोर्ड के कहने के बावजूद कितने ही महीनों से रिपोर्ट आई हुई है लेकिन उसको लागू नहीं किया। इसमें भी सरकार का मकसद है. सरकार का एक मोटिव है इसको रोकने के पीछे सभापति महोदया, वह यह है कि सरकार ने माथुर कमेटी बनाई, उस माथुर कमेटी ने और गड़बड़ियों की रिपोर्ट की न की लेकिन एक बात अच्छी कही है कि सेन्ट पर्सेन्ट न्यूट्रलाइज़ेशन हो, जितनी मंहगाई बढ़ी उतना ही मंहगाई भत्ता बढ़ना चाहिये। सरकार की यह नीयत है कि वह पहले, पहले वाली चीज को लागू कर दे ताकि ४५ पर्सेन्ट पर न्यूट्रलाइजेशन हो ताकि नई कमेटी ने जो ६०-६५ किया है वह न हो। यदि पहले सरकार नोटिफाइ कर दे और बाद में माथुर कमेटी की रिपोर्ट को लागू करे तो मजदूरों को ६०-६५ रुपए की बुनियाद पर डीयरनेस अलाउन्स न देना पड़े। इसलिये सरकार उनको पीछे रखना चाहती है। हम समझेंगे मुख्य मंत्रीजी अभी कर दें घोषणा या अपने भाषण में कर दें कि सरकार की नीयत ऐसी नहीं है। मिनिमम वैजेज़ कमेटी की रिकमन्डेशन को लागू करेंगे और नई रिवाइज्ड पे पर सेन्ट पर्सेन्ट न्यूट्रलाइजेशन मिलेगा। सरकार इसको रोके हुए है, हिचकिचा रही है और मजदूर आन्दोलित हो रहे हैं, लाल झण्डे वाले ही नहीं, अब तो तिरंगे झण्डे वालों को भी आन्दोलित होना पड़ता है, जलसे और जुलूस निकालने पड़ते हैं बहरे कानों तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिये। इन्टक के मजदूर और दूसरे सारे मजदूर आज बगावत कर रहे हैं क्योंकि आप उनकी बात सुनते नहीं हैं; तब उनको जलसे और जुलूस निकालने पड़ते हैं तब भी आपकी आंखें नहीं खुलीं। यही कारण है कि इस तरह की अनरेस्ट हो रही है। यदि आप अनरेस्ट मिटाना चाहते हैं तो एक्शन ले सकते हैं। वेस्ट बंगाल गवर्नमेन्ट ने डिफेन्स ऑफ इंडिया रूल्स की तहत दिला दिया, आप भी ५)रु. दिला सकते हैं और मजदूर नहीं मानें तो हम क्या करें। साधारण-सा रिलीफ भी आप नहीं दे सकते। मैं समझता हूं इस बात से सरकार सबक ले कि आयन्दा अनरेस्ट पर काबू करना है और औद्योगिक पैदावार बढ़ानी है तो सरकार इफेक्टिव कदम ले उनका अलाउन्स बढ़ाने के बारे में।

इसी तरह सरकारी कर्मचारियों का प्रश्न है। कर्मचारी चिल्लाते हैं तनख्वाह और डीयरनेस अलाउन्स बढ़ाने के लिए। केन्द्रीय सरकार ने जो डीयरनेस अलाउन्स किया है वह डीयरनेस अलाउन्स ये लोग भी मांग रहे हैं और यह मांग रहे हैं कि सस्ती कीमत पर दूकानें चलाई जानी चाहिये, लेकिन आप उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, उनको कुछ देना नहीं चाहते। मुख्य मंत्रीजी के पास जाते हैं तो वे कहते हैं फाइनेन्स मिनिस्टर से मिलो और फाइनेन्स मिनिस्टर बेताज के बादशाह हैं, अखबारों में पढ़ा होगा उन्होंने कैसा व्यवहार किया। शर्म आती है सुन कर। जनता के नुमायन्दों की गवर्नमेन्ट है वे इस तरह के अभद्र शब्दों में कर्मचारियों के साथ व्यवहार करें यह आश्चर्य की बात है। फिर आप कहते हैं कि लोग में अशान्ति हो रही है, हड़ताल हो रही है,

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

तो फिर लोग करें क्या; आपमेमोरेन्डम नहीं सुनते, प्रस्ताव नहीं सुनते, मिलने पर अभद्र व्यवहार करें तो आखिर लोगों के पास रास्ता क्या है ? भूखों मरते कोई न कोई एक्शन तो उनको लेना पड़ेगा...

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : वित्त मंत्रालय के कौन से कर्मचारी ने शिकायत की है ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : वे जुलूस निकाल रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, पब्लिक मीटिंग्ज़ कर रहे हैं । आपकी आंखें नहीं खुलीं तो पता नहीं क्या करना पड़े, हालांकि वे नहीं चाहते; लेकिन मजबूर होकर कुछ करना पड़ेगा । उनकी मीटिंग में सुना है, योजना मंत्रीजी भी गये थे और उन्होंने उनसे कहा कि लिस्ट बना कर दो, कौनसी चीजें सस्ती चाहते हो । उन्होंने २२ चीजों की लिस्ट भी बना कर दी, लेकिन पता नहीं कहां गई वह लिस्ट ? वायदे करते आ रहे हैं.......

श्री मथुरादास माथुर (विधि मंत्री) : सभापति महोदया, यह मैं साफ कर दूं...

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह नगर) : बाद में कर देना।

श्री मथुरादास माथुर : गलत बात कह रहे हैं उसका निराकरण यहीं हो जाना चाहिये । मेरे पास गवर्नमेंट एम्पलोईज़ की कोऑपरेटिव सोसाइटी चलती है उसके सिलसिले में उनके प्रतिनिधि आये थे। उनको कई कोमोडिटीज़ नहीं मिलती हैं उस सिलसिले में उन्होंने मुझसे कहा था । मैंने उनसे कहा था कि एडीशनल रजिस्ट्रार से मिल लीजिये जो चीजें नहीं मिलती हैं उनको उपलब्ध कराने का प्रयत्न करेंगे । बाकी रही मंहगाई की बात । उस बारे में माथुर कमेटी की रिपोर्ट पर क्या पैटर्न होगा, क्या नहीं; यह सरकार के विचाराधीन है । ये दो बातें हुई थीं ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : कोऑपरेटिव तो और भी बन सकती हैं। जो चीजें मंहगी मिलती हैं उनकी समस्या हल करने के लिये आप सब्सिडाइज़ करें तो यह समस्या हल हो सकती है आपने इसको हल नहीं किया । तो मैं निवेदन कर रहा था कि श्रम नीति सरकार की साधारण बातों में भी नाकामयाब रही है । अब भी अभिभाषण में सरकार की क्लीयरकट नीति डिक्लेयर्ड नहीं है । ऐसी आशंका लगती है कि सरकार ढंग से तय नहीं करेगी तो और भी बुरी हालत राजस्थान की होने की संभावना है ।

सभापति महोदया, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें फ्लड कंट्रोल की बात कही है । राजस्थान में काफी फ्लड्स का सामना करना पड़ा लेकिन आश्चर्य होता है कि जो बात हुई है सरकार उस पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है । मुझे अपने जिले हरसोरा के बांध की बात कहनी है । बदकिस्मती से एक बार पहले बना था वह साफ हो गया, फिर बना और इस बार वह दुबारा साफ हो गया । सरकार की तरफ से

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

यह कहा गया कि वहां के गांवों के किसानों ने ब्रीच करके पाल को काट दिया इसलिये बह गया, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि यह सरासर गलत है और डिपार्टमेंट ने अपने कारनामों को छिपाने के लिए यह बात कही है। वास्तविकता यह है कि वहां पर जो गाज रीडर रहता था उसने कम से कम १०-१५ दिन पहले यह रिपोर्ट कर दी थी कि बांध की पाल में से पानी चूना शुरू

(२.०० म० प०)

हो गया है और इसके ऊपर मिट्टी डलवाई जाय। लेकिन उसके ऊपर मिट्टी नहीं डलवाई गई और उस बात को दर-गुजर कर दिया गया और इन्जीनियर साहब के जाने के लिए फेयर वेदर रोड बनाने के लिए, उनके जाने के लिए, अच्छा रास्ता बनवाने के लिए डाइवर्ट करके सारा लेबर वहां लगा दिया गया। एक एम. एल. ए. सतीशकुमार वहां पर्सनली मिले असिस्टेंट इन्जिनियर से। उन्होंने कहा मैं खुद वहां होकर आया हूं, खतरनाक स्थिति है। फौरन इन्तजाम करके मिट्टी डलवाइये। लेकिन फिर भी मिट्टी नहीं डलवाई गई। इस वजह से ब्रीच हो गया। उसके बाद वहां इन्क्वायरी करने के लिए सुपरिंटेंडिंग इन्जीनियर गये, दुर्गाप्रसाद जी गये, एक दो आदमियों को साथ लेकर गये। लेकिन अफसोस की बात है कि वहां पर जबरदस्ती लोगों से यह बयान लेने की कोशिश की गई, कर्मचारियों को जबरदस्ती यह बयान लेने की कोशिश की गई कि वास्तव में गांव वालों ने तोड़ा है। लेकिन गेज रीडर ने यह कहने से इन्कार कर दिया; उस बेचारे के खिलाफ एक्शन हुआ, उसको धमकाया गया, लेकिन उसने इस तरह का बयान नहीं लिख कर दिया। और फिर गवर्नमेंट ने उन गांव वालों के खिलाफ मुकदमें चलाने की कोशिश की। वहां के एस० पी० साहब से कहा कि इनके खिलाफ मुकदमे चलाओ। मैं एस० पी० साहब से बात करने गया। मैंने पूछा—आपकी क्या ओपिनियन है। उन्होंने कहा—मैं गांव में दौरा करके आया हूं, यह गलत बात है कि गांव वालों ने तोड़ा है। वास्तव में डिपार्टमेंट से सही वक्त पर एक्शन नहीं लेने से टूटा है। मैं मुख्यमंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि उस गेज रीडर को बुलवा कर खुद बात करें कि वास्तव में क्या तथ्यपूर्ण बात है और उसके बाद उन तमाम अधिकारियों के खिलाफ, जिन्होंने उदासीनता और क्रिमिनल नेग्लीजेन्स दिखाई, सख्त से सख्त सजा देने की कार्यवाही की जाय। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह की कार्यवाही लगातार हमारे सामने हुई है और सरकार की तरफ से उनमें से बच कर निकल जाने का रवैया अपनाया जाता रहा है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं अभी पांच मिनट में समाप्त कर दूंगा।

मैं अन्त में यह कहूंगा कि राज्यपाल महोदय ने अपने इस अभिभाषण में कहा है कि हमने जनतंत्र की नींव बड़ी मजबूत की है। लेकिन अगर जनतंत्र की नींव मजबूत करने का मापदण्ड इसी से हो कि पंचायत चुनावों में कांग्रेस कामयाब हो गई या बाई

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

इलेक्शन में कांग्रेस बहुत वोटों से कामयाब हो गई......

श्री रघुनाथ बिश्नोई : हुई है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : और कांग्रेस कामयाब हो जाती है तो जनतंत्र की नींव मजबूत होती चली जाती है। और अगर दूसरे कामयाब हो जायं तो जनतंत्र की नींव कमजोर हो जाती है...

श्री मथुरादास माथुर : यह नहीं कहा !

श्री रघुनाथ बिश्नोई : यह किसी ने नहीं कहा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह मापदण्ड जनतंत्र की नींव के मजबूत होने को, सभापति महोदया, नापने का नहीं है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : यह किसने कहा ; आपने कहा है ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं निवेदन करना चाहता हूँ, जिस तरह एक्शन्स सरकार की तरफ से हुए और जिनके कुछ उदाहरण मैंने आपके सामने दिये कि लोगों को यह कहा गया कि या तो यह करो वरना आपको सहायता नहीं मिलेगी...

श्री रघुनाथ बिश्नोई : यह किसने कहा ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : या तो यह करो वरना आपको सहायता नहीं मिलेगी। अगर कांग्रेस का आदमी जीत कर आयेगा तो कुछ हो सकेगा काम। और नहीं जीत कर आयेगा तो नहीं होगा। यह जो रवैय्या है, हो सकता है कि क्षणिक उसका लाभ आपको मिले। यहां तक हुआ कि एक मिनिस्टर महोदय तो अपनी नई नई उमंगों में इस बात का प्रचार कर आये बानसूर में, वे अपने पुराने इतिहास को भूल गये, अपनी परम्पराओं को भूल गये राज्य से लड़ने की, और उन्होंने कहा—किसान को राज से और राम से नहीं लड़ना चाहिए। मुझे अफसोस हुआ कि १९६५ में कुम्भारामजी किसान को यह उपदेश देते हैं तो फिर क्या किसान यह समझे कि जो अंग्रेजों के खिलाफ वह लड़ा, जो राजाओं के खिलाफ वह लड़ा—वह किसान की गलती थी ? आज कांग्रेस का राज्य हो या और किसी का राज्य, क्या गांधीजी ने गलत बात बताई थी कि जो अत्याचार करे उसके खिलाफ लड़ो ? यह बात अलग है कि एक पर्टीक्यूलर पोइन्ट अत्याचार है या नहीं, इसमें दो राय हो सकती है। लेकिन कम से कम हम उम्मीद करते हैं कि जो आजादी की लड़ाई में लड़े हैं—वे चाहे राज्य में बैठे हों या अपोजीशन में बैठे हों—उनके मुंह से यही निकलना चाहिए कि अत्याचार के खिलाफ लड़ना चाहिए चाहे कितनी ही कुर्बानी हो। अफसोस की बात है, गद्दियों पर बैठ कर आज नौजवानों को यह सबक सिखाने लगे कि राज्य से मुकाबला करना भारी गलती है, राज्य से विरोध करना अपने आपको खतरे में डालना है। मैं कहना चाहता हूँ कि अगर इस बात का जनता के ऊपर असर है, आपकी

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

अच्छाइयों की वजह से वोट लोगों ने दिये हों...

श्री रघुनाथ बिश्नोई : यही बात है।

श्री रामानंद अग्रवाल : आपकी कामयाबी हो जाती है तो उससे जनतंत्र की नींव मजबूत हो सकती है। लेकिन अगर इस तरह बात करके वोट लेते हैं और लोग आपको इस तरह डर कर वोट देते हैं तो आप चाहें ९९ प्रतिशत सीट ले लें और ९९ प्रतिशत वोट से जीत कर आ जाय, आप इसे बहादुर की कौम नहीं बना रहे हैं, आप कायरों की कौम बना रहे हैं, आप सफेद झंडे दिखाने वाली कौम जनता को बना देंगे। आज वह आपके सामने सफेद झंडे दिखाती हैं तो कल दूसरे के सामने सफेद झंडे दिखाने लग जायगी। इस तरह अपने ही एडवान्टेज के लिए इस तरह की बात कहना, मैं समझता हूं, जनतंत्र का गला घोटने की बात है।

सभापति महोदया, कामां के अन्दर जहाजरानी मंत्री केन्द्रीय सरकार के गये। आपस की आपकी पार्टी की लड़ाई और फूट थी। कुछ लोगों ने उनके साथ वहां अभद्र व्यवहार कर दिया। लेकिन आप अपोजीशन पार्टी के लोगों को गिरफ्तार करते हैं, कम्युनिस्ट और समाजवादी पार्टी के लोगों को गिरफ्तार करते हैं और उनके साथ जूते, डंडे और घरों के अन्दर बिना सर्च वारन्ट के जाकर तलाशी वगैरह लेने का—इस तरह से व्यवहार करते हैं। आप यह असर डालना चाहते हैं कि विरोधियों के साथ यह व्यवहार होगा। जो एम. एल. ए. हैं, मोहनलालजी सारस्वत, उनके साथ जिस तरह का व्यवहार हुआ है उसको मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूं। इसी तरह, सभापति महोदया, हमारी कम्युनिस्ट पार्टी के उन लोगों को, जो अपने को लेफ्ट मार्क्सिस्ट कहते हैं, गिरफ्तार किये हैं। उनकी नीतियों से, हम सबसे एग्री नहीं करते हैं, हमारा भी उनसे मतभेद है, लेकिन मतभेद की बात अलग है। जनतान्त्रिक बात यह है कि आपके पास ठोस तथ्य हों, आप उन पर मुकदमा चलायें और उनका दोष हो तो उनको कठोर से कठोर दंड दें; जैसा कि उनके खुद के सैक्रेटरी ने कहा है। अगर आपके पास तथ्य हैं तो उन पर अदालत में मुकदमा चलाया जाय। आप मुकदमा चला सकते हैं, लेकिन आप मुकदमा नहीं चलायें और एमरजेन्सी का नाम लेकर, डिफेन्स ऑफ इंडिया रूल्स का नाम लेकर उनको जेलों में रखें, यह उचित नहीं है।

जहां तक हमें जानकारी मिली है, उन लोगों के साथ जेलों में व्यवहार ठीक नहीं हो रहा है। उनकी फेमिलीज परेशानी में हैं, उनको किसी तरह का फेमिली एलाउन्स नहीं मिलता है।

क्या वे दुश्मन हैं आपके ? वे लोग आपके राजनैतिक विरोधी हैं तो उनके साथ राजनैतिक विरोधियों का सा व्यवहार होना चाहिए....

श्री रघुनाथ बिश्नोई : देश के गद्दार हैं। देश के गद्दारों के साथ यही वर्ताव होता है।

Page No.72

श्री रामानन्द अग्रवाल : देश के गद्दार हैं तो जरूर सजा दीजिये, मुझे आपत्ति नहीं है। लेकिन अदालत के सामने उन्हें अपने केस को रखने का मौका दीजिये और अगर उनकी गद्दारी साबित हो जाय तो उनको सजा दीजिये। और अगर आपकी गलती साबित हो जायगी तो वास्तविकता सामने आ जायगी। मैं कहना चाहता हूं कि जनतंत्र की नीव मजबूत कुछ परम्पराओं से होती है कुछ अपोजिशन के समझने से होती है, कुछ गवर्नमेंट के समझने से होती है। लेकिन आज जिस तरह से शासन को चला रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन से, पार्शिलिटी से, नेपोटिज़्म से उनसे आपकी बेसिक नीति पर असर पड़ रहा है और भारी असर पड़ रहा है और इसके गम्भीर परिणाम हुए हैं और हो रहे हैं।

सभापति महोदया, इन शब्दों के साथ में, जो यह धन्यवाद का प्रस्ताव रखा गया है, उसका तीव्र विरोध करते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्रीमती सभानेत्री : श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा !

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बीनसूर) : चेयरमेन महोदया, मेरे खिलाफ जो पर्सनल चार्जेज लगाये गये हैं उनका मैं स्पष्टीकरण करना चाहता हूं।

श्रीमती सभानेत्री : करिये।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : आदी हैं चार्ज लगाने के।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सभापति महोदया, मुझे इस बात का बड़ा अफसोस हुआ है कि अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने मेरे खिलाफ झूठे और बेबुनियाद चार्ज लगाए हैं और मैं समझता हूं, वे इस बात को जानते हैं और वे ही नहीं बल्कि अलवर के अलावा सारे राजस्थान में लोग इस बात को जानते हैं कि कभी भी मैंने अपने जीवन में नाजायज काम करने की या चन्दा इकट्ठा करने की कभी कोशिश नहीं की है और न आगे कभी करूंगा ....

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : आपके बारे में यह रेपुटेशन है....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह-नगर) : तालियां।

श्री रामानन्द अग्रवाल : लेकिन आपके दूसरे कलिग्स के बारे में सोचिये, आपकी जैसी रेपुटेशन है क्या ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आप शांति रखिये, आप तसल्ली रखिये। आप कह चुके हैं। अब मुझे कहने दीजिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : फर्माइये।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं फर्मा रहा हूं। आप तसल्ली रखिये। आपको समझ गया हूं मैं। कल से देख रहा हूं। समझ गया हूं आपको।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं आपको परसों से देख रहा हूं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्त : जी हां, जी हां, तसल्ली रखिये। यह ठीक है।

माननीय सदस्य ने, जो व्यापारी गिरफ्तार हुए, उनके बारे में बात कही। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि खेरतल के व्यापारियों के साथ सरकार ने कितनी ज्यादती की है और आज भी कर रही है। मैं उसको डिफेन्ड नहीं करता, जो सरकार कर रही है। मैं मानता हूं कि सरकार ने उसके साथ सख्ती

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

से वर्ताव किया है। आज भी लाखों मन अनाज मन्डी के अन्दर सीज कर रखा है गवर्नमेंट ने और कीमत दस रुपये क्विन्टल कम हो गई है। सरकार उसके लिए मजबूर कर रही है उनको कि सारा अनाज गवर्नमेंट को कन्ट्रोल्ड प्राइस पर दे दे। फिर भी कांग्रेस के आदमी डिपेन्ड इस बात पर नहीं करते हैं। माननीय सदस्य इस बात को भूल गये कि अनाज के व्यापारी इनकी कॉन्स्टी-ट्यूएन्सी में गिरफ्तार हुए थे और अनाज सीज हुआ था तो उनको छुड़वा दिया था। खेरतल मन्डी की बात आती है तो इसमें पक्षपात की बात करते हैं।...

श्री रामानन्द अग्रवाल : वे आपने छुड़वाये होंगे।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं तो सरकार से यह कहूंगा कि व्यापारियों के साथ वहां ज्यादती हुई है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : हमारे ऊपर तो मुकदमे चला रहे हैं नाज के मामलों में और आप यह कह रहे हैं कि व्यापारियों के साथ ज्यादती हुई।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जिस समय डा० सिंधी को गिरफ्तार किया था उस समय आपने क्या किया, आप जानते हैं? क्योंकि वे तो आपके मित्र हैं, उनके लिये जो कुछ किया वह तो ठीक है। उनको जीप में बिठा कर लाये और वहां की वहां उनकी जमानत करा ली। उसके बारे में तो आपको कोई अफसोस नहीं है क्योंकि वे आपके साथी थे। और जब तो आप कुछ नहीं बोले और इस समय आप यह शिकायत करते हैं कि व्यापारियों की जमानत ले ली! क्यों ली। इस समय आप यह कह रहे हैं, उस समय नहीं कहा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप बता दें कि मंडी से आपको रुपये चन्दे के नहीं मिले।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मेरे तो मंडी के बीसियों व्यापारी मिलने वाले हैं। आप चुनावों में हारने के बाद इस प्रकार की बातें करते है! १० हजार वोटों से हार कर आये हैं। मैं आपको यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि आपको लोगों ने वहां से बाहर निकाल दिया और आज आप ये बातें कहते हैं। मेरे खिलाफ कोई कुछ कहने वाला नहीं है। आपकी वहां पर क्या रेपुटेशन है वह तो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। यह तो कांग्रेस की घर की लड़ाई थी जिसमें चुनावों में हार गये। मैं यह कहता हूं कि आप आज भी अब कहीं से खड़े हो कर दीजिये। आप पब्लिक में जाकर खड़े नहीं हो सकते। आप यह कह कर वोट लेकर आते हैं कि सरकार बड़ी खराब है। आज आप चुनावों में हारने के बाद इस प्रकार की बातें करते हैं।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : ये तो आदत से लाचार हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपने ३१००) रुपये लिये या नहीं और उन लोगों से जो गिरफ्तार हुए थे।

Page No.74

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जो लोग गिरफ्तार हुए, उनसे मैंने कोई चन्दा नहीं लिया। मंडी के लोगों ने दिया है। आप भी कहां से लाते हैं ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : मंडी से तो आपने चन्दा लिया है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आप फिर कहां से लाये हैं, यह तो आप बता दीजिये।

एक माननीय सदस्य : आपने कितना चन्दा इकट्ठा किया है, उसको तो आप पहले बता दीजिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : स्मग्लर्स की वकालत शुरू कर दी है।

(सर्व श्री रामानन्द अग्रवाल, बद्रीप्रसाद गुप्ता और रघुनाथ विश्नोई के एक साथ बोलने से अश्रव्य)

श्री मथुरादास माथुर (विधि मंत्री) : पहले ही बार में चित्त दे मारा।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : राम राज्य की बातें कहते हैं। कुंभारामजी के चुनावों के समय भी मैंने कहा था कि इनके खिलाफ लड़ना....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : सभापति महोदया, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री रामानंद अग्रवाल : अगर इसके आधार पर ही आप कहते हैं तो मैं यह कहूंगा कि बहादुर लोग हमेशा मुकाबला करते आये हैं और जो तलबे चाटते हैं वे ऐसा सोचते हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : ये जनता को ग्लानि का सबक पढ़ा रहे हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : माननीय सदस्य यह बतावें कि आपने सोशियल फोरम बना कर कांग्रेस से इस्तीफा देने की बात की थी....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : यह तो आपका असर हो गया था

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : नौ सौ चूहे खाकर चली बिल्ली हज को।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उन्होंने बात-चीत शुरू कर दी थी।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अब तक तो मामला पट रहा था, मगर अब उल्टा पड़ गया है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मामला करीब करीब पट चुका था।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सभापति महोदय, मैंने एक व्यवस्था का प्रश्न खड़ा किया है और मैं समझता हूं कि मेरे व्यवस्था के प्रश्न के बाद जो कुछ भी कहा गया है और जितने माननीय सदस्यों ने जो कुछ कहा है वह सब कार्यवाही से निकाल दिया

Page No.75

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

जाना चाहिये । मैं यह निवेदन करूंगा कि यह कोई डिबेट का तरीका नहीं है । माननीय सदस्य रामानन्दजी ने यह कहा कि आपने ३१००) का चन्दा मंडी के व्यापारियों से लिया । माननीय सदस्य को इसके लिये कुछ स्पष्टीकरण करना था जो करते, मगर बहुत सी बातें फालतू कही गईं । जिस बात के लिये उनको क्लेरीफिकेशन करना था उस पर कहते । लेकिन सारा चुनावों का भाषण दिया, मैं समझता हूं कि कोई स्वस्थ परम्परा नहीं है....

श्री रघुनाथ बिश्नोई : इस प्रकार से हमेशा होता आया है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अगर इस प्रकार से होता है तो गलत है । और मैं यह कहूंगा कि हमारे मुख्य मंत्री सदन में स्वस्थ परम्परा की दुहाई दें और कांग्रेस के सदस्य उनकी उपस्थिति में बदमाश, बदतमीजी आदि गालियें देते रहें और मुख्य मंत्रीजी आसन का ध्यान उस पर आकर्षित नहीं करें इससे ज्यादा निन्दनीय बात हमारे लिये और कोई नहीं हो सकती । आपको जो कुछ कहना है कहिये, जहां डिबेट होती है वहां मजाक भी होती है, हंसी भी होती है, ये सारी चीजें होती हैं । मगर मैं माननीय सभापति महोदया, यह निवेदन करूंगा कि जब किसी को स्पष्टीकरण करने का मौका दिया जाता है जिस बात को स्पष्टीकरण करनी होती है उसको बता कर बैठ जाना चाहिये और अगर वह सदस्य नहीं बैठता है तो आपको उसे बिठा देना चाहिये । यदि इस प्रकार होगा तो डिबेट की जो मंशा है उसके नतीजे पर पहुंच सकेंगे, अन्यथा सारी डीबेट की गंभीरता नष्ट हो जावेगी । इसलिये मैं इस सम्बन्ध में माननीय हांडा से और श्री गोकुलप्रसादजी से भी निवेदन करूंगा कि वे सदन की परम्पराओं को ध्यान में रखें और संयम से बातें कहें और सदन की महत्ता और गंभीरता को न खोवें । ठीक है, हंसी-मजाक थोड़ा लिवली एटमोसफिअर पैदा करने के लिये होता है, वह हो । इसलिये मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है कि आप सदन की परम्पराओं को ध्यान में रखें और डिबेट की जो गंभीरता है उसको न खोवें ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : यह बात दोनों पार्टीज को देखनी चाहिये ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : आपने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है, वह कौनसी व्यवस्था है ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : सभापति महोदया, मैं सोच रहा था कि आज देश के अन्दर जिस तरह की दिक्कत और जिस तरह का कठिन वक्त गुजर रहा है उसका माननीय सदस्यों पर असर होगा और इस वातावरण में आज वे सरकार को कोई सही तौर से सलाह दे सकेंगे जिससे जो राष्ट्रीय समस्या खड़ी हुई है उसका पूरी तरह से मुकाबिला कर सकें, इसके लिये हमें कुछ सुझाव देते, लेकिन मैं देख रहा हूं कि आज जो भी बातें मैंने सुनी और जिस तरह का वातावरण पैदा किया गया है व्यवहारिक है । लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि यह बात जो कही गई वे सब

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

गौण हैं। चुनावों का मामला गौण है। लेकिन देश की सुरक्षा का प्रश्न है अगर उसकी ओर ध्यान नहीं दिया गया तो बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। मेरा यह कहना है कि जिस चुनाव की बात कही है उस चुनाव से निकल कर भी हम इस तरह की बातें करें, जिस तरह से हम चुनावों में कहें और किसी को हार का दुख हो और किसी की जीत की खुशी है, मैं यह कहता हूँ कि हमें इस मौके पर बहुत सोबर ढंग से बहस को चलाना चाहिये। लेकिन मैंने अभी तक जो भाषण सुने उनसे मुझे एक बात याद आ गई। दो स्क्विन्ट आईज़ वाले बाजार में एक दूसरे से भिड़ गये। पहले ने कहा कि भाई तुम देखते हो, उधर चलते क्यों नहीं और दूसरे ने कहा जिधर तुम चलते हो उधर देखते क्यों नहीं? वही बात यहां हो रही है जिस तरह स्क्विन्ट आईज वाले भिड़ जायं, वह उससे कहे कि तुम देखते हो, उधर चलते क्यों नहीं और दूसरा उससे कहे कि तुम चलते हो उधर देखते क्यों नहीं? मैं उस वातावरण से निकाल कर अपनी बात कहता हूं।

सवाल यह है कि ये सब चीजें चलती रहेंगी। जनतन्त्र, हमारे और आपके यहां मिलने की बात है, अदावतही सही, पर ताल्लुकात बनाये रखने वाला जनतन्त्र है, उस जनतन्त्र के लिये आज हालात पैदा हुए हैं। मैं नहीं मानता कि किसी के पैदा किये हुए ये हालात हैं, हर मुल्क की हिस्ट्री में चलते हुए ऐसे मौके आते हैं। जब सिद्धान्तिक ढंग से दूसरे ढंग से क्राइसिस पैदा होते हैं, उन क्राइसिस का सारे मुल्क को मिल कर मुकाबला करना पड़ता है; खाद्य की आज इस प्रकार की स्थिति पैदा हुई, मैं नहीं मानता कि यह किसी की पैदा की हुई है, मैं नहीं मानता कि उस स्थिति का खाली अकेली गवर्नमेंट मुकाबला कर सकती है, जो प्राइसेज़ बढ़ी हैं, मैं नहीं मानता कि सरकार के पास कोई डंडा है उस डंडे से सरकार इनको ठीक कर सकती है। ये क्राइसिस नेशनल क्राइसिस हैं। तो आज जो नेशनल क्राइसिस मुल्क में आई हैं उनसे निकलने के लिए हमें सोचना चाहिये।

हमारे अन्दर एक ऐसी विचार विभिन्नता भाषा के प्रश्न पर पैदा हो गई है, वह राष्ट्रीय प्रश्न है, किसी का पैदा किया हुआ प्रश्न नहीं है।

तीसरा प्रश्न समाजवाद का प्रश्न है, जो राष्ट्रीय प्रश्न है। हम यह कहें कि समाजवाद को बढ़ाने के लिए क्रिटिसिज्म करें तो यह ऐसी बात होगी जैसे आप तो समाजवाद ले ही आयेंगे। मैं दावे के साथ कहता हूं इस मुल्क में कांग्रेस के लिए और कांग्रेस सरकारों के लिए कि अगर इन क्राइसिस को कोई ताकत के साथ हल कर सकेगी, कांग्रेस कर सकेगी। सिवाय कांग्रेस के और कोई दूसरी संस्था इस देश में है नहीं। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि अगर आपको अपने आपका और हमारा वजूद कायम रखना है, डिक्टेटरशिप से बचना है तो यह आपका और हमारा दोनों का इम्तिहान है। आप और हम एक नाव में बैठे हैं। अगर आप में ईमानदारी है तो आज मौका है कि बजाय इसके कि जनतन्त्र में ऐसी बातें करें, जिनसे हम सोचें कि छोटे फायदे ले लें, गवर्नमेंट और अधिकारियों को

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

बदनाम करके कल आने वाले चुनावों में, हम इस तरह की भावना पैदा करेंगे उससे हमको फायदा मिल जायगा। मैं कहता हूं हिन्दुस्तान की जनता ऐसी नहीं है, आपको उसका फायदा नहीं मिलेगा।

अन्न की समस्या का हल सोचना है। एक दूसरे की पर्सनल बातें कह कर यह समस्या हल नहीं की जा सकती। कैरेक्टर एसेसिनेशन और व्यक्ति पूजा की वृद्धि जिसकी वजह से ख्रुश्चेव को निकाला गया वह नहीं होना चाहिये। न कैरेक्टर एसेसिनेशन होना चाहिये और न पर्सो–नेलिटी कट होना चाहिये। मैं दोनों को नहीं चाहता। ये दोनों ही चीजें बुरी हैं, ये दोनों ही चीजें जनतन्त्र में नहीं चल सकतीं। ऐसी स्थिति में हमारे सदस्य बोलते हैं तो उन्हें यह नहीं सोचना चाहिये कि वे बोल रहे हैं, बल्कि उन्हें यह सोचना चाहिये कि राजस्थान की जनता का रिप्रेजेन्टेटिव बोल रहा है, वे राजस्थान की जनता को रिप्रेजेन्ट करते हैं। जहां ५ आदमी भी इकट्ठे होते हैं तो बुरा शब्द नहीं निकलता कि वहां परमेश्वर है। एक आदमी बोलता है तो एक आदमी के साथ एक लाख आदमियों की जुबान चल रही होती है।

महामना राज्यपाल महोदय ने, विदेशों की तरफ, दुश्मनों की तरफ, अन्दरूनी बातों की तरफ इशारा किया है। यदि उनके सोल्यूशन के लिये हम अपना दिमाग एप्लाई करने से इन्कार करते हैं तो हम जिस डाल पर बैठे हैं उसी डाल को काटने की कार्यवाही कर रहे हैं। मैं नहीं कहता कि गल्तियां नहीं हैं, मैं यह नहीं कहता कि सब दूध के धुले हुए हैं पर इतना कह सकता हूं कि सभी इस बात के लिये सोचें कि हम कहीं उसी डाल को तो नहीं काट रहे हैं जिस पर कि हम बैठे हैं। अगर उसे काटेंगे तो न संसद होगी, न यह सभा होगी न डेमोक्रेसी होगी। इसलिये इस संसद को कायम रखने के लिये, इस संसद को इफेक्टिव बनाने के लिये, इस डेमोक्रेसी को कायम रखने के लिये बड़ी ताकत के साथ, जिम्मेदारी के साथ बातें कहेंगे। इधर और उधर का असर नहीं होना चाहिये, इधर-उधर की बातों का असर नहीं पड़ना चाहिये कि दो-तीन साहबान की बातें मालूम हैं तो वे कह दें, यह नहीं होना चाहिये। सुनने से ऐसा लगता है कि भुखमरी फल रही है उसके लिये सरकार जिम्मेदार है। आज यदि सही तौर से देखा जाय तो कोई भी सरकार आ जाय, कोई भी आ जाय, इन हालात में इस मुल्क के लिये जिस तरह का प्रोग्राम, जिस तरह की पॉलिसी कांग्रेस लेकर चली है उससे अच्छी चीज और कोई हो नहीं सकती। इस चीज को आज के वोट बताते हैं, जनता बताती है। आज किसान बहुत अच्छी तरह समझ रहा है वही किसान जनतन्त्र को बचा रहा है, न कि पार्टी वाले लोग, जो छोटी छोटी बातों को इस समय में करते हैं।

राष्ट्रीय क्राइसिस जो आज हमारे देश पर है उस क्राइसिस से देश को निकाल

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

के लिये जो हमें लड़ाई लड़नी है, गरीबी से जो लड़ाई लड़नी है उस लड़ाई को लड़ने के लिये इस तरह की बातें करके हमको कमजोर करने की कोशिश की जाती है। मैं बड़े अदब से दोस्तों को कहूंगा कि इस पर निगाह रखी जाय। मैं यह नहीं कहूंगा कि विरोधियों की तरफ से ऐसी बातें आती हैं जो हमारी निगाहें खींचती हैं, उनको लाइटली लें। मैं सरकार से कहूंगा कि जो बातें उनकी तरफ से आती हैं उनका संतोषजनक उत्तर होना चाहिये। आप भी ऐसी बात बोलें जिससे सरकार को एन्करेजमेंट मिले संतोष देने के लिये। आंखों पर पट्टी बांध कर, जैसे किवाड़ बन्द कर बोल रहे हो, वैसे बोलते हैं तो सरकार की तरफ से भी किवाड़ बन्द होते हैं। इसलिये मैं सजेस्ट करूंगा कि हमारे मुल्क में तीन चीजों से निकलने की जरूरत है।

अमेरिका में भी ऐसी क्राइसिस आई थी। अमेरिका आजाद हुआ तो अब्राहम लिंकन के सामने १८०८ में ऐसी बातें आई। उसने कहा कि गुलामी का नाम अमेरिका में से निकालूंगा। इस बात से वह एक इंच भी नहीं हटा। उसने कहा कि इस कॉन्स्टीट्यूशन में युनाइटेड स्टेट्स एक हो। लड़ाईयां हुईं, पर गुलामी से नीग्रोज को आजाद करके कामयाबी हासिल की। आज भी मैं सरकार से कहूंगा कि ये सब चीजें आती हैं इन चीजों के लिये पूरी ताकत के साथ कोशिश की जानी चाहिये। जिन मौलिक सिद्धान्तों के ऊपर कांग्रेस खड़ी हुई है उनको वगैर कुर्बान किये हर क्राइसिस के लिये तैयार रहना चाहिये, मुकाबिला करना चाहिये। ईश्वर हमारे साथ है, संविधान हमारे साथ है, सचाई के साथ कांग्रेस आगे बढ़ी है। अंग्रेजों ने कहा था कि कांग्रेस खत्म हो गई पर सच्चाई पर थी तो मोर्चा दर मोर्चा फतह करती रही और आज देश को यहां डेवलपमेंट के मोर्चे पर लाकर खड़ा किया है। आज हम कर रहे हैं उसमें और जोर लगाने की जरूरत है। इसमें हम आपका सहयोग चाहते हैं। गरीबी से लड़ने के लिये सरकार को पूरा सहयोग दिया जाय।

अब मैं कुछ इसके बारे में कहना चाहता हूं। आज इस भाषण के विषय में यह कहा गया कि यह अपने तरीके का अलग है। इसके अन्दर आप चाहे जैसा उपयोग कर सकते है। जहां जन सहयोग की बात कही गई है वहां भी आपको अच्छा नहीं लगा। जनता से सहयोग मांगने की बात कही गई है, तो क्या सरकार को जन सहयोग मांगने का भी अधिकार नहीं है? यदि जमाखोरी को खत्म करने के लिए जनता का सहयोग मांगे तो आपको उसमें भी शुबहा दिखाई दिया। आप जन-प्रतिनिधि बनते हैं, डेमोक्रसी में जनता की ओर से बैठना चाहते हैं तो आप कहते हैं कि सरकार ने जब जनता से सहयोग मांगा है तो यह सरकार जन-सहयोग मांगने की कहां हकदार है? नहीं मांगा तो जनता आपके पीछे नहीं है। यह कौनसा तरीका है? और मैं इसको अच्छी तरह से समझ सकता हूं और वह यह है कि

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

जिस तरह का भाषण मैंने अभी सुना और जो वातावरण बना मैं उस वातावरण में सदन को नहीं ले जाना चाहता, मैं उसको कुरेदूं उसके बजाय मेरे ऊपर यह असर पड़ा है कि आपके अंदर सिवाय पार्टी के, लाल झंडे के, देश के लिए और कुछ सोचने की कुव्वत ही नहीं है। आप पुराने कांग्रेसी हैं। आपको कुरेदता हूं तो देश-भक्ति ही निकलेगी, लेकिन आपकी आंखों पर चश्मा लग गया है, जिस तरह की तकरीरें आपकी आयीं जिस वातावरण में, उस पर मुझे दुख होता है। उसमें क्या है? जिस चीज पर इस राजस्थान को वाह-वाह कहनी चाहिये उसको भी आपने तोड़-मरोड़ कर कहने की कोशिश की। आज अकाल पड़ा है, उस पर विदेशी तारीफ करते हैं, लेकिन जो सेवा की, जिसका जिक्र इसमें है, उसके लिए भी आप मूंजी हो जायं और उसको भी आप सदन में तारीफ न करें, तोड़-मरोड़ कर रखें। हमारे यहां अकाल पड़ा, जनता को बताया। उसके बारे में भी कंजूसी और तोड़, मरोड़। विदेशी लोग जिसके लिए कहें कि अच्छी कोशिश की, सिम्पेथी शो की और शुक्रगुजार कर रहे हैं और उस वक्त भी ये रोने वाले मौजूद हैं हमारी जान को। यह स्थिति है। 'मेरे मोला बुला लो मदीना मुझे। एक ही टेर लगा रखी है। राजस्थान में लेबर को बचाने के लिए रात दिन मेहनत की। मैं सरकार को और मिनिस्टर महोदय को बधाई देता हूं, राजा हरिश्चन्द्र को फरवरी, में खत्म हो जाने वाला था रगड़ा सब बिजली का, उसको लाने के लिए जिस तरह इस डिपार्टमेंट ने काम किया, जिस तरह रात-दिन काम किया, जिसकी विरोधी दल के नेता ने भी तारीफ की, लेकिन आप कहते हैं कि इसके पीछे भी राज है। उसके सिवाय उनके पास और कोई चीज नहीं।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : तथ्यों को बताइये कि टर्बाइन चलता है या नहीं?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा: तथ्यों के ठेकेदार सेठ साहब आप ही नहीं हैं। मैं तथ्यों पर ही बोल रहा हूं। रटाये हुए मिट्ठू तोते की तरह नहीं बोल रहा हूं आपकी तरह।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप कितनी ही तेल मालिश करा लीजिये लेकिन आपको तो वहां जगह नहीं मिलने वाली है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : सिवाय तथ्यों के और कुछ नहीं है मेरे पास। इससे होशियार होने की जरूरत है और जनता को मैं बधाई देना चाहता हूं। जो काम है वह सरकार करे। पानी नहीं बरसे तो सरकार का दोष बिजली का इन्तजाम नहीं करे तो सरकार का दोष, सरकार चले तो सेठों की और लड़े तो सेठों की। अजीब तालमेल लगा रखा है। मैं आपको समझा सकता हूं। नेशनल क्राइसिस की बात को महत्व नहीं देते हैं और हंसते हैं तो मैं कहता हूं कि आपका क्या इरादा है। मैं कहना चाहता हूं और डिप्टी मिनिस्टर होम, से पूछना चाहता हूं हिन्दुस्तान स्टन्डर्ड कलकत्ते से निकलनेवाले में जो ३ जनवरी को निकला है उसमें एक खबर छपी है कि कोई औरत चीन की

Page No.80

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

एम्बेसी के चक्कर लगाती है। इस मुल्क में जहां डिफेन्स की समस्या हो, जहां लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट के रूप में दो टुकड़े कर रखे हैं, एक ही जाति के दो अवलक के बच्चे, उन पर निगाह रखनी चाहिये। हमारा डिफेन्स क्या है ? मैं कलकत्ता से निकलने वाले हिन्दुस्तान स्टेन्डर्ड के ३ जनवरी के अंक की बात कर रहा हूं। कलकत्ता में पता चल जाय और आपको पता ही नहीं। मुल्क में आज यह स्थिति है....

श्री निरंजननाथ आचार्य : (उप मन्त्री, गृह) कौनसी खबर है ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं इतना जोर से बोल गया, फिर भी मालूम नहीं हुआ। हिन्दुस्तान स्टेन्डर्ड, ३ जनवरी का, जो कलकत्ते से निकलता है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : आपने पहली बात पूछी नहीं ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : हिन्दुस्तान स्टेन्डर्ड जो कलकत्ते से निकलता है ३ जनवरी, ६५, का अखबार है, उसमें छपी है यह खबर। मैं इसमें देखता हूं। मैं देखता हूं कि जब आज नन्दाजी एक बात करते हैं, उनके हिमायती यहां बैठने की हिम्मत करें, आज मुल्क को और राजस्थान को किस तरफ ले जाना है, मैं जनसंघ के लोगों की उनकी ईमानदारी की हिमायत करता हूं, वे ऑपोर्चुनिस्ट नहीं हैं, अपने किन्हीं सिद्धांतों को लेकर विरोध में बैठे हैं, मैं उनकी बराबर इज्जत करता हूं, और एक हैं दलाल। आज इस मुल्क के अन्दर सारे न्याय और सुप्रीम कोर्ट की आत्मा उनके अन्दर टूट कर पड़ गयी कि उनके ऊपर केस चलाया जाय। आप लोग जिस सिद्धान्त और जिस लाल झंडे की बात करते हैं मैं उन मुल्कों की बात नहीं कहता हूं कि जहां खून में कीड़े घुसे हैं, मुल्क के खिलाफ तो क्या किया जाता है ? उनको सजा होती है फांसी की। हमने रोटियां दे रखी है वहां हमने उनको आराम से रख रखा है जेलों में उनको फिर भी पेट में फुटक फुटक हो रही है। तब भी चैन नहीं आता है। सेठ रामानन्दजी के पेट में भी फुड़फुड़ होती है। आप यों कह कर जनता को भड़काना चाहते हैं। कैरों को गोली मार दी गई, हमें बड़ा अफसोस है, यह गलत है। यह क्या हुआ ? आज मुल्क में गुमराह करने वाले कुछ हैं। मैं कहता हूं कि इस तरह की ताकतों से होशियार रहना चाहिये इस सारी सरकार को।

सरकार से मांग करूंगा, जिनके प्रोफेशन्स इस प्रकार के हैं उनके मुंह की बात न मान कर उनके आत्मा की बात निकाल कर उनसे होशियार रहें। चीन फिर आंख हमारी तरफ उठा रहा है और इधर उनके गुणों की हिमायत कर रहे हैं यह कभी बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिये। आज उनके ऊपर मुकदमा चलाने की बातें करते हैं। अजीब सी दिक्कत है। इन सब दिक्कतों का मुख्य कारण है हमारे सारे दुखों की जड़ है, हमारे में जो पेट्रियोटिक स्पिरिट होनी चाहिए वह हमारे में से चली गई। गुलामियत की जहानियत का प्रचार हो गया है। इस डेवलपिंग

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

इकोनोमी में सरकार के इरादे के बावजूद आज कुछ रुपया ऐसे लोगों के हाथों में चला गया है जो यहां डिफेन्स के तौर पर लगे हुए हैं। उसका इलाज हम करना चाहते हैं। और वह भी कानून के जरिये करना चाहते है। मैं नहीं मानता यह इतनी बड़ी समस्या हो जिसका समाधान नहीं हो सके। हम एक दम ले सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम प्लेज से बंधे हुए हैं। हमारा पिछवाड़ा है सत्य और अहिंसा का। हम किसी से कुछ लेना चाहते हैं वह कानून के जरिये लेना चाहते हैं। इसी में दिक्कत है, इसकी वजह से करते हैं। कहीं ठीक करने की कोशिश करते हैं वहां दूसरी तरफ निकल जाता है। यह सब किसलिये; हम अपने सिद्धान्तों की रक्षा के लिये करते हैं। हम चाहते हैं कि आदमी में बुराई जो व्याप्त है उस बुराई को निकाला जाय। आदमी बुरा नहीं, इस-लिये आदमी को नहीं मारना चाहते, बुराइयों को मिटाना चाहते हैं। सिद्धान्त को नहीं छोड़ने वाले हैं।

आज एक नेशनल बीमारी है लैक ऑफ पेट्रियोटिज्म की। आज जो देशभक्ति की भावना की कमी है उसकी वजह से हम सारे दुखी हो रहे हैं। उन दुखों से निकलने का एक मात्र उपाय है, लोगों में देशभक्ति की भावना को जगाया जाय और मेरा यह मानना है कि हम यदि प्रण कर लें तो यह एक दिन में तैयार हो सकती हैं। आज जो देशभक्ति की कमी है, उसका कारण है कि पब्लिक से सम्पर्क हट गया है। आज जो पेट्रियोटिज्म का फैक्टर है वह सदन की तरफ से इन्ट्रोड्यूस करना चाहिये। मैं यह देखता हूं कि आज मुल्क को आज की हालत से निकालने के लिए कौन सा तरीका हो सकता है। मैं मानता हूं आज जनतन्त्र ही सब से बड़ी ताकत है और उसका रूप यह लेजिस्लेचर है। इसकी तरफ सबकी निगाहें जाती हैं। यह वह स्वरूप है जहां जनता गुलामी से निकली है, एकतन्त्रवाद से निकली है। जनता के दुख और दर्द को समझते हैं। कितने कष्ट उठाये हैं, वह सम-झते हैं। मैं समझता हूं आज जनता यह चाहती है कि उसको फिर एकतन्त्रवाद न देखना पड़े, इसलिये सबसे अपील करता हूं कि इस प्रकार का वातावरण बनाने के लिए पहले पहल यह आवश्यकता है कि असत्य वाचन नहीं हो। पहली चीज यहां यह होनी चाहिये सब यह प्रतिज्ञा करें, हम असत्य वाचन नहीं करेंगे, जिस चीज को असत्य जानते हैं उसको कभी नहीं बोलेंगे प्रचार के लिए। आपको प्रोफ्यूमो कान्ड का पता है। उसने सदन के सामने गलत बात कही और वह बात गलत साबित हो गयी इसलिये उसको जाना पड़ा और उसके साथ सारी हुकूमत को जाना पड़ा। आज जब किसी बात को प्रचार और पब्लिसिटी के लिए कहा जाता है तो वहीं से डिमोरेलाइज़ेशन शुरू हो जाता है। इस प्रकार के तरीके को मैं अन-पेट्रियोटिक मानता हूं। ये सब बातें कहने की आपने मुझे इन्टेलीजेन्स दी, उसके लिए मैं आभारी हूं। मेरे मन में जो बातें थी उसको उपदेशात्मक रूप में न कह कर मैंने जो अपनी आत्मा में फील किया उसको मैंने आपके सामने रखा है। मैं इस सिलसिले में यह भी कहना चाहता हू. यह भाषण दूसरे भाषणों से अलग रूप में प्रस्तुत है।

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

इसके लिए आपने, सब ने जो सहयोग दिया उस भावना का आदर करता हुआ मैं निवेदन करता हूं आज के क्राइसिस के जमाने में, राष्ट्रीय क्राइसिस के जमाने में ऐसे आदमियों को माफ नहीं किया जा सकता और न किया जाना चाहिये जो इस तरह की हवा बना दें, सदस्य इस प्रकार की हवा बना दें जिससे जनता का राम जग जाय वैसी हालत में मैं नहीं समझता क्राइसिस नहीं निकल सकता; यदि इसी तरह की जागृति रही तो पूरी तरह से निकल जायगा।

अब मैं दूसरी बात की तरफ आता हूं। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जो आंकड़े दिये गये हैं उसके लिए मुख्य मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं। एकाध जगह आंकड़े दिये जांय, एक ही जाति के आंकड़े दिये जायं। इसमें सरकार को मदद करनी चाहिये। जहां भी आंकड़े दिये हैं; कहीं तो चार साल के दे दिये, कहीं एक साल के दे दिये, ऐसा मत किया करें। ऐसा मालूम होता है, कहीं बीच में गड़बड़ है। आपको डरना नहीं चाहिये। जैसी भी स्थिति हो रखनी चाहिये। तरक्की मुल्क करते हैं आप उसके चमचे हैं। आप छिपाइये कुछ नहीं; जैसी स्थिति हो रख दीजिये....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह-नगर) : चमचे नहीं कड़छले हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : जो आपकी स्थिति हो, जो सही स्थिति हो उसको रखिये; ताकि जमीन पर खड़े हुए मिल सकें। ऐसा न हो कि जमीन ही नीचे से साफ हो जाय, इसका ध्यान रखना चाहिये।

एक बात है लेबर की। प्रोब्लम का आपको ज्यादा दर्द है लेकिन आपको पता होना चाहिये। मैंने लेबर के लिये जिन्दगी खपा दी। लेबरर्स को अंग्रेजों से लड़ाया है। लेबर के लिये जो भी सरकार कर सकती है उस सरकार को लेबरर्स के लिये सब कुछ करना चाहिये। केवल कह देने से २०) रुपया बढ़ता नहीं है। मेरा निवेदन है कि जो लोग यह कहते हैं, बीस रुपया बढ़ना चाहिये उसके लिए सब लोगों को बुला कर सब से सलाह पूछना चाहिये कि आप इसके लिए कौन से टैक्स के लिए राजी हैं। उसमें रामानन्दजी को जरूर बुलाइये, उनसे पूछिये कि आप कितना टैक्स देना चाहते हो। हम लेबरर्स के लिए सब कुछ कर सकते हैं। हमारे लोग हैं हम उनका दर्द अच्छी तरह समझ सकते हैं। हमारे सेठ रामानन्दजी जले हुए पर नमक डालने का काम करते हैं, उनका उत्पीड़न भड़कायें। हवा करके उस आग को और भड़काना चाहते हैं, हमें उनसे आगाह रहना चाहिये। यह मैं मानता हूं। हमें इसके लिए रेशनल व्यू अपनाना पड़ेगा। इसके लिए सबको विश्वास में लीजिये, जिन्होंने इन पांच साला योजनाओं से कमाया है उनसे लीजिये; लेकिन इनको भूखों मत मरने दीजिये। जिस नौकर को आराम नहीं वहां सरकार का काम भी आराम से नहीं चल सकता। आप समाज के नहीं हो सकते। आप नहीं करेंगे अगर तो मैं कहता हूं जनतन्त्र को खतरे में डालेंगे। समाजवाद आप लाना चाहते हैं, उसका नाम लेना लोग भूल

Page No.83

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

जावेंगे। आज इसलिये मौका है कि सही तौर से सिद्धान्तों पर जम कर कड़े हाथों से समाजवाद को लाया जाय। किसी से गुरेज नहीं करना है। सिद्धान्त को सख्ती से पकड़ कर चलना है; जैसे अब्राहम लिंकन ने अमेरिका में गुलामी का नामोनिशान मिटा दिया, नीग्रोज़ को आजाद करवाया, चाहे इसके लिये अमेरिका कि कीतनी की कुर्बानी देनी पड़ी हो।

आज मैं जो कहना चाहता हूं हमारी कांग्रेस सिद्धान्तों का बल लेकर दस दफा खड़ी होगी। कोई दुनिया की ताकत नहीं जो कांग्रेस को इस मामले में दवा सके। कांग्रेस को मजबूती से अपने सिद्धान्तों के रास्ते पर चलते चलते किसी बात से नहीं घबराना है। पर यह ताकत कैसे आनी है? यह ताकत आवेगी तब जब कुरबानी की हमारी भावना होगी। इसलिये में आपसे कहूंगा कि इस कुरबानी का माद्दा हम बढ़ावें। मिसाल के तौर पर कहूँ आज से तीन चार महीने पहले इस प्रकार की स्थिति आई, मैं वाकिफ हूँ इसलिये कहना चाहता हूं। थोड़ी देर में समाप्त करूंगा। सही कहता हूँ। यकीन दिलाता हूं। क्राईसिस हुआ। पानी नहीं है। किन कारणों से मैं नहीं जानता। कलेक्टर वहां के मातहत से पूछते हैं। हम राज्य करते हैं। हमें आपके सामने झूठ बोलने की जरूरत नहीं। पर आपने जो कहा कि डी. एम. सी. को चीफ मिनिस्टर ने दिलवा दी, यह गलत है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (नसीराबाद): डी. एम. सी. को कितनी दी, यह बता दें?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा: डी. सी. एम. होगा कोई, मेरी बला से। सवाल यह नहीं खामियों की मालूम हुई। सभी जगह गड़बड़ होगी। बहुत हिम्मत की। मिल चलाने वाले मुबारकबाद देते हैं, आपने सरकार से पूछ कर कट कर दिया उनका गडबड़ करने वालों का। कट जनता का नहीं किया। कट छोटी मोटी इन्डस्ट्रीज़ का नहीं किया, बड़े मिल वालों का कर दिया। जिनका आप नाम लेते हैं। उन्होंने गड़बड़ की तो उनको छः छः दिन नहीं दी।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: आप कहते हैं कट की; पर डी.सी.एम. का कट किया या नहीं? यह बतावें।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा: अरे यार, बैठ जाओ।

श्री हरिश्चन्द्र (सार्वजनिक निर्माण-मंत्री): डी. सी. एम. का कट किया है।

श्री रामानंद अग्रवाल (अलवर): प्रोपोर्शनेट कोटा?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: तीन नये पैसे यूनिट देते हैं कि नहीं डी. सी. एम. को तीन नये पैसे देते हैं कि नहीं?

श्री हरिश्चन्द्र: आपने एक बात पूछी कि कट किया, तो मैंने कहा कि किया। मैंने कहां कहा। कि नहीं कहा, किया।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: ९० पर्सेन्ट लोड पर देते हैं कि नहीं?

Page No.84

श्री हरिश्चन्द्र : आपने कहा कट किया या नहीं; मैंने कहा, किया।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : सरकार इस अमले से जो बात करती है। अच्छा हुआ, आपने जोधपुर में बैड बढ़ा दिये। मैं कहना चाहता हूं कि इस चीज को बंद करना है। आप बताइये कि इसका क्या है ? यह साइकोएनेलिटिकल केस है। आप देखिये, कोई पॉवर की बात कहते हैं, कोई कट करने की बात।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह होबोफोमिया का केस है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : यह कुछ की आवाज नहीं है। फिर बताऊंगा, क्या है ? बाकी आपका मैच हूं मैं।

सभापति महोदया, मैं कह रहा था....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैच हो मेरे, अरे भाई !

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : अभी मैं बाहर बात करूंगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : बड़े मियां सो बड़े मियां, छोटे मियां शुभान अल्लाह !

एक माननीय सदस्य : Very suitabel match.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : जो मैचलेस थे वे तो चले गये। अब मैच ही मैच रह गये।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं यह कह रहा था कि यह इस बात का प्रमाण है कि जिन्होंने नहीं माना, उनका चाहे माली नुकसान हुआ हो पर इसके बावजूद भी सरकार ने पालिसी तय की। जनता की बिजली जाने नहीं दी और रात-दिन एक करके राजा हरिश्चन्द्र ने इस पॉवर मिनिस्टर ने दिन-रात जग कर अहद किया। लोगों को इकट्ठा किया और इस क्राइसिस पर काबू पाया।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : नसीराबाद में पहुंच गई कि नहीं बिजली ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : पोल्सन का डिब्बा खत्म हुआ कि नहीं, मक्खन का ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : यह तो 'गंजे को नाखून' नहीं है, नहीं तो पोल्सन वाले को ठीक कर देता। मैं महाशयजी को भूल गया था। मेरी तरफ तो देखिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : कितनी करुण दृष्टि से देख रहे हैं, माथुर साहब आपको ? जरा इनकी भी तारीफ कर दीजिये।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं आपकी कुतियों की दृष्टि को समझता हूं। आप थोड़ी समझिये मेरी बात। यह जगह नहीं होगी, जहां सही चीज को सही कह सकें, जहां शाबाशी की जगह शाबाशी दे सकें। कट्टर इन्स्पेक्टर की तरह निगाहें वहीं जाती हैं, जहां नहीं जानी चाहिए। यह राज्य है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : बड़ी बदबू आती है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं यह कह रहा था। मैं यह नहीं कहता कि आपको कहने का हक नहीं है। आप सच्चाई से कहते हैं। पर यह भी कहता हूं कि जिनकी नीयत खराब है। धन्धे खराब है। पिछवाड़ा और अगवाड़ा खराब है, उन लोगों से सावधान रहिये; घबराइये नहीं। सारे हम पीछे हैं। जनता पीछे है। सब पार्टियां पीछे हैं। इसका मतलब यह नहीं कि जनतन्त्र की रक्षा के लिए 'इफ' और 'बट' में मत पड़ो। मैं भी अंग्रेजों की जेलों के अन्दर वगैर मुकदमे चलाये सात और आठ साल काट कर आया हूं। तब ये कहां थे ? तब कहां गये थे ? आंदोलनों की बात बताई। कुछ मेरे दोस्त झगड़ रहे हैं। उन्होंने रतनगढ़ की बात कही। मैं नहीं जानता कि क्या हुआ ? पर मांग करूंगा सरकार से। लेकिन नेताओं का क्या ?

एक मर्तबा अपनी जवान लड़की को लेकर बुढ़िया सर्कस देखने गई। जब सरकस देख रही थी तो शेर को नचाने वाला रिंग मास्टर उधर खड़ा था। तो उसकी तरफ इशारा करके बुढ़िया ने कहा, यह बड़ा बहादुर आदमी है जो शेर को नचा रहा है। लड़की ने पूछा, कैसे मम्मी ? उसने कहा पिछली दफा जब यह सर्कस आया था तब यह शेर पिंजड़े से निकल कर जनता की तरफ भागा था; जनता तो भागने लगी। पर इस शेर ने क्या किया। हमारे मुरलीधरजी व्यास और सारस्वतजी ने क्या किया ? उस वीर की तरह पिंजड़े में खुद बन्द होकर दरवाजे दे लिये।

आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जनता में आंदोलन उठता है। मैं जानता हूं, जनतन्त्र में जनता का आंदोलन सही बात है। पर जो नेतृत्व लीडरशिप होनी चाहिये उसके अभाव में जनता मौत है। वगैर लीडर की जनता मौत। उस निरीह जनता को गलत रास्ते लगाकर जेलों में बैठे रहे। जो भड़क कर किसी डी. एस. पी. को चांटा मारकर जेल में जाकर बैठ जावे। मीटिंग करके पकड़ाकर रेल में भाग जावे। पीछे जनता अपना व्यवहार खराब करे।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : आप क्या कहना चाहते हैं, कुछ बात तो साफ करिये ? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है। बेकार की बहस ! बकवास ! क्या बात है ? मैं तो जेल में भी नहीं गया। मैं तो बाहर था।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आप रेल से भाग कर महाराज चले कहां गये थे ?

श्री मुरलीधर व्यास : बहुत लम्बा उपदेश दिया आपने सत्य का। मैं तो आपको ही कहता हूं कि आप तीन आदमियों की एक कमेटी बना दीजिये, सत्यवक्ता हैं तो। थोड़ा बहुत भी गांधीजी के नाम का 'सत्य मेव जयते' में विश्वास करते हैं तो। अगर कोई हिंसा किसी प्रकार से भड़का कर कोई बात भी की हो हमने और यह जाहिर हो जावे तो मैं त्यागपत्र दे दूंगा; नहीं तो आप वादा करें कि आप दे देंगे : हिम्मत तो करें कुछ। मैं उसमें का आदमी

Page No.86

(श्री मुरलीधर व्यास)

नहीं हूं कि जनता को भड़काऊं। अहिंसा का प्रतिनिधि हूं, पर गलत बात का विरोध करता हूँ। तुम बन जाओ उसके चेयरमैन, मुझे एतराज नहीं, दो आदमी तुम ले लो। जांच कर लो। पता चल जावेगा।

(३.०० म. प.)

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं गलत होऊंगा तो मैं माफी मागूंगा....

(शोरगुल–व्यवधान)

श्री मुरलीधर व्यास : आप उस कमेटी के चेयरमैन बन जाइये और अपने ही कांग्रेस के २ सदस्य उसमें रख लीजिए। चलिये, विरोधी पक्ष में से एक सदस्य भी मत लीजिए और यह प्रमाणित कर दीजिये कि मुरलीधर ने वहां लोगों को भड़काया, पत्थर मारे और लाठियां मारी। कोई भी एक बात आप बता दें तो मैं सदन की सदस्यता को छोड़ दूंगा, नहीं तो तुम छोड़ दो।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आपके जजबातों को जो धक्का लग रहा है....

श्री मुरलीधर व्यास : आप एक बात को तो साबित कर दीजिए, मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं, नहीं तो आप दे दो। एक कमेटी बैठा लीजिए और जांच कर लीजिए....

(व्यवधान)

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : सच की आवाज को रोक रहे है, मेरी बात भी तो सुनो। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कोई एतराज नहीं होगा, पहले मेरी बात तो सुन लो। यह जो टालू मिक्श्चर नकल का आपने भी सीख लिया है कि कमेटी बना दो। तो मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूं। यह टालू मिक्श्चर कभी तो सरकार कमेटी बनाकर अपना पीछा छुड़ा लेती है, आप भी अभी से चलने लगे इन रास्तों पर, अभी तो आपकी सरकार भी नहीं बनी है।

श्री मुरलीधर व्यास : आप जो आरोप लगा रहे हैं उसमें कमेटी बनायें या नहीं, लेकिन मैं कहता हूँ कि आप इसको साबित करें कि वहां हिंसा की...

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैंने नहीं कहा हैं। मैं क्या चाहता हूं, वह तो मैं अभी बताऊंगा।

मैं यह कहना चाहता हूँ कि क्या यह सत्य नहीं है, जैसा मुझे बताया गया वह यह है कि आप जो वहां पर गये शाम के वक्त में, आपको चूरू जाना था, आप वहां से चले गये और वहां पर मीटिंग में हंगामा हुआ, झगड़ा हुआ, पुलिस की मुठभेड़ हुई। ज्यादती की बात तो आपने कही, मैं नहीं था। इधर की तरफ से कहा गया, उसका मुझे अफसोस है। इसका तरीका यह है, सत्यापन करने के लिए यह आवश्यक है कि एक बात आपकी निकली कि जो डी० आई० जी०, श्री संतराम, के बारे में कहा कि इन्क्वायरी बैठाई, मैं मांग करता हूं कि इस सदन के अन्दर जिस तरह का

Page No.87

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

वातावरण पैदा किया गया है उसको साफ करने के लिए श्री संतराम जैसे ईमानदार डी०आई०जी० की रिपार्ट सदन में रखी जाये...

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): हम इसकी ताईद करते हैं और समर्थन करते हैं कि उस रिपोर्ट को सदन में रखा जाये। आपके मुख्य मंत्री की हिम्मत होनी चाहिए।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : अरे भई, मेरी बात तो सुनो। अगर वे रखने वाले हों तो आप लोग यों कह कर मत रखने दो।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : गोया कि मुख्य मंत्रीजी हमारी जेब में हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आप गुल-गुली करोगे तो गुलगुली आयेगी, नाचोगे तो रोना आयेगा। जरा समझकर बात करो।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि जनतंत्र को कायम रखना है तो जनता के साथ कोई ज्यादती पुलिस को नहीं करने देंगे, न सरकार करने देती है, मेरी ऐसी मान्यता है। लेकिन इसके बाद उसका तरीका है। उनसे यह काम लेना है और वह काम है कि कानूनी ढंग से शासन की व्यवस्था की जाये। मैंने जिस बात का अटैक किया था, जिसका आपको विरोध था और मैंने कहा कि इस तरह से हो गया। मैंने तो नहीं कहा कि आपने वायोलेन्स किया। नहीं कहा मैंने। मैंने एक ही बात कही कि वह नेतृत्व ही जिम्मेदार है, जिसने जनता को उभाड़ा, वह भीड़ संयम नहीं रह सकती थी। अगर भीड़ को समझा कर नहीं ले जा सकते तो वे नेता नहीं हैं। गांधीजी ने वायोलेन्स होने पर अपना मूवमेन्ट वापिस ले लिया। कहीं पर कुछ भी नहीं किया।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं कहता हूँ कि जलियांवाला बाग में आप ही के कांग्रेस के लोग नेतृत्व कर रहे थे और अंग्रेजों ने वहां जनता को गोलियों से भून दिया। आप कहें कि उनमें नेतृत्व करने की ताकत नहीं थी इसलिये अंग्रेजों ने वहां जनता को भून दिया और हमारी सरकार ने भी भूना है। यह कोई दलील है कि नेतृत्व नहीं था। आप इसकी क्या दलील दे रहे हैं। नेतृत्व तो गांधीजी ने किया, लाला लाज-पतराय ने किया, कितनी गोलियां चली आप जो भी बात कहते हैं भागने की उसकी भी इन्क्वायरी कराइये। मैं हर तरीके से तैयार हूं मैंने सारी बातों के बारे में चीफ मिनिस्टर साहब को बताया, टेलीफोन आई० जी० पी० को किया है, बीकानेर के पालिया-मेन्ट के मेम्बर को टेलीफोन किया है और एस० पी० को भी किया है। तुम भागने की बात करते हो, मैं तो रात को एक बजे गया हूं। मैं कहता हूँ कि चूरू की पुलिस आई थी, तुम्हारा थानेदार जो कि सब-इन्सपेक्टर सरदार है वह बतायेगा कि मुरलीधरजी आए और उसने कहा कि तुम सरक जाइये और शांति रखिये। तुम्हारा आदमी ही कह देगा कि उसने यह कहा कि तुम जावो, क्यों आपस में झगड़ा करते हो, शांति बनाये रखो। लेकिन आप तो

(श्री मुरलीधर व्यास)

चारों तरफ से आ गए और लाठियां और डंडे मारे...

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : अगर सच बात है तो हम इसको कन्डेम करते हैं। लेकिन मैं जो बात कहता हूं वह यह है कि इस तरह की फिजां मत पैदा करो कि जैसे एक बेटे ने अपनी माँ से कहा, 'मां, मैं जीत गया'; मां ने कहा "भई, कैसे जीत गये" ? लड़के ने कहा कि वह अपनी बात कहते रहे और मैं अपनी कहता रहा, ऐसे जीत गया।

(व्यवधान)

श्री मुरलीधर व्यास : आप किसी बात के लिए तो तैयार हों...

(व्यवधान)

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : इस तरह की सत्य बात आ जायेगी तो सरकार का रिप्लाई आ जायगा।

अब मैं एक कलाकार की बात करना चाहता हूं। जनसंघ के नेता एक कलात्मक भाषण दे सकते हैं। मैं उनके दिल के जोश और वाणी के ओज की बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि उनके सारे भाषण कल मैंने गौर से सुने और सुनने के बाद मैं समझा और सही तौर से समझा कि वह जो एक वातावरण बनाते हैं उनसे जो मैंने पीछे कहा है मैं आयन्दा के लिए उम्मीद करता हूं कि आज जो देश के अन्दर स्थिति है उसके मुताबिक उसको सुधारने के लिए उस तरफ ज्यादा उनकी अक्ल का उपयोग होना चाहिए उसके बजाय। उन्होंने जो तथ्यपूर्ण बातें कही हैं उसका उत्तर भी उनको सही तौर से मिलना चाहिए। इतनी बड़ी हुकूमत है २ करोड़ आदमियों की उसमें कहां कहां मिनिस्टर काम करता है ? जो काम करे वह मिनिस्टर करे अगर गलती करता है तो हमारा रिप्रेजेन्टेटिव होने के नाते सरकार के नियमों के मातहत उनको सजा देने का हक है और उनको सजा दी जानी चाहिए, मिलनी चाहिए। लेकिन आज २-४ घटनाओं से हम पुलिस को कहां ले जाना चाहते हैं ? यहां की लॉ एण्ड ऑर्डर की व्यवस्था है, जहां दो करोड़ की शान्ति-व्यवस्था का काम जो पुलिस करती है वहां ४-६ मामले नहीं होने चाहिए, उसको रोकना चाहिए, यह मानते हुए भी मैं कहता हूं कि यह अच्छी बात नहीं है क्या कि २५० डाकुओं को पकड़ा। इस पर उन्होंने कहा कि डाकू पैदा कहां होते हैं। मैं समझता हूं कि इसका एक तरीका हो सकता है, लेकिन इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता है कि जिन हालतों में यह राज्य कायम हुआ है राजस्थान का उन स्थितियों में और आज जब हम चुनाव में जाते हैं तो राजस्थान के अन्दर बहुत बड़ा फर्क है। इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता है। एक काम को हंसी में उड़ा देना एक बात है लेकिन किसी काम को करने के बाद हंसना दूसरी बात है। काम करके हंसना पड़ता है इस सरकार को। इसलिए मैं कहूंगा, उस सारे भाषण के लिए मैंने उसके अन्दर देखा है कि उसके अन्दर काफी कुछ ऐसी चीजें थीं जिसके अन्दर सरकार को गौर करना चाहिए। इस बात को टाला

Page No.89

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

जाना चाहिए कि उन्होंने उसको पहरन क्या पहनाया है, उसके अन्दर असत्य का भोल देकर उसका भंगार दिया है उस बात को छोड़ देना चाहिए, लेकिन तथ्यातथ्य की बात है उसका उत्तर तथ्यातथ्य के ऊपर दिया जाना चाहिए। सरकार में जितने हमारे लोग हैं वे सक्षम हैं, मुझे जानकारी नहीं है लेकिन मेरा यह मानना है कि वे अपने रवैये के अन्दर जो आज की स्थिति है आज हर चीज के ऊपर उसको रखें। मैं समझ सकता हूं और मेरी स्पष्ट मान्यता है कि कोई पार्टी आज की स्थिति में फायदा उठाना चाहेगी तो यह नेशनल क्राइसिस है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि कल की बातें कल तो बहुत याद थीं, आज बहुत कम याद हैं, इसलिए उस हद तक तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं यह जरूर कहता हूं कि आज जो है आपकी पार्टी कजागम की तरह नहीं चलना चाहिए और न ही चलने देना चाहिए। हिन्दी के हम भी हामी हैं। हिन्दी हमारी भी मातृभाषा है। उसको हमने माना है और सरकार ने पहले माना है। उसके बाद पार्टी को रोकें। मुल्क की जैसी स्थिति है उसके अन्दर इस तरह की कोई भी बातें जनसंघ या किसी पार्टी के लिए करना उपयोगी नहीं है। इसको मैं हिन्दी की कुसेवा मानता हूं। इसके साथ मैं आपको लेबर के मामले में कुछ कहना चाहता हूं। यहां पर कुछ आश्वासन दिये जाते हैं, सत्यासत्य की बात कही जाती है। मैंने सत्य के ऊपर जोर दिया। आज श्रम मंत्री नहीं हैं। मैंने एक दिन उनके सामने सवाल किया और मुझको इन्टरप्ट किया और जवाब दिया कि यह जो वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट है उसके अन्दर इन्सपेक्टर अपोइंट कर दिया गया है और वह इन्सपेक्टर जल्दी ही १५ दिन के अन्दर सारे काम को कर देगा। मैं कहना चाहता हूं कि जर्नलिस्ट वर्किंग एक्ट जो बनाया है और सरकार ने लागू किया है तो वह अपने कानून को सही तौर से लागू नहीं कर सकते और यहां पर आश्वासन देते हैं उसका सदन को जवाब चाहिए कि क्या क्या वर्किंग एक्ट के मातहत रिपोर्ट हासिल हुई और उसके मुताबिक वेजेज दी जाती हैं, उसके मुताबिक भूख और कड़ाई के साथ इसके अन्दर वर्किंग जर्नलिस्ट वह कर रहे हैं उनके वर्किंग अवर्स फिक्स्ड हो गये, उनका काम सुचारु रूप से चलता है जो आश्वासन दिया है ६ महीने पहले १५ दिन का वह इस सदन के अन्दर इस तरह से कहा और इसी सदन के अन्दर आज मुझे पता चला कि आज वह बात नहीं होती है। कौन सी ऐसी चीज है कि आपने कानून लागू कर दिया और उसकी कम्प्लायेन्स न हो? ३२३ लागू कर दिया और ३२३ में मार दिया और सरकार कुछ न करे? ३०२ लागू हो जाय, जुर्म हो जाय और उसके बाद भी सरकार सोती रहे, लागू नहीं करे, मैं उससे ज्यादा इसकी अहमियत समझता हूं। उन्होंने मुझसे कहा वेज बोर्ड का पहले का लागू नहीं हुआ और दूसरे वेज बोर्ड की सिफारिश आ गई। कुछ मालिकों ने अपने आप उस पर अमल किया और कुछ ने आज तक अमल नहीं किया। मैं नाम से नहीं घबराता यहां चर्चा करने में दिक्कत आती है लोगों से, लेकिन सरकार के सामने बगैर किसी बात की परवाह किये मैं मांग करता हूं कि इस सदन में जो आश्वा-

Page No.90

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

सन दिये जायं उन आश्वासनों पर जो पूरी तरह से कदम न उठाये, जो उसकी अहमियत को न समझे, इस सदन के महत्व को नहीं समझे, मैं जवाब चाहता हूं कि इस मामले में क्यों ढील बरती गई ? मुझे तो जानकारी यहां तक है कि यहां के लेबर डिपार्टमेंट ने नोटिस भी दे दिया, चालान का नोटिस दे दिया; उसके बाद आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। यह कौन रोकता है ? कानून चलाने से कौन रोकता है, यह मैं जानना चाहता हूं सरकार से ?

इस सरकार से और भी कुछ जानना चाहूंगा। मैं यह पूछना चाहता हूं सरकार से कि आज जिन समस्याओं की तरफ इशारा हुआ उसके अन्दर मुमल साफ कहने में कोई गुरेज नहीं कि फूड पॉलिसी के अन्दर घिच-पिच पॉलिसी नहीं चलनी चाहिए। मेरी कांग्रेस पार्टी के नेता से यह मांग रही है और फूड मिनिस्टर से भी यह मांग रही है कि इस मामले में घिचपिच पालिसी नहीं रहनी चाहिए और उनके पीछे पूरी ताकत के साथ हम हैं, सारी पार्टी है, मुल्क है और जनता है। उसके बाद कौन सी दिक्कत आती है कि रोज इधर से उधर करें। यह भी बताना चाहिए। हम समझते हैं कि दिक्कत आती है लेकिन इस सदन को कॉन्फीडेन्स में लेना चाहिए और बतलाना चाहिए कि किन कारणों से ऐसा करना पड़ा। एक ही चीज एक दफा में जला दे और एक दफा में ठंडा कर दे, कभी खोलते हैं और कभी बन्द करते हैं। ऐसी हमारी हालत को ठीक करें तभी हम कामयाब हो सकते हैं। एक दफा में कहें कि यह आग लगाती है और दूसरी दफा में उसी के लिए कहें कि नम है। इस बात को समझने की कोशिश करें। मैं इस पर इस-लिए जोर दे रहा हूँ कि जनता में दूसरे लोग इस तरह से इस प्रकार का जहर फैलाते हैं उस जहर को जनता में से निकालना चाहता हूं। रेफरेन्स के ढंग का एक्स्प्लेनेशन जनता को देना चाहिए और सदन के अन्दर देना चाहिए, यह मेरी मांग है।

इसके साथ मैं, आज एक बड़ी भारी रामानन्दजी ने वकालत की कि वह लागू नहीं हुआ और गवर्नर साहब और सरकार कह रही है कि वह लागू कर दिया है मिनिमम वेजेज़ एक्ट···(श्री रामानन्द के उनकी ओर देखने पर) माफ करियेगा, मुझे बोलने दें। इसके ऊपर आप यह आरोप लगाते हैं कि गवर्नर ने क्यों कह दिया और कुछ नहीं मिला तो।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप फैक्ट बता दें कि कौन सी इन्डस्ट्रीज पर लागू हुआ है ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : इससे ज्यादा और क्या फैक्ट होगा कि गवर्नर ने इस बात को कहा है। आप निकालना चाहते हैं मतलब कि लागू करे तो खाली डिक्लेरेशन से होता है क्या ? लागू होने में देरी होती है और देरी के ऊपर आप लेबर को भड़-काना चाहते हैं। इसके फैक्ट एकम्प्लिस करते हैं; यह मजदूरों के विरुद्ध है। आप सरकार को खाली बदनाम करना चाहते हैं। इससे मजदूरों का औकात नहीं बढ़ने वाला है।

Page No.91

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

इसके साथ मैं कहना चाहता हूं कि काफी वक्त लिया। फिर मौका मिलेगा तब मैं अपने विचार रखूंगा। आज मैं यहीं समाप्त करता हूं।

श्री चोसरसिंह (बेंगू) : सभापति महोदया, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव का विरोध करता हुआ मैं निवेदन करता हूं कि पंचायत चुनावों में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है और ऐसा चुनाव राजस्थान के लिये बहुत बुरा और हानिकारक है। जिस भ्रष्टाचार के बदौलत लोग आकर बैठ जाते हैं वे खुद भ्रष्टाचार करते हैं तो वे आगे देश का क्या भला कर सकते हैं? पार्टियों के द्वारा तो जो कुछ किया गया वह किया ही गया लेकिन राज्य कर्मचारियों ने भी काफी गड़बड़ियां कीं। सरकारी कर्मचारियों ने यह कहा कि हम कांग्रेस को मदद नहीं देंगे तो रहेंगे कहां? मेरे पास जो नमूना है वह मैं सदन और मंत्री जी के सामने पेश करना चाहता हूं। स्वतंत्र पार्टी के जो लोग चुनाव में जीत गये थे उनको हारा हुआ घोषित किया गया है मेरे पास रिज़ल्ट मौजूद है जिसकी तीसरी प्रति मेरे पास है। जिन मेम्बरों को जीता हुआ घोषित किया जाना चाहिये था उनको हारा हुआ घोषित किया गया। स्वतंत्र पार्टी के मेम्बर के ८३ वोट थे और कांग्रेस पार्टी के ८१ थे उसको जीता हुआ घोषित किया गया। उसका नाम रामचन्द्र पंचोली है। इसी तरह शुभानखां को ६५ वोट मिले थे और अलारख हारा हुआ था लेकिन उसको जीता हुआ घोषित किया गया और शुभानखां जिसके ६५ वोट थे उसको हारा हुआ घोषित किया गया क्योंकि वह स्वतंत्र पार्टी का था। इसी तरह मोहनलाल छींपा जो जीता हुआ था उसको हारा हुआ और दानमल जिसको ७७ वोट मिले थे उसको जीता हुआ घोषित किया गया जब कि मोहनलाल को ८४ वोट मिलने का इन्द्राज है। चित्तौड़ के उप जिलाधीश द्वारा दी गई रिज़ल्ट की कॉपी मेरे पास है जो बड़े मुश्किल से मुझे मिली है। यह मैं सदन की मेज पर रखना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि यह राज्य कर्मचारियों का नमूना है जिन्होंने हारे हुओं को जीता हुआ घोषित किया है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : हारों हुओं को जीता हुआ घोषित कैसे किया?

श्री चौसरसिंह : ये हार गये थे लेकिन रात को २ बजे रिजल्ट डिक्लेयर करते समय इनको जीता हुआ बता दिया और जीते हुओं को हारा हुआ घोषित कर दिया।

श्री मुरलीधर व्यास : यह तो रेकॉर्ड पर है।

श्री चौसरसिंह : एक बड़ा कस्बा है, जहां ७५०० की संख्या जनता रहती है; वहां पर ऐसा अन्याय होता है तो गांवों में तो पता नहीं क्या हुआ होगा। उन कर्मचारियों ने कहा कि हम इस तरह से नहीं करेंगे तो हमारी

(श्री चौसरसिंह)

नौकरी कैसे रहेगी ? मैं ये कागजात पेश करता हूं और यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह का कानून बनाकर आप वोट क्यों लेते हैं कुर्सी पर वैसे ही किसी को बैठा दो, हमको हराना है तो वैसे ही हरा दो। लेकिन इस तरह से ये कुर्सियां रहने वाली नहीं है। आप इसकी जांच कराइये और ऐसा करने वालों के खिलाफ एक्शन लीजिये। कलेक्टर के पास कापी मौजूद है। यहां के ऑफिसरों के पास मौजूद है। इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। इसका मतलब यह है कि आप भी इस तरह के प्रपच में लगे हुए है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे अन्याय से बचावें।

श्री मथुरादास माथुर (योजना मन्त्री): आप मुझे सहयोग देंगे, आपने मेरे सामने रेकार्ड रखा है, मैं जानना चाहता हूं कि यह बेंगू पंचायत से सम्बन्धित है क्या और रेकार्ड रखा है वह ट्रू कोपी है क्या ? इस पर पंचायत की सील नहीं है। इसमें जो नाम दिये हैं वे उन उम्मीदवारों के हैं क्या ?

श्री चौसरसिंह : हुकुम।

श्री मथुरादास माथुर : वे उम्मीदवार कितने थे ?

श्री चौसरसिंह : यह सब उसमें मौजूद है।

श्री मथुरादास माथुर : कौनसी पंचायत के हैं ?

श्री चौसरसिंह : बेंगू पंचायत के।

श्री मथुरादास माथुर : और ये जो इनको वोट मिले हैं वे सही मानते हैं क्या ?

श्री चौसरसिंह : जी हां, मैं इनको सही मानता हूं। जो जीते हुए थे उनको हारा हुआ घोषित किया है।

श्री मथुरादास माथुर : रेकॉर्ड आपको ऑफिसर ने दे दिया; यदि उसने बेईमानी की होती तो रेकॉर्ड इस तरह से नहीं देता।

श्री चौसरसिंह : मैं यह भी बता दूं कि उसने क्यों बेईमानी की है। १८ दिन के बाद कॉपी दी है।....

श्री मथुरादास माथुर : एक बात और बता दीजिये; यह बेगूं के पंचों का केस है या सरपंच का ?

श्री चौसरसिंह : पंच और सरपंच सब का है।

श्री मथुरादास माथुर : पंच और सरपंच सब जीते इस लिस्ट के हिसाब से....

श्री चौसरसिंह : ६ पंच जीते थे स्वतंत्र पार्टी के।

श्री मथुरादास माथुर : आप उनके नाम बता दीजिये।

श्री चौसरसिंह : रामचन्द्र हारा हुआ था, उसको ८१ मत मिले थे। और छोगालाल जिसको ८३ मिले थे उसको हारा हुआ

(श्री चौसरसिंह)

घोषित किया गया जब कि छोगालाल विजयी घोषित होना चाहिये था ।

श्री मथुरादास माथुर : इसमें लिखा हुआ है प्रत्येक उम्मीदवार को दिये गये मतों की गणना । रामचन्द्र को १,४०२ मत मिले हैं ।

श्री मुरलीधर व्यास : आप बाद में इसकी जांच कर लेना ।

श्री मथुरादास माथुर : मैं भाषण के बाद आपको बुला कर समझ लूंगा और इसमें जो सही बात होगी वह जल्दी ही सदन के सामने रख दूंगा ।

श्री चौसरसिंह : मेरा अर्ज करने का मतलब यह है कि इस तरह का अन्याय काबिले बर्दाश्त नहीं है, देश के हित में भी वह कलंक है । मैंने जो नमूना आपके सामने रखा है उसको मुलाहिजा करें न करें; कुछ भी करें, यह आपकी इच्छा है, लेकिन इस तरह से आपकी कुर्सियां रहने वाली नहीं है । आपने किसानों के साथ क्या वायदे किये थे और आज किसान कितने दुखी हैं ! आज वे एक लकड़ी के लिये दुखी हैं । मंत्री जी से मिलते हैं तो भी कुछ होता नहीं है ।

इसी तरह राणा प्रतापसागर डेम के लिये आपने जमीनें ले लीं, किसानों के खेतों और झोंपड़ों पर कब्जा कर लिया, लेकिन हजारों लोगों को मुआवजा नहीं दिया । इसी तरह ओराई के लोगों को बदले में जमीन नहीं मिली है और वे मारे मारे फिरते हैं और आबाद नहीं हुए हैं । बेगूं जैसा ७,५०० की आबादी का कस्बा है उसमें मेरे जीतने के बाद डेढ़ साल तक डॉक्टर नहीं भेजा । बरकतसाहब ने कहा था कि मैं देख लूंगा । आप देख सकते हैं २५ हजार की जनता के पीछे यह हालत है । आप भेजें, न भेजें जनता को तकलीफ सहनी है; लेकिन आपको राज्य चलाना है तो आज नहीं तो कल इन्तजाम करना होगा । नहीं तो जनता अपने आप करा लेगी राज्य चलाना है तो अच्छी तरह से चलावें, खूबसूरती के साथ । करोड़ों रुपयों का नुकसान प्रतापसागर में पिलर्स क्रेक होने से हो गया, उसकी जांच तक अफसर नहीं करते हैं । बात अखबारों में आकर खत्म हो जाती है । आपको जांच करनी चाहिये ।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जंगलात के बारे में लोगों को बहुत कठिनाई है और लोग मारे मारे फिरते हैं । इसी तरह पिलाई के बारे में है । ऑफिसर मौके पर नहीं रहते हैं । बड़े बड़े बांध और बड़े बड़े तालाब उनके अन्दर में होते हैं लेकिन उन तालाबों का चौकीदार सर्वेसर्वा होता है । उसकी मर्जी होती है, उसको पानी पिलाने देता है और जब मर्जी होती है तो पानी नहीं छोड़ता है । इससे बहुत परेशानी होती है और बहुत बड़ा भ्रष्टाचार होता है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसके सम्बन्ध में उपाय करें, राजस्थान के राज्य को ऊंचा चढ़ायें और डेमोक्रेसी और प्रजातंत्र को जरूरी समझें । ऐसा नहीं हो कि हम जो कहें उसको नहीं सुनें......

श्री मथुरादास माथुर : ऐसी बात नहीं है। आपका पूरा सहयोग है।

श्री चंदनसिंह : और आपकी इच्छा हो वह करें। इसलिए मैंने जो कुछ कहा है और पेश किया है उस पर विचार करें, उस पर गौर करें और जिन राज्य कर्मचारियों का दोष है उनके खिलाफ एक्शन लें और सदन को विश्वास दिलायें कि इसके बारे में आप कुछ कर रहे हैं। अगर नहीं करेंगे तो आपकी इच्छा।

श्रीमती सभानेत्री : श्री विजयपाल।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : माथुर साहब, वह बता दें।

श्री मथुरादास माथुर (योजना मंत्री): कौनसा ?

श्री विजयसिंह झाला : जो अभी दिया।

श्री मथुरादास माथुर : अभी और इन्स्ट्रक्शन्स दे दिये हैं। साढ़े पांच बजे से पहले पहले।

श्री विजयसिंह झाला : We are very eager to know.

श्री विजयपाल कटारा (डूंगरपुर-सु०) : माननीय सभापति महोदया, हमारे सामने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है उसका मैं विरोध करता हूं क्योंकि इस अभिभाषण के अन्दर जो खास तौर से जिनका उल्लेख होना चाहिए वह इस अभिभाषण के अन्दर नहीं हुआ है। मैं चाहता था कि इस अभिभाषण के अन्दर अनुसूचित जन जाति, अनुसूचित जाति का कुछ ब्यौरा आता लेकिन इस अभिभाषण के अन्दर इन जातियों का तनिक भी उल्लेख नहीं है। जो सरकार इन जातियों के आधार पर बड़े बड़े हिमायती भर कर इन कुर्सियों पर चिपके रह कर आज तक बैठी है; हम चाहते थे, इस सरकार के द्वारा अधिक से अधिक गरीब जनता को लाभ मिले। लेकिन जो गरीब जनता को लाभ मिलना चाहिए था वह आज तक नहीं मिल पाया है।

जो कुछ पैसा इस गरीब जनता के लिए दिया है वह इन ऑफिसरों की जेब के अन्दर गया है। इस विकास के जमाने के अन्दर, इस प्रगतिशील जमाने के अन्दर आज भी पहले की तरह से गरीब जनता को पीछे धकेला जा रहा है। हम सोचते थे कि कांग्रेस के राज्य में इन आदिवासियों और हरिजनों को अधिक से अधिक मौका मिलेगा लेकिन आज हर किसी विभाग के अन्दर जो सर्विस का मौका है, जहां के लिए साढ़े बारह प्रतिशत के हिसाब से आदिवासियों और हरिजनों को लेना है वहां आज आप मुझे यह बता देवें कि किसी भी डिपार्टमेंट के अन्दर कोई हमारा आदिवासी व्यक्ति सबसे ऊंचे पद पर बैठा है ? कोई एक भी एस. डी. ओ. बनाया है, या कोई भी बी. डी. ओ. बनाया है या कोई भी तहसीलदार बनाया है ? जब कि मैं आपको बताऊं कि बहुत से एम० ए०, बी० ए० और इन्टरमीजियेट लड़के अपने घरों पर काश्त का काम कर रहे हैं....

श्री श्रवणलाल (हिन्डोन-सु०) : माननीय सभापति जी...... .

श्री विजयपाल कटारा : सैंकड़ों ऐसे व्यक्ति हैं...

श्री श्रवणलाल : हाउस में कोरम नहीं है।

श्री विजयपाल कटारा : जो पढ़-लिखे होकर, ग्रेजुएट होकर भी घरों में बैठे हैं। यह कांग्रेस सरकार के लिए शर्म की बात है। और क्योंकि इतने पढ़े-लिखे आदिवासी और हरिजन लड़के घरों पर बैठे हुए हैं इसलिए जो हमारी जाति में शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति हुई है वह अब धीरे धीरे कम होती जा रही है। इसका कारण यही है कि लोगों में एक भावना पैदा हो गई कि इतना पढ़ाने के बाद भी इन लड़कों को सर्विस नहीं मिल पाती है और इतना पढ़ने के बाद भी मौका नहीं मिले सेवा करने का तो फिर पढ़ाना या नहीं पढ़ाना एक सा है, लोगों में यह भावना हो रही है कि लड़कों को पढ़ाना बेकार है। इससे अच्छा तो यह है कि गांव में रह कर वे हल चलाते रहें। तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि...

श्री श्रवणलाल : व्यवस्था का सवाल है कि कोरम पूरा नहीं है।

(गण–पूर्ति हेतु घंटी)

श्री विजयसिंह झाला : घंटी की जगह दूसरी व्यवस्था की जाय जिससे नींद जल्दी उड़ जाय।

(गण–पूर्ति घंटी के पश्चात पुनः)

श्री विजयपाल कटारा : जो साथी बी. ए., एम. ए., हैं उनके नाम मैं हाउस में रखना चाहूंगा। हरिश्चन्द्र रावत है, वह एम. ए. पास है सैकिंड डिवीज़न, गोविन्द अमालिया है वह ज्योग्राफी में एम. ए. है, सैकिंड डिवीज़न, मोतीलाल रावत है वह एम० ए० पास है और सैकिंड डिवीज़न है, एक रमेशचन्द्र है वह बी० ए० पास है, एक उदयलाल है वह भी बी० ए० पास हैं। ऐसे सैंकड़ों आदिवासी हैं जो एम० ए०, बी. ए. और इन्टरमीजिएट पास करके बेकार फिर रहे हैं। इसलिए मैं उन मिनिस्टर साहब के लिए कहना चाहूंगा जो इन हरिजनों के नाम पर, इन आदिवासियों के नाम पर मिनिस्टर होकर बैठे हैं, अपनी कुर्सी से चिपट कर बैठे हुए हैं–विशेषकर मैं भीखाभाई के लिए कहूंगा क्योंकि वे भीलों के भगवान होकर बैठे हैं......

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : मैं समझता हूं कि आदिवासी मिनिस्टर को यहां आना चाहिए क्योंकि आदिवासियों की समस्या एक आदिवासी सदस्य रख रहे हैं। आदिवासी मिनिस्टर का इस वक्त यहां आना आवश्यक है।

श्री विजयपाल कटारा : मैं निवेदन करूंगा कि यदि कांग्रेस सरकार ने इन आदिवासियों की बढ़ती हुई समस्याओं को दूर नहीं किया तो मैं कहूंगा कि चन्द दिनों के अन्दर उदयपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर के आदिवासी मिल कर एक आन्दोलन करेंगे। इसलिए जो हमारे हैं हक और जो हमको मिलने चाहिए–उनके सम्बन्ध में कम से कम आप इन्क्वायरी करके देख सकते थे कि जो आदिवासी पढ़े-लिखे हुए हैं...

Page No.96

(श्री भीखाभाई के सदन में पदार्पण पर)

श्री मथुरादास माथुर (विधिमंत्री) : आपके लिए कह रहे थे कि आपको यहां होना चाहिए।

श्री भीखाभाई (श्रम मंत्री) : आपके कहने से नहीं आया हूं। मैं तो घंटी बजी इसलिए आया हूं।

श्री विजयसिंह झाला : तो वापिस चले जाइये।

श्री रावतराम (सादूलपुर) : आदिवासियों का कोई अलग मिनिस्टर नहीं होता है।

श्री विजयसिंह झाला : आप आदिवासी ही नहीं है, आप भीलों के भगवान् हैं। इन्होंने आपको पदवी दे दी है, हनुमान की पदवी नहीं दी है।

श्री रावतराम : इनका कोई मन्दिर बनवा दीजिये।

श्री विजयपाल कटारा : मैं यह नहीं कहूंगा, यह भी कहूंगा कि भीखाभाई का दामाद था वह बाद में पास हुआ. उससे पहले और जो पास हो गये थे उनको पहले मौका मिलना चाहिए था। लेकिन जो एक लैक्चरार थे, उनको वहां से हटा दिया और इनके दामाद को वहां लैक्चरार बना दिया। क्या उनको मौका मिलना चाहिए ? वैसे तो उनको भी हक के अनुसार, आदिवासी के अनुसार मौका मिला है मुझे इसमें कोई पक्षपात होने की बात नहीं कहनी है। लेकिन जो हमारे साथियों का हक का सवाल है जो एम० ए०, बी० ए० पास करके बैठे हैं और जिनका आप प्रतिनिधित्व करते हैं और यहां पर भीलों के नाम पर, आदिवासियों के नाम पर मिनिस्टर हो जाते हैं, फुल फ्लेज्ड मिनिस्टर होकर बैठे हैं वे इन आदमियों को नहीं लगा पाये हैं, अपने घर के आदमियों का ही उद्धार नहीं कर पाये हैं तो क्या समाज का उद्धार कर सकते हैं और क्या राष्ट्र का उद्धार कर सकते हैं ? आप यहां पर समाजद्रोही होकर बैठे हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इन आदमियों को काम पर जल्दी लगाया जाय, नहीं तो चन्द दिनों के बाद पूरे डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर के कुछ भागों में एक आंदोलन छेड़ना पड़ेगा और सरकार के सामने अपनी मांगें रखनी पड़ेंगी। आपको आदिवासियों के सम्बन्ध में कई सुझाव दिये गये हैं, लेखों और पत्रों में सुझाव दिये गये हैं लेकिन आप उनकी ओर ध्यान नहीं देंगे और इस तरफ ध्यान देंगे, कि अपने प्रधान किस तरह आयें। जिला परिषद के अन्दर किस तरह आवें और किस तरह से आदिवासियों और हरिजनों को दबाया जाय। मैं निवेदन करूंगा कि पंचायत समिति सीमलवाड़ा के सम्बन्ध में मेरा प्रश्न आज था कि जो ४५ लाख रुपये बांटे वह पूरी तरह तय और तैयारी करके नहीं बांटे कि कहां इतना पैसा दें और कहां इतना पैसा। मैं आपको बताऊंगा कि प्रधान होते हुए भी उनके कुए तैयार नहीं हुए हैं और हजार हजार, डेढ़ डेढ़ हजार रुपए कुए के लिए अनुदान के रूप में दे दिए गये। उन कुओं की जांच करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। वहां जो बी. डी. ओ. है वह अपने नाम से साठ–सत्तर हजार का

(श्री विजयपाल कटारा)

बैंक बैलेन्स तैयार कर रहा है और जो ग्राम सेवक है उनके पास इतनी सम्पत्ति कहां से आ गई? आज हम हाथों से खेती करने वाले हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, खेती करते हैं मगर उनके पास पूरी रोटी नहीं है। मैं यह कहूंगा कि आज उनके पास इतना धन कहां से आया ? सरकार की तरफ से कोई जांच नहीं होती इन चीजों को कोई देखना वाला नहीं। अखबारों में उनके लिए निकलता है। अखबार में सरपंच सीमलवाड़ा के नाम से लिखा है उसकी भी कोई जांच नहीं। इन पैसों को उपयोग में लाने के लिए सरकार को कुछ न कुछ नियन्त्रण करना होगा और अगर सरकार ने नियन्त्रण नहीं किया तो सरकार और भी ज्यादा प्रयत्न करेगी फिर भी वह नहीं आने वाला है।

आज हमारे सामने भुखमरी आई। आज आप कहते हैं कि हमारे यहां पर अनाज नहीं है, मैं यह कहूंगा कि अनाज नहीं है, मैं यह कहूंगा कि अनाज आपके यहां कहां से आवेगा? आपने समय गुज़ार दिया। खेती करने के लिए लोगों को जमीन नहीं थी तो कहीं कुए तैयार नहीं। अगर कुए तैयार होते तो पानी मिलता और आप अनुदान देते हैं। ठीक है, मगर ठीक ढंग से नहीं देते। गेहूं कितने पानी से पकता है यह नहीं जानते। आप काश्तकारों के नाम पर जीवित रहना चाहते हैं। आज काश्तकारों के नाम पर जीवित रहने वाली सरकार है। कांग्रेस की सरकार खासकर काश्तकारों के वोटों पर पलती है। आप कहते हैं कि राजस्थान की जनता गरीब है। मैं कहूंगा कि राजस्थान की जनता गरीब इसलिए है कि जितनी उनको राहत सरकार की तरफ से मिलनी चाहिए, नहीं मिलती है। आज लाखों रुपये डूंगरपुर और बांसवाड़ा में आये मगर यह अन्धी और बहरी सरकार कुछ उनके लिए नहीं कर सकी। मैं यह कहूंगा कि ऐसे बहुत से काम हैं जिनको सबसे पहले हाथ में सरकार को लेना चाहिए। आप देखेंगे कि रतनपुर से अनाज बाहर निकल रहा है। वहां से गेहूं और चना बराबर बाहर जाता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने कितने ट्रक पकड़े। आप उनकी जांच नहीं करते। बराबर वहां के ट्रक के ट्रक अहमदाबाद और दूसरी जगह जाते हैं।

एक माननीय सदस्य : यह कौन निकाल रहा है ?

श्री विजयपाल कटारा : यह कौन निकालता है और कैसे निकलते हैं, यह सब सरकार के ध्यान में है। यह सब सरकार की जिम्मेदारी है। यह आपकी और हमारी जिम्मेदारी नहीं हैं। हमारी और आपकी तो जिम्मेदारी यही है कि हम सरकार को बतावें कि यह हो रहा है। सरकार उनको पकड़े या नहीं, पकड़े यह सरकार की जिम्मेदारी है। जनता भूखों मरती रहे तो जनता को अधिकार है और सरकार का कर्त्तव्य है कि जनता में भुखमरी को दूर करे। अगर सरकार जनता में फैली हुई भुखमरी को दूर नहीं कर सकती तो ऐसी सरकार को हट जाना चाहिये ताकि दूसरी पार्टी की सरकार आवे और वह भी जनता की सेवा का लाभ उठा सके। आज

(श्री विजयपाल क[illegible]र

आप कहते हैं कि अनाज की कमी है। आप अनाज के पीछे पड़े हैं। मैं यह कहूंगा कि आप किसानों की आवश्यकता को नहीं देखते। आज किसान को कपड़ा, तेल, घी, शक्कर आदि यहां तक कि माचिस को लेकर देखें तो आपको मालूम होगा कि आज इनके भाव कितने बढ़े हैं। आप किसानों के रोजमर्रा काम में आनेवाली चीजें हैं उनके भावों को ठीक करने के लिए तैयार नहीं हैं। आप अनाज का कन्ट्रोल करने जा रहे हैं और इस हालत में अनाज का कन्ट्रोल करेंगे जब अनाज तैयार होकर घरों में आया तब आप यह करेंगे। मैं यह कहूंगा कि मेरा यह अनुभव है कि पहले व्यापारियों ने लेने से इन्कार कर दिया और नतीजा यह हुआ कि किसानों को सस्ते भाव पर देना पड़ा। इस तरह किसानों की मुसीबत है, उसको सरकार ध्यान में रखे और सरकार अपने आप अनाज खरीदने की व्यवस्था करे तो सरकार व्यवस्था कर सकती है। मगर मैं यह कहूंगा कि सरकार किसानों की मुसीबतों को दूर करने में असफल रही है और इसका कारण हमारे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कुछ नहीं दिया गया है।

अब मैं थोड़ा सा पंचायत चुनावों के बारे में कहना चाहूंगा। पंचायतों के चुनावों का मुझे कटु अनुभव है। पंचायतों के लिए चुनावों के बारे में जब एक्ट आया था तभी मैंने कहा था कि यह हमारी जनता के लिए बड़ा खतरनाक एक्ट है। परन्तु दो-दो घन्टों में रातोंरात संशोधन करके हमारे भीखाभाई ने जल्दी जल्दी में पास करवाया उसका हमें दुःख हुआ। यह कानून बहुत खतरनाक कानून है। इसने हमारी भी चमड़ी उड़ा दी। मेरी इस संबंध में पंचायत मंत्रीजी से भी बातचीत हुई थी उन्होंने यह बताया कि यह कानून सबसे महंगा हुआ। लेकिन डूंगरपुर में ज्यादा वोट आपको मिले; वे इसलिए मिले कि आपने सरकारी साधनों का उपयोग किया और जनता का शोषण किया और जनता को भड़काया।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आपने सरकारी साधनों का उपयोग किया और जनता को इन सरकारी साधनों का उपयोग नहीं मिला। मैं जानना चाहूंगा कि आपने सरकारी साधनों का क्यों उपयोग किया ?

एक माननीय सदस्य : सरकारी साधनों का क्यों उपयोग किया....

श्री विजयपाल कटारा : भगवान ही मालिक है !

श्री भीखाभाई : सरकारी साधन कौन से आपने बताए ? क्या बात है?

श्री विजयपाल कटारा : आप डी. एफ. ओ. की गाड़ी में गये थे।

श्री भीखाभाई : मैं गया था और मैं कहना चाहता हूं कि महारावल साहब भी साथ थे और वे भी जानते हैं।

श्री विजयपाल कटारा : आपने पंचायत चुनावों में किस प्रकार लोगों को

Page No.99

(श्री विजयपाल कटारा)

आश्वासन दिये और आपने किस प्रकार से लोगों को धमकाया ? आपने सीमलवाड़ा में क्या प्रचार किया ? आपने लोगों को कहा कि जिनको सरकार से पैसे मिले हैं अगर कांग्रेस को वोट नहीं देंगे तो वे रुपये वापिस वसूल कर लिए जावेंगे और अगर कांग्रेस को वोट दोगे तो ये पैसे कम कर दिये जावेंगे। डूंगरपुर में आपने यह आश्वासन दिया कि अगर कांग्रेस को वोट नहीं दिया तो जो सीलिंग कमेटी में बैठ कर पैसा पास किया है वह भी नहीं दिया जावेगा। अगर आपने कांग्रेस को वोट नहीं दिए तो जो काम यहां पर होने वाले हैं सरकार की तरफ से वे नहीं होंगे। सीमलवाड़ा पंचायत के लिए मैंने १० दफा विधान सभा में निवेदन किया। मैंने प्राइमरी स्कूलों के लिए कई बार कहा। आपने आश्वासन भी दिया कि मिडल स्कूल को हायर सैकन्ड्री में कर दिया जावेगा और प्राइमरी स्कूलों को मिडल स्कूल में परिवर्तित कर दिया जावेगा।

दूसरा पंचायत समिति सीमलवाड़ा में डूंगरपुर मेवाड़ रोड जाती है, सीमलवाड़ा में सबसे पहले सागवाड़ा से सीमलवाड़ा बिजली पहुंचा देंगे। आपने इसके लिए इंजीनियर को बुला कर कहा कि लाइन की सर्वे करो हालांकि वहां का वातावरण आपके अनुकूल नहीं था। आपने इंजीनियर को भेज कर उसकी सर्वे कराई और लोगों को संतोष कराया।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अगर सरकार इस प्रकार पब्लिक को धमका कर और सरपंचों को धमका कर वोट लेगी तो यह पब्लिक के लिए अहितकर होगा। अभी वेगू पंचायत के जीते हुए सरपंच हारा हुआ बताया और घोषित किया। मैं आपको यह बताना चाहता हूं। पंचायत समिति सीमलवाड़ा और है, वहां पर रिटर्निंग ऑफिसर हैं, उन्होंने लोगों को फोर्म तक नहीं दिये। लोगों ने ८ बजे उनको लिख दिया। लेकिन उनको फोर्म नहीं दिये और कहा कि अभी बहुत समय बाकी है। जब कांग्रेस का फोर्म पेश हो गया तो उस फोर्म के पेश होने के बाद फिर उनको फोर्म देने के लिये कहा गया; तो उस समय भी यही कहा कि अभी आप शांति रखें बहुत समय है। कांग्रेस वालों के सबके फोर्म आ गये तो चैकिंग वाले आये, वे मोटर में बैठ कर दूसरे पोलिंग पर चैकिंग करने के लिए चले गये। वहां जाकर कहा कि हमारा फोर्म लो तो कहा कि अब तो समय चला गया। जो हमारे साथी वहां फोर्म भरने के लिये पहुंचते हैं तो वे पांच मिनिट पहले पहुंचे उसने रिपोर्ट बनाई कि ५ मिनट बाकी हैं, क्यों नहीं फोर्म लिया। इस पर वहां काफी गरमागरमी हुई, लड़ाई झगड़ा होने का बड़ा अन्देशा पैदा हो गया। तो इस प्रकार से पंचायतों के अन्दर जो चुनावों की गतिविधि रही है या जो नियम रहे हैं, शोभाजनक नहीं हैं, ये प्रजातन्त्र के लिये बड़े हानिकारक होंगे। मैंने अमेंडमेंट के समय में भी कहा था कि ५ साल की अवधि होनी चाहिये और प्रमुखों और प्रधानों का चुनाव सीधा पब्लिक के द्वारा ही हो जाना चाहिये जिससे सरकार के इतने पैसे का दुरुपयोग न हो, सरकारी मशीनरी का इतना दुरुपयोग न हो, सारा खर्चा भी एक साथ हो जाता।

(श्री विजयपाल

अब जनरल इलेक्शन्स पर खर्चा करना पड़ेगा । इसके ठीक एक साल बाद पंचायतों का खर्चा करना पड़ेगा । तो, इसका मतलब यह हुआ कि हम विकास करने के लिए नहीं आये हैं, हर टाइम इलेक्शन का धमारोल करने के लिये और अपना पेट भरने के लिये आये हैं। तो आज चुनावों के अन्दर ही सरकार उलझ गई है, जनता की कठिनाइयों को दूर नहीं कर रही है। आज जनता भूखों मर रही है और लकड़ियों के लिए मारी मारी फिर रही है डूंगरपुर से बांसवाड़ा भेजा जाता है कि वहां से लकड़ियां लाओ। भूतपूर्व सदस्य, श्री बालमुकन्द जी ने कहा कि लकड़ियों की जरूरत है, तो उन्हें कहा कि बांसवाड़ा से लाओ। डूंगरपुर से बांसवाड़ा ६५ मील दूर पड़ता है. वहां से कैसे लकड़ी ला सकते हैं ? तो यह कितनी शर्म जैसी बात है कि वन मंत्री होते हुए जो जंगलात की सुविधाएं आदिवासियों को मिलनी चाहिये वे नहीं दी जाती हैं। तो मैं निवेदन करूंगा कि इस तरह की जनता की कठिनाइयों को दूर करें। अगर जनता की कठिनाइयों को दूर नहीं किया गया तो चैलेन्ज के साथ कहता हूँ कि जनता आपको जल्दी ही कुर्सियों से हटा देगी।

आज हर कर्मचारी परेशान है, पुलिस के छोटे कर्मचारी परेशान हैं, गरीब काश्तकार परेशान हैं, अध्यापकों को देखो तो मंदिरों में बैठ कर उन्हें स्कूल चलानी पड़ती है। हम चाहते तो थे कि राम-राज्य लायेंगे, पर आपने राम-राज्य नहीं रावण-राज्य कायम कर दिया। इस रावण-राज्य में कोई भी आदमी सुख की नींद नहीं लेता; इसलिए नहीं लेता कि आपकी बदौलत, आपकी व्यवस्था के बदौलत जनता बड़ी परेशान है।

सबसे पहला भुखमरी का सवाल है। उदयपुर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर के कुछ क्षेत्रों को अकालग्रस्त घोषित किया गया, पर यह नहीं बताया कि घास की समस्या का क्या हल होगा। वहां लोगों को पीने के लिये पानी नहीं मिलने वाला है, पशुओं को घास नहीं मिलने वाली है, वहां के लिए घास की कोई व्यवस्था नहीं हो रही है। डूंगरपुर में भीखाभाई ने सबसे बड़ा आश्वासन दिया कि कांग्रेस का जिला प्रमुख करवा दिया जायगा तो हम लगान माफ कर देंगे। तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि गरीब जनता की इस प्रकार जहां फसल नहीं पकी है, ऐसी जगह जांच करके लगान माफ करें। लगान स्थगित नहीं करें, माफ करें; स्थगित करने के माने तो यह हैं कि बाद में वसूल किया जायगा। एक जिम्मेदार मिनिस्टर ने यह आश्वासन दिया है कि लगान माफ होगा तो यह आश्वासन पूरा किया जाना चाहिये। पर मैं जानता हूं कि यह लगान माफ नहीं होगा क्योंकि डूंगरपुर के वोट लेने के लिये यह झूठा आश्वासन दिया गया है।

इसके साथ ही साथ मैं यह निवेदन करूंगा कि इन चुनावों में हर जगह कांड हुए हैं। एक हरिजन को डूंगरपुर पंचायत समिति के लिये कहा गया कि कांग्रेस को वोट देना होगा, हरिजन ने कहा कि मैं कांग्रेस को वोट नहीं दूंगा। उसको जबरदस्ती कांग्रेस की गाड़ी में बैठा कर

(श्री विजयपाल कटारा)

डूंगरपुर के कांग्रेस के खेमे में ले जाया गया, उसके दिमाग पर भार डाला, उसे डराया, वह हरिजन बीमारी की हालत में था इससे बीमार हो गया, उसने खाना खाया और थोड़ी देर बाद अस्पताल ले जाया गया। वहां पता नहीं इन्जेक्शन लगाया गया या नहीं, वह मर गया। उसके मर जाने पर रातोरात गाड़ी में बड़ोद लाया गया। इसकी कोई जांच नहीं क्योंकि वह हरिजन था। कुछ तो होना चाहिये कि किस तरह से वह मर गया। तो इस तरह से सरकार की यह व्यवस्था बिल्कुल भद्दी व्यवस्था है। उसको पैसों से वोट खरीदना है।

दूसरा उदाहरण मैं माड़ा पंचायत की एक औरत का देना चाहता हूँ....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्रीमति सभानेत्री : आपका समय हो गया।

श्री विजयपाल कटारा : यह एक औरत का उदाहरण है कि उसके साथ किस तरह जबरदस्ती की गई। एक औरत को जबरदस्ती वोट के लिये लाये, यह बताना चाहता हूं। माड़ा पंचायत में विणजारी करके औरत थी उसको जबरदस्ती कांग्रेस की मोटर में डाल दिया गया उसने कहा कि मार डालो तो भी कांग्रेस को वोट नहीं दूंगी, तो उसे कहा कि हमारी गाड़ी में बैठ जाओ और जबरदस्ती गाड़ी में बैठा दिया। उसको मोटर में बिठा कर लाया गया और खाना खिलाया गया। पर विणजारी ने कहा कि मुझे कहीं बिठाओ, वोट मोहबतसिंहजी को दूंगी, तो उसको निकाल दिया गया

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

तो यह पंचायतों का चुनाव बड़ा भद्दा रहा, बड़ा मंहगा रहा। इसी तरह का यदि यह रहेगा तो विरोध में कोई भी पार्टी नहीं लड़ सकती। इसलिये भविष्य में इस कानून को बदलना होगा। इसे बदलेंगे तभी हम धन्यवाद देंगे।

इन्हीं कारणों से राज्यपाल महोदय को धन्यवाद देने के प्रस्ताव का मैं विरोध करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्रीमती सभानेत्री : श्री भीमसेन !

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : सभानेत्री महोदया, श्रीमान् राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद चल रहा है। इस सम्बन्ध में हमारे विरोधी पक्ष के सदस्यों को केवल प्रशासन में भ्रष्टाचार ही व्याप्त दीखा लेकिन माननीय सदस्यों को मालूम है कि पिछले साल हमारे राज्य के आधे हिस्से में अकाल पड़ा और जिस मुस्तैदी से, जिस उदारदिली से राजस्थान सरकार ने अकाल का सामना किया उसकी हमारी देहाती जनता पर गहरी छाप पड़ चुकी थी। पंचायतों के चुनाव हुए हैं उन्होंने साबित किया है कि कांग्रेस सरकार की नीति को देहाती जनता पसंद करती है हालांकि राज्य सरकार को चुनावों से सबक लेना चाहिये कि देहाती क्षेत्रों में जिस तरह विकास का काम हो रहा है, उसे और ज्यादा तेजी से करना चाहिये।

देहात में पीने के पानी की समस्या एक भयंकर समस्या है। रेगिस्तानी क्षेत्रों में और रेगिस्तानी क्षेत्रों के साथ ही साथ पहाड़ी

(श्री भीमसेन)

क्षेत्रों में पीने के पानी की समस्या बड़ी गम्भीर है । इस सम्बन्ध में राजस्थान सरकार ने जो कदम उठाये हैं वे समुचित कदम नहीं हैं । यह समस्या बहुत गम्भीर है, सरकार की ओर से प्रयत्न आज तक जो किये गये हैं, मैं राजस्थान सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि पीने के पानी के सम्बन्ध में राजस्थान सरकार ने देहाती क्षेत्रों में, प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना और तीसरी पंचवर्षीय योजना में, इन तीनों योजनाओं में कुल मिला कर ५ करोड़ की धन-राशि खर्च की है ।

इसके मुकाबले में शहरी क्षेत्र में राजस्थान सरकार ने अभी तक कुल १० करोड़ इस समस्या के समाधान के लिए खर्च किये हैं । मुझे यह शिकायत नहीं है कि शहरी क्षेत्रों में इतना अधिक क्यों खर्च हुआ लेकिन मेरी शिकायत यह है कि जहां शहरी क्षेत्र में आबादी केवल २७ लाख है उसमें सरकार १० करोड़ खर्च कर सकती है पीने की पानी की समस्या के लिए वहां जहां हमारी देहाती जनता पौने दो करोड़ है वहां तीन योजनाओं में सरकार ने केवल ५ करोड़ की धनराशि खर्च की है; तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि देहाती क्षेत्र में जो पीने के पानी की समस्या है खास तौर से रेगिस्तानी क्षेत्र में उसके लिए सरकार को गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है और इसके लिए कम से कम ४३० करोड़ धनराशि का प्रावधान करने की आवश्यकता है । चौथी योजना में अगर इतने खर्चे का प्रावधान नहीं करेंगे तो यह समस्या देहाती क्षेत्र में हल नहीं हो पाएगी । आज देहाती आदमी कम से कम सरकार से अपेक्षा रखता है कि उसे पीने के पानी के लिए कोसों दूर न जाना पड़े । आज रेगिस्तानी क्षेत्र में पीने के पानी के लिए परिवारों को पूरा दिन खर्च करना पड़ता है उसके बावजूद भी समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है । इसलिए चौथी योजना तक देहाती क्षेत्र में पीने के पानी की समस्या हल हो जाय, ऐसे सरकार को कदम उठाने चाहिए ।

हमारे लूणकरणसर क्षेत्र में करीब १०० गांव ऐसे है जहां खारा पानी है, जहां पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है । राज्य सरकार को यह सुझाव आया कि राजस्थान नहर से पीने के पानी का नला लिया जाय बीकानेर शहर तक और उससे बीकानेर शहर के साथ बीच में जो गांव पड़ेंगे उनकी आबादी को भी लाभ पहुंचेगा लेकिन इस योजना की क्रियान्विती नहीं हुई । सरकार ने अभी तक विचार नहीं किया । हमारे राज्य के किसी न किसी हिस्से में अकाल पड़ता रहता है और उसके लिए सरकार को लगान स्थगित करनी पड़ती है और राहत कार्यों के लिए करोड़ों रुपये की धनराशि खर्च करनी पड़ती है । मैं राजस्थान सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे राजस्थान के दक्षिणी और पश्चिमी हिस्से में नरमदा से पानी लाकर जालोर और बाड़मेर के जिलों को आबाद कर सकते हैं, किसानों की हालत में सुधार कर सकते हैं । इसके साथ साथ बीकानेर, चूरू और नागौर जिलों में सिंचाई

Page No.103

(श्री भीमसेन)

के लिए राजस्थान कैनाल से पानी प्राप्त कर सकते हैं और घग्घर का जो फ्लड वाटर है उसको कन्ट्रोल करके इसके लिए लाभ पहुंचा सकते हैं।

इस समय सरकार के सामने राजस्थान कैनाल लिफ्ट ईरिगेशन योजना विचाराधीन है। सरकार को जल्दी से जल्दी इसकी स्वीकृति देनी चाहिए। यह स्कीम राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट की पार्ट एण्ड पार्सल है। मेरी समझ में नहीं आता कि सरकार इस नहर के इकोनोमिक्स को अलग से वर्क आउट क्यों करना चाहती है? यह तो राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट इटसेल्फ है वह उसका पार्ट है। लेकिन सरकार इस समय राजस्थान नहर की लिफ्ट योजना को अपने आप में अलग इकाई मानती है। यह मेरी समझ में नहीं आता।

दूसरा मेरा निवेदन है कि राजस्थान नहर की लिफ्ट योजना में सरकार को हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होगी जिसके जरिए पम्पिंग स्टेशन्स चलेंगे और पॉवर का बड़ा इस्तेमाल होगा। उधर राजस्थान सरकार बड़े बड़े उद्योगों के लिए रियायती दरों पर पॉवर रेट्स सेंक्शन कर रही है। अभी विधान सभा में चर्चा हुई थी कि कोटा में डी० सी० एम० की फैक्टरी को तीन नए पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली दे रहे हैं तो मेरी समझ में नहीं आता कि राजस्थान नहर की जो लिफ्ट ईरिगेशन योजना बनाई जा रही है उसमें १२ नए पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से क्यों निर्धारित किया है?

(४.०५ म. प.)

(राव श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

राजस्थान नहर की लिफ्ट योजना को एक प्रोडक्टिव स्कीम मान कर चलना चाहिए क्योंकि इससे लाखों किसानों को राहत मिलेगी। इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए जो पावर रेट्स फिक्स करें वे दो नए पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से लगाएं और इकोनोमिक्स वर्क आउट करेंगे तो १० रु० प्रति एकड़ के हिसाब से खर्चा आएगा और किसान को पोसाएगा। सरकार को इस दृष्टिकोण से सोचना है कि इस एरिया को डेवलप करना है। इससे यह स्कीम सफल होगी। इन बातों को ध्यान में रखते हुए ऐसे इलाके विकास के लिए जहां आए साल करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, इस लिफ्ट योजना को जल्दी से जल्दी सरकार स्वीकृति दे, इससे किसानों को लाभ पहुंचेगा। उसके साथ साथ वहां के लोगों को इन्डाइरेक्ट बेनीफिट्स होंगे जिसके बारे में डिटेल में जाना मेरे लिए आवश्यक नहीं है।

इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, अप्रेल से राजस्थान कैनाल ऑथोरिटी अलग से निर्माण होने जा रही है और मुझे जहां तक जानकारी मिली है इस ऑथोरिटी को कोलोनाईजेशन लैंड अलॉटमेंट और कन्स्ट्रक्शन के सारे पॉवर्स राजस्थान सरकार देने जा रही है। मेरी समझ में नहीं आता कि अगर हम कोलोनाइजेशन केन्द्रीय सरकार के सुपुर्द करेंगे, लैंड अलॉटमेंट उनके हाथ में सुपुर्द करेंगे तो राजस्थान सरकार के पास क्या

(श्री भीमसेन)

रह जायेगा ? इससे हमारे राजस्थान के निवासियों को जो उस इलाके में रहने वाले हैं, कोई लाभ पहुंचने वाला नहीं है। बिहार में दामोदर वैली कोर्पोरेशन केन्द्रीय सरकार ने चलाया, तो उसके लिए बिहार सरकार की क्या प्रतिक्रिया है, वह सरकार को ध्यान में रखना चाहिए और राजस्थान कैनाल ऑथोरिटी को क्या पावर मिलना चाहिए या नहीं, इस बात का फैसला राज्य की जनता के हक में करना चाहिए कि उसको केवल कन्सट्रक्शन के काम के लिए ऑथोरिटी देना अथवा कोलोनाइजेशन और अलॉटमेंट की पावर्स देना है। राजस्थान सरकार कह सकती है कि हमने राजस्थान के विकास की दृष्टि से, राजस्थान कैनाल को जल्दी बनाने के लिहाज से सारा खर्चा केन्द्रीय सरकार दे रही हैं, इसलिए राजस्थान कैनाल ऑथोरिटी को सारे पॉवर देने पड़ रहे हैं, लेकिन केन्द्रीय सरकार जो पैसा दे रही है इस कैनाल के लिए हमारे राज्य के लिए वे केवल ऋण मात्र होंगे, उसको चुकाना हमारी जिम्मेवारी होगी, तो फिर इस ऑथोरिटी को कम से कम लैंड अलॉटमेंट के पावर्स तो नहीं देने चाहिए।

अगर राज्य सरकार मेरी यह बात भी नहीं मानती है तो कम से कम अन्त में यह निवेदन करना चाहता हूँ राज्य सरकार से कि राजस्थान केनाल ऑथोरिटी का चेयरमैन बने वह कम से कम दो टर्म के लिए राजस्थान का होना चाहिये। इतना अगर आप कर पायेंगे तो इससे ही राजस्थान के लोगों को काफी लाभ पहुंच सकेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि राज्य सरकार ने भूमि सुधार के बारे में काफी कदम उठाये हैं और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि राज्य सरकार भूमि सुधार के माने में हिन्दुस्तान के अन्य प्रान्तों के मुकाबले सबसे आगे है और अधिक प्रोग्रेसिव है यह मुझे कहने में शंका नहीं है लेकिन जहां तक भूमि सुधार के क्रियान्वयन का सम्बन्ध है उसमें कई तरह की अड़चनें आती हैं और किसानों को हम हक देना चाहते हैं वह उनको नहीं मिल पाते हैं। मैं उदाहरण के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे राजस्थान केनाल एरिया में जो राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की दफा १५ के अन्तर्गत जो अधिकार किसानों को मिलने चाहिये, जो हक किसानों को मिलने चाहिये उसका अन्त काल आज तक नहीं हुआ है। यह अधिकार १५ आक्टोबर १९५५ को जो काश्तकार था उस दिन उसका उस भूमि पर कब्जा था उस दिन से ही मिलना चाहिये था।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : राजस्व मंत्री यहां नहीं हैं, इसलिए यह भी ही आप नोट कर लीजिये।

श्री भीमसेन : अभी तक हजारों किसानों को आज तक के हक प्राप्त नहीं हुए हैं इसलिए राज्य सरकार को तत्काल इस बारे में कार्यवाही करनी चाहिये और राजस्थान केनाल ऑथोरिटी उससे पहले बन गयी तो दफा १५ के तहत जो बेनिफिट मिलने वाला था उससे हमारे वहां के हजारों काश्तकार महरूम रह जावेंगे। इसलिए मैं राज्य सरकार से निवेदन करना

Page No.105

(श्री भीमसेन)

चाहता हूं कि राजस्थान कैनाल ऑथोरिटी के निर्माण के पूर्व एक महीने में बनने वाली है, इस अवधि के बीच में इस धारा १५ के तहत काश्तकारों को जो खातेदारी हक मिलने चाहिये थे उनका इन्तकाल हो जाय।

(हियर-हियर)

हमारे मुख्य मंत्री महोदय ने बजट सेशन में १९६२ में इस बात की घोषणा की थी कि दफा १५ का फायदा, जो किसानों के हक में है उसके अन्तर्गत जो हक उनको मिलने चाहिये वे हम देंगे। उस समय वे मुख्य मंत्री के साथ साथ राजस्व मंत्री भी थे और सन् १९६२ के बजट सेशन में उन्होंने यह घोषणा की थी। काश्तकारों के एक रिट पिटीशन में राजस्थान हाईकोर्ट ने इसको होल्ड किया है कि दफा १५ के तहत खातेदारी राइट्स उन किसानों को हासिल हो चुके हैं। सन् १९५५ के खातेदारी कानून के अन्दर जो १५ ए धारा जोड़ी गई है वह अनकॉन्स्टिट्युशनल है। उसे कॉन्स्टिट्यु-शनल हाईकोर्ट ने करार दिया है। इसलिए राजस्थान सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार दफा १५ के अन्तर्गत जो काश्तकारों को खातेदारी राइट्स प्राप्त हो चुके हैं उनका इन्तकाल कर दें। मैं काश्त-कारों की ओर से राज्य सरकार को धन्यवाद दूंगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैंने तो अभी बहुत संक्षेप में ही बात कही है। मुझे बहुत अधिक कहना है।

श्री उपाध्यक्ष : आप पांच मिनट और ले लें।

श्री भीमसेन : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार ने सन् ५७ के लैंड अलॉट-मेन्ट रूल्स बना रखे हैं। उसके अन्तर्गत राजस्थान के दूसरे हिस्सों के काश्तकारों को जो टेम्पोरेरी अलॉटमेंट होते हैं वे दस वर्ष के लिए होते हैं जब कि रेगिस्तानी इलाके के लिए यह पाबन्दी लगा दी गई है कि उनको अलॉटमेंट तीन साल के लिए ही होंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि रेगिस्तानी इलाके के काश्तकारों को राज्य के दूसरे हिस्सों के काश्तकारों की तरह ही पटवारी, रेवेन्यू अफसरों की परेशानियों से बचाना चाहिए और जिस प्रकार आप दूसरे हिस्सों में दस वर्ष के लिए अलॉट-मेंट करते हैं उसी प्रकार रेगिस्तानी इलाके में रहने वाले काश्तकारों को भी दस साल के लिए अलॉटमेंट कीजिए। उसके बाद ओटोमेटिकली खातेदारी राइट्स काश्तकार के हो जाते हैं। उसी प्रकार की व्यवस्था आप रेगिस्तानी इलाके में कीजिये जिससे काश्तकारों को राहत मिल सके।

इसके साथ साथ उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा के क्षेत्र के लिए भी निवेदन करना चाहता हूं। हमारी राज्य सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में काफी प्रगति की है। प्राइमरी, सैकन्डरी और कॉलेज स्टेज तक राज्य सरकार ने काफी संस्थायें खोली हैं और राहत पहुँचायी है। छात्रों के लिए छात्रवृत्तियां देकर और ऋण देकर सरकार ने उनको आगे बढ़ाने और उनको प्रोत्साहन देने का प्रयत्न किया है यह अच्छी बात है। लेकिन मैं सरकार से एक बात निवेदन

(श्री भीमसेन)

करना चाहता हूं कि जो प्रोफेशनल कॉलेजेज़ हैं उनमें एडमिशन के लिए देहाती क्षेत्रों के बच्चों के लिए आबादी के हिसाब से उनमें सीट रिज़र्व करायी जाय। मैं निवेदन इसलिए करना चाहता हूं कि देहाती क्षेत्रों के बच्चे शहरी बच्चों का मुकाबला नहीं कर सकते। उनको शिक्षा की ग्रॉपोर्चुनिटी इतनी नहीं मिल सकती जितनी कि शहरी बच्चों को मिलती है। इसलिए सरकार को चाहिये कि इनको एक बैकवर्ड एरिया मान कर प्रोफेशनल कॉलिजेज़ में देहाती क्षेत्रों के बच्चों के लिए सीट्स रिज़र्व करनी चाहिये। यदि आप इस तरह को व्यवस्था करेंगे तब ही देहाती क्षेत्रों के बच्चे आगे बढ़ पावेंगे। हम समाजवाद की बात करते हैं। अगर वास्तव में हमें समाजवाद लाना है तो आप प्रोफेशनल कॉलिजेज़ में इस प्रकार की व्यवस्था कीजिये। मैं मद्रास, आंध्र और मैसूर, तीन राज्यों के उदाहरण पेश करना चाहता हू राज्य सरकार के सामने। कई राज्य सरकारों ने इस प्रकार की व्यवस्था कर रखी है। मेडीकल इन्जीनियरिंग और दूसरे जो प्रोफेशनल कॉलिजेज़ हैं उनमें उन्होंने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि देहाती क्षेत्र की पिछड़ी हुई जातियां हैं उनके बच्चों के लिए सीट्स रिजर्व कर रखी हैं। मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जहां राज्य सरकार ने शिक्षा में कदम उठाया है वहां ऐसे कदम भी उठाये हैं कि जिससे देहाती क्षेत्रों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। राज्य सरकार ने भूमि-सुधार के क्षेत्र में कदम उठाये और उससे लाभ प्राप्त किया। उसी तरह से शिक्षा-क्षेत्र में देहाती क्षेत्र को उठाने के लिए कदम उठाये। मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि वह इस प्रकार की व्यवस्था करेगी, मुझे ऐसी उम्मीद है।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : एक व्यवस्था का प्रश्न है, उपाध्यक्ष महोदय। हाउस में वैसे ही एक ही मिनिस्टर बैठे हैं और वे भी यदि अन्य सदस्यों से वार्ता में लग जायं और जब भाषणों के दौरान में यदि कोई विशेष महत्वपूर्ण सुझाव दिये जायं तो वे उनके लिए नहीं के बराबर हो जाते हैं। वे उनकी ओर ध्यान ही नहीं दे पाते। इसलिए इस प्रकार की व्यवस्था कर दी जाय कि यदि एक ही मिनिस्टर बैठे लेकिन वे माननीय सदस्यों के सुझावों की ओर ध्यान दें और बातें न करें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : मुझे एक आपत्ति है। कांग्रेस की बेंचों से एक ही तो बुद्धिमानी से पूर्ण भाषण हो रहा है और वह भी उसको माननीय श्री मोतीलालजी मंत्री महोदय से बात करके खत्म करवा रहे हैं; वैसे ज्वालाप्रसादजी ने ढाई घंटे सिंह-गर्जना की, लेकिन कोई महत्व का सुझाव नहीं दिया।

श्री विजयसिंह झाला : माननीय मिर्धा साहब से पूछा जाय कि माननीय भीमसेनजी ने शिक्षा के बारे में क्या महत्वपूर्ण सुझाव दिया है। (विराम) उन्हें मालूम ही नहीं, फिर वे दूसरों की क्या जिम्मेदारी लेते हैं ?

श्री भीमसेन : जहां तक उद्योगों का प्रश्न है आज हमारे राजस्थान राज्य में एक

(श्री भीमसेन)

वातावरण बना है। लोग उद्योग धन्धे खोलने के लिए आगे आ रहे हैं और ऐसे वातावरण में राजस्थान सरकार को कुछ हिम्मत से काम लेने की आवश्यकता है। आज हमारे हिन्दुस्तान के दूसरे राज्यों में जहां पर औद्योगिक विकास का प्रश्न है वहां की सरकारें दिलचस्पी लेकर केन्द्रीय सरकार से पब्लिक सेक्टर में यूनिटे प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत सरकार की ओर से हेवी इलेक्ट्रिकल्स युनिट्स चौथी योजना में नियत की गई है, मशीनटूल्स में भी युनिट्स की जायं, राज्य सरकार को दिलचस्पी लेकर करना चाहिये। हेवी इन्डस्ट्रीज की कोई न कोई यूनिट लार्ज स्केल पर हो, इसी प्रकार की कोशिश करनी चाहिये। भारत सरकार ने मशीन टूल्स की एक यूनिट राजस्थान सरकार को दी। यदि हेवी इलेक्ट्रिकल्स की युनिट्स चेष्टा करके ले पाये तो हमारे राजस्थान में लार्ज स्केल में इन्डस्ट्रीज़ का डेवलपमेन्ट होगा और उसका असर स्टेट की इकोनोमी पर भी पड़ेगा। इससे हमारी इकोनोमी बढ़ेगी। आज एक्साइज़ और सेल्स टैक्स आदि करों की दृष्टि से जो इन्कम है, लार्ज स्केल इन्ड्स्ट्रीज़ हमारे यहां नहीं होने से हमारी इन्कम अधिक नहीं हो पाती है और हर बर्ष हमारी राज्य सरकार को टैक्स लगाने पड़ते हैं। इसलिए राज्य सरकार को सोचना चाहिये कि लार्ज इन्डस्ट्रीज़ गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया स्थापित करने जा रही है उसकी अधिक से अधिक युनिट्स प्राप्त करने की कोशिश करे।

अब यह सवाल आता है कि यह यूनिट कहां स्थापित करें? इसकी बहस में इस समय जाना नहीं चाहता मैं।

पिछले साल राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में इस बात को मन्जूर किया था कि एक वूलन मिल पब्लिक सेक्टर में स्थापित होगा। और वह बीकानेर में स्थापित होना था। पर उस बारे में सरकार ने अब तक क्या कदम उठाये, इसके बारे में कुछ नहीं कहा।

बीकानेर जिला पिछड़ा हुआ इलाका है। वहां किसी प्रकार का कोई उद्योग धन्धा नहीं है। अगर आप वूलन मिल वहां स्थापित करेंगे तो जनता को लाभ मिलेगा, भयंकर बेकारी से राहत मिलेगी काफी हद तक।

बीकानेर में वूलन प्रोडक्शन सेन्टर भी बन्द पड़ा है। वूलन टैक्नोलोजी इन्स्टिट्यूट वहां स्थापित करके अच्छे कार्यकर्त्ता आप तैयार कर पावेगें। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो ब्लेंकेट का यूनिट वहां पड़ा है उसको इस वूलन टैक्नोलोजी इन्स्टिट्यूट को दे दें। अच्छे कार्यकर्त्ता आपसे वहां मिल जावेंगे।

बीकानेर में बीकानेर जिप्सम लिमिटेड नामक एक कम्पनी है। उसके बारे में निवेदन करना चाहता हूं। इस कम्पनी में ४० परसेन्ट शेअर सरकार के हैं। पर सरकार को यह चिन्ता नहीं कि इस कम्पनी में कितनी गड़बड़े और घोटाले होते हैं। आये साल कलकत्ता ऑफिस बना रखा है। दिल्ली, बीकानेर और जामसर में चार चार ऑफिस, चार चार जगह और अनाप-शनाप खर्चा करते हैं। जिसके बारे में सरकार के डाइरे--

(श्री भीमसेन)

क्टर साहब का भी ध्यान नहीं जाता। यह अहम प्रश्न है। इस कम्पनी के कार्यकर्त्ता जनरल इलेक्शनों में हर बार खड़े होते हैं और कम्पनी के जितने कार्यकर्त्ता होते हैं सब छुट्टी लेकर उसका इलेक्शन का काम करते हैं।

अभी पंचायत चुनावों में भी उनकी गाड़ियां-ट्रक काफी दौड़े हैं और अनाप शनाप खर्चा किया है।' सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये।

उस कम्पनी में जो सामान खरीदा जाता है उसमें भी बड़ी गड़बड़ियां होती हैं और लाखों रुपया इधर उधर होता है।

इस तरह से संक्षेप में मैंने जो दो–चार बातें कही हैं, आशा है, सरकार उनकी तरफ ध्यान देगी।

श्री जुझारसिंह (चेचट) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय द्वारा विधान सभा में दिये गये अभिभाषण पर धन्यवाद देने को खड़ा हुआ हूं।

मैं सिर्फ उन बातों का, जिनका हमारे क्षेत्र पर खास तौर से असर पड़ता है, जिक्र करूंगा और उनमें से मुख्यत: इरिगेशन, सोइल कन्जर्वेशन और एग्रीकल्चर के बारे में होंगी।

इसके पहले कि इन बातों पर कुछ प्रकाश डालूं, मैं, राज्यपाल महोदय ने जो अपने अभिभाषण के प्रारम्भ में कामना की है कि जनतन्त्र हमारे इलाके में सुदृढ़ हो, उसके बारे में भी कुछ कहना चाहूंगा।

मेरा यह अनुभव है और मैं समझता हूं कि हमारा जो पंचायतों का चुनाव हुआ उसकी चुनाव-पद्धति दोषपूर्ण है, उसे हमें सुधारना होगा। आज इससे हमारे देहाती क्षेत्र इतने डिवाइडेड हो गये हैं, जातिवाद और अनेक दूसरी बातों में-कि अगर हमने इस पद्धति में सुधार नहीं किया और अधिक समय तक इस प्रणाली को चालू रखा तो राज्यपाल महोदय की कामना जनतंत्र सुदृढ़ बनाने की पूर्ण नहीं हो सकेगी।

इस पद्धति के कारण न केवल हमारा देहाती समाज विभिन्न जातियों में और वर्गों में ही बंट गया है बल्कि इसमें धन का भी बहुत दुरुपयोग होता है और पंचों, सरपंचों को एक जगह इकट्ठा करके अपने पैसे के बल से या अन्य साधनों द्वारा प्रभावित भी किये जाने की सम्भावना बहुत अधिक हो गई है। इससे हमारा जनतन्त्र कमजोर पड़ा है। इस तरफ सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। हम या तो इस पद्धति में तब्दीली लावें या ऐसा परिवर्तन कानून में करें कि जिससे जनतन्त्र सुदृढ़ बन सके सही माने में।

अब मैं अपने विषय पर आता हूं। सोइल कन्जर्वेशन की समस्या राजस्थान में है। यह समस्या प्रमुख रूप से कोटा क्षेत्र में और बूंदी, झालावाड़ में भी है। इस दिशा में राज्य सरकार ने अब तक जो प्रयत्न किये हैं वे सराहनीय हैं। पर अब भी बहुत करने की आवश्यकता है।

हमारे चम्बल क्षेत्र में जिस तरह से लैंड अलॉटमेन्ट हो रहा है, इन्डिस्क्रिमिनेटली जिसमें मार्जिनल एरिया को और ऐसे एरिया जिनको प्रिजर्व करना जरूरी है सोइल

Page No.109

...कारसिंह)

...न की दृष्टि से वह गलत है-अब यह ...ट मार्जिनल एरिया का क्यों कर हो ... या तो सेटलमेंट के रेकार्ड की ...के कारण या लैंड कॉडेस्फिकेशन ठीक ...ा हुआ होने के कारण। इस मार्जि-...के अलॉटमेंट हो जाने के कारण ...न्जर्वेशन के काम में रुकावट आ ...और काश्तकारों को सरकार जो इस ...लिये पैसा दे रही है और मेड़बन्दी ...दूसरे दूसरे प्रोग्राम चला रही है वे ...ावित हो रहे हैं।

...कार की गलत नीतियों के कारण ...न्टेशन में गलती होने के कारण जो ...ीनों का गलत अलॉटमेंट हो जाता ...तौर से चम्बल एरिया में, उजाड़ ...पर वन और कालीसिंध के किनारे ...न कन्जर्वेशन बढ़ गया है। तो मैं ...का ध्यान दिलाना चाहूँगा कि वह ...टमेन्ट की अपनी पॉलिसी में इस ... तबदीली लावे कि जो मार्जिनल एरिया है, नदी के किनारे के क्षेत्र हैं और जिनमें ग्रेडियेन्ट बहुत ज्यादा है, जिनके कल्टीवेट हो जाने से पानी का बहाव बढ़ जाता है, तो ऐसे मार्जिनल लैंड के अलॉटमेंट को बन्द कर दिया जावे।

मैं समझता हूं कि यह केवल लैंड अलॉटमेंट की गलती नहीं है। कोलोनाइज़ेशन डिपार्टमेंट ने भी मार्जिनल एरिया एक लैंड को या तो अपनी आमदनी बढ़ाने के लिये या दूसरी वजहों से बहुत ज्यादा तादाद में बेच दिया है और क्योंकि कमान्डेड एरिया में चरागाह की प्रथा को बन्द कर दिया है इसलिये जो मार्जिनल लैंड ग्रेजिंग वाला लैंड भी होने के कारण अब तक बच जाता था, कमाण्डेड एरिया में आ जाने से व चारागाह उठा दी जाने से ऑल अवेलेबल कल्चरेबल या अनकल्चरेबल लैंड पर खेती होनी शुरू हो गई है। इसका नतीजा यह हुआ कि सोइल इरोज़न बढ़ गया है और सोइल फर्टीलिटी कम हो गई है। मैं इसकी तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। यह जरूरी है, खराब लैंड अलॉट हो गया और जिसकी वजह से सोइल इरोज़न बढ़ गया है उसको पड़त करवा कर सोइल इरोज़न रोकने की कोशिश करनी चाहिये। यही नहीं, बहुत वर्षों पहले भी नदियों की बहुतायत के कारण सोइल इरोज़न होता है इसलिये स्टेट के जमाने में एक खास महकमा खोला हुआ था, जिसका नाम महकमा बन्धात था। लाखों का काम इस महकमे बंधात ने करवाया है। सोइल कन्जर्वेशन के मामले में भी इसने काम अच्छा करवाया था पर जब से इस महकमा बंधात का काम बन्द हुआ राजस्थान बनने के बाद से तब से कठिनाई बढ़ी है और जो इस महकमे ने उस समय बान्ध बनवाये थे उनको मेन्टेन करने और रिपेयर करने या दुबारा बनवाने की ओर सरकार ने कदम नहीं उठाये हैं वे उठाने चाहिये। हालांकि इस मसले पर विधान सभा में भी मैंने कहा है और मन्त्री महोदय से भी निवेदन किया था। पर अभी तक इस बारे में खास काम नहीं किया गया है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि सोइल कन्जर्वेशन के लिये यह भी जरूरी है कि इस महकमा बंधात के जरिये बनाये गये बान्धों का रिपेयर कराया जावे, मेन्टेन कराया जावे।

Page No.110

(श्री जुझारसिंह)

सोइल कन्ज़र्वेशन के बारे में गवर्नमेन्ट की पॉलिसी है, इसके लिये बहुत से डिपार्ट-मेंट्स काम करते हैं। जो जमीन सेटलमेंट में किसी वजह से कल्चरेबल लैन्ड के नाम से दर्ज हो गई है, कृषि के लिए अलॉट हो जाती है। वेस्ट लैंड जरूर है वह, लेकिन कल्चरेबल नहीं है। काश्तकारों में अभी तक इतनी समझ नहीं है कि ग्रेडियेन्ट लैन्ड पर खेती किस तरह से होनी चाहिये उससे क्या नुकसान होने वाला है ? साल दो साल तो ठीक खेती होती है, बाद में वह खराब हो जाती है। इसकी वजह से नुकसान होता है। इस दिशा में सरकार को चाहिये कि कल्चरेबल वेस्ट लैन्ड के नाम से सेटलमेंट डिपार्टमेन्ट द्वारा जो रोबिन लैन्ड भी एन्टर करली गई है ऐसी रोबिन लैन्ड की खेती के लिए अलॉट करने से पहले जांच होनी चाहिये उसके बाद वह अलॉट होनी चाहिये। केवल सैटलमेन्ट रेकॉर्ड में दर्ज होने मात्र से अलॉटमेन्ट नहीं किया जाना चाहिये। मेरी खुद की तहसील के क्षेत्र में जहां पर हजारों बीघा जमीन नदी के किनारे रोबिन्स पड़ी हुई है हजारों बीघा जमीन सिर्फ इस वजह से सैटलमेन्ट में कल्चरेबल वेस्ट लैन्ड के नाम से दर्ज है, अलॉट कर दी गई है। इसकी वजह से किसानों को बहुत ज्यादा हर्जाना उठाना पड़ रहा है।

अब मैं इरिगेशन विभाग के बारे में कुछ निवेदन करना चाहूंगा। चम्बल के नीचे कुल जितना एरिया सिंचित होने वाला था उसमें से करीब ५० प्रतिशत एरिया ५. ५ लाख एकड़ में सिंचाई होने की योजना थी जिसमें से २.२ लाख एकड़ में सिंचाई होने लगी है। इस स्थिति को सरकार ने मंजूर किया है कि उस एरिया में वर्षा ज्यादा होने की वजह से वहां पर वाटर लोगिंग बहुत हो गया है। आगे वहां सिंचाई होने की ज्यादा आशा नहीं होगी। इस वक्त से १८ हजार एकड़ में वाटर लोगिंग की प्रोब्लम है। जब इन दो सालों में इतनी प्रोब्लम हो सकती है तो आगे वह कितनी बढ़ जायगी इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिये।

दूसरा पोइन्ट जो सरकार ने बताया कि वहां उस भूमि में सॉल्ट ज्यादा पैदा हो जाती है। प्राकृतिक वातावरण ऐसा है कि सॉल्ट ज्यादा पैदा होती है। जब सरकार की निगाह में ऐसी बात आ गई है तो यह सोचने की बात है कि इस तरह साल्ट ज्यादा निकलने की वजह से जमीन के बिगड़ने की संभावना है उसके लिए आपने क्या एक्स-पेरिमेन्ट किया व इसको किस तरह से रोका जा सकता है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है।

इनके साथ ही कम्पेन्सेशन का प्रोब्लम भी राजस्थान वाइड प्रोब्लम हैं। चूंकि हमारे क्षेत्र में कोटा, झालावाड़, बूंदी एरिया में बहुत ज्यादा तादाद में नहरें बनी हैं, चम्बल की बहुत बड़ी योजना हैं, परबन, कालीसिन्ध, उजाड़ आदि भी योजनायें हैं। जितना एरिया सिंचित करना चाहते हैं उसका पचास प्रतिशत एरिया इस समय सिंचाई के नीचे ला चुका है। कई प्रतिशत पोपूलेशन एफेक्टेड है। अगर इन्हें समय पर कम्पेन्सेशन नहीं मिला और वह भी इस वजह से कि कम्पेन्सेशन के लिये दो, तीन,

Page No.111

(श्री जुझारसिंह)

चार महकमों द्वारा कार्यवाही करनी पड़ती है, से इरिगेशन डिपार्टमेंट कहता है कि अभी तक अवार्ड तैयार होकर राजस्व विभाग से नहीं आया इसलिये कम्पेन्सेशन नहीं दे सकते। एक डिपार्टमेंट दूसरे पर जिम्मेवारी डाल देते हैं इससे काश्तकारों को सेटिस्फेक्शन नहीं हो सकता। काश्तकारों को आपके भिन्न भिन्न डिपार्टमेंटी से रुचि नहीं है वे तो अपना कम्पेन्सेशन पाने में इन्टरेस्टेड हैं, वे चाहते हैं कि जो जमीन उनसे ली गई है उनका समय पर उनको मुआवजा मिले। जिनकी जमीन जा चुकी है उनको मुआवजा मिलना चाहिसे। यह मसला राजस्थान के करीब करीब सभी हिस्सों में आता है इसलिये इस बारे में सरकार को देखने की जरूरत है कि किस तरह से वेरीवेयस डिपार्टमेंट्स का कोई कोडिनेशन हो जिससे की अवार्ड व कम्पेन्सेशन मिलने में डिले नहीं हो।

भीमसागर प्रोजेक्ट अभी शुरू नहीं हुआ। परन्तु दस वरस पहले नहरें खुद चुकीं, उसका कम्पेन्सेशन नहीं दिया। इरिगेशन विभाग को एप्रोच करते हैं तो वह कहता है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट से अवार्ड्स तैयार होकर नहीं आये हैं। रेवेन्यू डिपार्टमेंट दिलचस्पी नहीं ले रहा है। दस वरस पहले की ली हुई जमीन का भी मुआवजा नहीं मिलना यह कोई अच्छी चीज नहीं है। इससे काश्तकारों को बड़ा भारी असन्तोष हैं। जमीन नहरों के लिये ले ली गई, पर सरकार अभी भीम सागर स्कीम के बारे में कुछ नहीं कह सकती कि वह कब शुरू होगी। ली हुई जमीन का न मुआवजा ही दिया गया है और लेन्ड रेवेन्यू बराबर चार्ज किया गया है। यह राजस्थान वाइड प्रोब्लम प्लान है सरकार को इस बारे में खुद सीरियसली सोचकर इन्टर डिपार्टमेंटल के कम्प्लीकेशन व डुप्लीकेसी को दूर करना चाहिये। ऐसी योजना बनानी चाहिये ताकि काश्तकारों को कुछ इन्टेरिम कम्पेन्सेशन तो समय पर मिल जाय और अनेको इस तरह के कॉम्प्लीकेशन्स की वजह से डिले नहीं हो।

इसके साथ साथ नहरों के पास जो रास्ते बनाये हैं इनसे ट्रेडीशनल रूट्स थे वे बन्द हो गये हैं। वैसे काश्तकारों को दूसरे गांवों में जाने से बहुत अड़चन आती है, इस ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिये। जो भी ब्रिजेज़ या रास्ते सरकार ने बनाये हैं उनके लिये न तो ग्राम पंचायतों को और न लोकल पोपुलेशन को पूछा गया है। अब जो भी योजना बनने वाली हैं, उसके अन्दर रास्ते या ब्रिजेज़ बनाये जायं तो उसके लिये गांव की लोकल पोपुलेशन को कन्सल्ट किया जाय ताकि उनकी सुविधानुसार जितने रास्ते आवश्यक हों उतने ही बनाये जायं ताकि गांव के लोगों को तकलीफ कम हो।

अब मैं कुछ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के बारे में अर्ज करूंगा। हमारी सरकार एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाने की ओर काम कर रही है, इसके लिये वह बधाई की पात्र है। इतना सब होते हुए भी प्रोडक्शन जितना बढ़ना चाहिये उतना बढ़ नहीं पाया है। अभी एक इन्डो-अमेरिका रिपोर्ट मैंने

(श्री जुझारसिंह)

देखी उसके अन्दर उल्लेख है कि २ पोइन्ट १ परसेन्ट हमारी प्रोडक्शन में इन्क्रीज हुआ है जो बढ़ती हुई आबादी के अनुपात में बहुत ही कम है। इतने थोड़े प्रोडक्शन का देश पर कोई असर नहीं हुआ है। हमें यह सोचने की जरूरत है कि हमारी ग्रोइंग पोपुलेशन के अनुपात से हम हमारा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ायें और जब तक एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को नहीं बढ़ाते हैं तो जिस तरह के क्राइसिस फूड शोर्टेज के हमारे देश में आते हैं वह बराबर आते रहेंगे। उसके बारे में मैं इतना ही कह सकता हूं कि आपके द्वारा मैथड्स एडॉप्ट किये गये हैं, केमिकल फर्टीलाइजर्स को देने के या तकावी के बांटने के या दूसरे–जहां जहां काश्तकार केमिकल फर्टीलाइजर्स की उपयोगिता को समझ गया है वह काम में लेने लग गया है और उसको इनसे फायदा भी हुआ है। लेकिन अधिकांश जगह पर यहां तक कि पंचायत हेड क्वार्टर्स पर भी मैं अन्ता पंचायत समिति में गया था वहां बी० डी० ओ० और राज्य के बहुत से सीनियर ऑफिसर्स रहते हैं उनके सामने २०–२५ बोरियां साल दो साल से पड़ी हुई थीं और वह पड़ी पड़ी बेकार हो गई थीं। इसी तरह से ब्लॉक्स में जो फर्टीलाइज़र बांटा जाता है उसमें यही देखा जाता है, ऑफिसर की एफीशियेन्सी इस बात में देखी जाती है कि उस ब्लॉक में कितना फर्टीलाइज़र बंट गया।

नामवरी लेने के लिए यह तरीका है कि पंचायत समिति विभिन्न पंचायतों के नाम फर्टीलाइज़र इश्यू कर देती है। लेकिन फर्टीलाइज़र की बोरियां युटीलाइज़ करते हैं या नहीं। इसकी कोई परवाह नहीं करता है। ऐसी मिसालें और भी है कि सरपंचों और ग्रामसेवकों के मना करने पर भी पर्टीक्युलर क्वान्टिटी का फर्टीलाइज़र डम्प कर दिया जाता है। कई जगहों पर सरपंच मना करते हैं तो चपरासी वगैरह की रसीद लेकर फर्टीलाइज़र की बोरियां यहां पर छोड़ दी जाती हैं। इसका नतीजा यह होता है कि वहां उस फर्टीलाइज़र को रखने के लिए न तो मकान होता है, न कोई गोदाम होता है और उसकी वजह से जितना यूज़ गुड मेन्योर का होना चाहिये वह नहीं हो पाता है।

इसी तरह से एग्रीकल्चर की दूसरी प्रेक्टिस है। उसके अन्दर जितना एचीव करना चाहिए उतना एचीवमेंट नहीं हो रहा है। जिसके ऊपर हमें ध्यान देने की जरूरत है वह यह है कि हमारा एग्रीकल्चरल बढ़े और जो मेथड्स इसके लिए उपयोगी समझे जाते हैं और जिनको सरकार समझती है कि इनको काश्तकार अपनाये उनके बारे में काश्तकार को कन्विन्स करने की जरूरत है। उसके लिए हमारी एग्रीकल्चर एक्सटेन्शन सर्विस रेस्पोन्सिबल है और मैं समझता हूं कि जो ड्यूटीज़ उनकी हैं उनको निभाने में वे कामयाब नहीं हुए हैं, इसलिए एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को यह ध्यान देना चाहिए कि जो एग्रीकल्चर एक्सटेन्शन सर्विस है वह यह भी देखे कि जो मेथड्स उनके द्वारा एडॉप्ट किये गये हैं उनको काश्तकार एडाप्ट करता है या नहीं और उनके द्वारा कोई रिज़ल्ट्स एचीव होते

(श्री जुझारसिंह)

हैं या नहीं। सिर्फ किसी चीज को बांटने या डम्प कर देने से सेटिस्फेक्शन नहीं हो जाना चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसके बाद में मैं थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के बारे में कहूंगा। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में एफीशियेन्सी की कामना राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में की है। एडमिनिस्ट्रेटिव एफीशियेन्सी दिनो-दिन बिगड़ती जा रही है जिसको सरकार ने भी महसूस किया है और इसको महसूस करके ही सरकार ने एन्टी-करप्शन डिपार्टमेन्ट, विजिलेन्स डिपार्टमेन्ट और दूसरे डिपार्टमेन्ट्स खोले हैं। इन डिपार्टमेन्ट्स को कायम करना ही इसका सुबूत है कि हमें एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेन्ट करने की आवश्यकता है। लेकिन देखना यह है कि इन डिपार्टमेन्ट्स को कायम करने के बाद में हमारे एचीवमेन्ट की दशा में क्या हुआ है? मैं समझता हूं कि उसमें नेग्लीजेबल एचीवमेन्ट है। अभी आपने जो विजिलेन्स डिपार्टमेन्ट खोला है उसमें जिस तरह की शिकायतें लोगों ने की हैं उसमें करीब १७०० कम्प्लेन्ट्स गवर्नमेन्ट ऑफिसर्स की हैं और करीब ४०० कम्प्लेन्ट्स प्राइवेट पार्टीज़ की हैं। तो यह इस बात को बताता है कि गवर्नमेन्ट सर्विसेज़ के मुलाजिमों में ही कितना ज्यादा असंतोष है। अभी तक १७०० कम्प्लेन्ट्स सामने आ चुकी हैं और उनकी तादाद दिनो-दिन बढ़ती ही रहेगी। जितनी शिकायतें आई उसके अनुपात में १३६ शिकायतें यह डिपार्टमेन्ट डिस्पोज़ ऑफ कर सका है। जो रेट ऑफ डिस्पोज़ल है वह बहुत कम है और जो लोगों के ग्रीवान्सेज हैं वे पूरे नहीं हों, यह उचित बात नहीं है। उसी रिपोर्ट में यह भी जिक्र किया गया था कि न्यूज़ीलैंड में भी इसी प्रकार का विजिलेन्स डिपार्टमेन्ट है उसने ८०० में से ७०० कम्पलेन्ट्स डिस्पोज़ ऑफ कर दीं। अगर इस अनुपात में ग्रीवान्सेज़ का डिस्पोज़ल होता है तो हम समझ सकते हैं कि उससे जनता को कितनी राहत मिलेगी, लेकिन जिस अनुपात में अभी डिस्पोज़ल है कि १७०० कम्पलेन्ट्स में से १४० का साल भर में डिस्पोज़ल हुआ है तो यह तो रेट ऑफ डिस्पोज़ल बहुत स्लो है और जो कम्प्लेनेन्ट्स हैं और जो लोग परेशान हैं और जो किसी वजह से आज डिस्सेटिस्फाइड हैं उनका काम इस तरह से पूरा नहीं होगा।

इसी तरह से एन्टी-करप्शन डिपार्टमेन्ट है और दूसरे डिपार्टमेन्ट्स हैं उनका फार फ्रोम सेटिस्फेक्टरी एचीवमेन्ट है। इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज़ की दिशा में बहुत ज्यादा बढ़ने की आवश्यकता है और हमारा यह ऑर्गेनाइज़ेशन हम ज्यादा तेजी से लोगों की ग्रीवान्सेज़ को मीट करने में लगायें और उनको सेटिस्फेक्शन दे सकें उस दिशा में इम्प्रूवमेन्ट करने की आवश्यकता है।

अंत में मैं राज्यपाल महोदय को यहां कृपा पूर्वक सदन में पधारने और भाषण देने के लिए धन्यवाद देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हीराभाई !

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव आया है उसका मैं विरोध करता हूं । कारण यह है कि जितनी बातें राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में यहां पर कहीं वे सही हैं या नहीं; तो मेरा तो कहना यह है कि आपके अधिकारियों ने उनको गलत बातें बताई हैं । उसके बारे में तमाम मेरे से पूर्व बोलने वाले माननीय सदस्यों ने बताया है । माननीय राज्यपाल महोदय के भाषण से साफ जाहिर होता है कि खाद्यान्नों के बारे में काला-बाजारी नहीं होगी, ब्लैक मार्केटिंग भी नहीं होगी और रोकथाम उसकी हो जायेगी । परन्तु जब आप प्रतिबन्ध लगाते हैं और कानून बनाकर आप सर्कुलेट करते हैं उसको, जब तक आप पूरी तरह से उनको अमल में नहीं लाते हैं तब तक आपकी करनी और कथनी में हमेशा अंतर रहेगा । मैं इसका हिमायती नहीं हूं कि किसी को सजा नहीं होनी चाहिए और हमारे स्वतन्त्र भारत से किसी को परेशान नहीं किया जाये; उसका मैं हिमायती हूं लेकिन इस हिन्दुस्तान के लोगों को, राजस्थान के लोगों को अगर खून चूस कर अनाज नहीं दिया जाये और लोग तड़पते रहें और हमारी राज्य सरकार उसके बारे में किसी प्रकार का प्रबन्ध न करे, उसका भी मैं पक्का विरोधी हूं, क्योंकि उसका रास्ता एक ही निकल सकता है । आप कितनी भी पुलिस बोर्डर पर लगा दें लेकिन लोग अनाज बाहर ले जाये बिना नहीं छोड़ेंगे । क्योंकि गुजरात, महाराष्ट्र में २७ रु० का २० किलो चना है और हमारे यहां पर ८–९ रु० का २० किलो है....

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : गुजरात में क्या बताया ?

श्री हीराभाई : २७ रु० का २० किलो ।

आप कितने लोगों को पकड़ेंगे ? हमारे राज्य के अधिकारी उसी भ्रष्टाचार की छाया में चल रहे हैं । यह रिश्वत और भ्रष्टाचारी तो आपसे मिटने वाली नहीं है, जब तक कांग्रेस न मिट जाये तब तक । लेकिन उसका एक रास्ता हो सकता है और वह यही हो सकता है कि भारत सरकार से आप निवेदन करें और चाहे आप किसी तरह से उनके सामने झुक जायें और गुजरात प्रान्त के भावों के ऊपर और महाराष्ट्र के भावों पर कन्ट्रोल भारत सरकार जब तक नहीं करेगी तब तक यह समस्या कोई हल नहीं होने वाली है, क्योंकि भूखे देश के लोग हमेशा, जबकि एक एक पैसे के लिए मोहताज हैं वे बुराई करेंगे । उनको सजा देने के लिए आप तैयार नहीं हैं क्योंकि कांग्रेस सरकार का रवैया हो चुका है । हमारे वहां से हजारों ट्रक चना उदयपुर और बांसवाड़े से बाहर चला गया । उसमें पुलिस वाले व्यक्ति जो हैं, रिश्वत लेते हैं । हमने जबरदस्ती कलेक्टर साहब को किसी तरह से शिकायत करके १०–१२ केसेज पकड़ाये । अभी तक उनका चालान पेश नहीं हुआ है ।

अभी ज्वालाप्रसादजी कह रहे थे कि गलत बातों को नहीं कहना चाहिए, लेकिन कांग्रेस राज्य की संस्था के मुख्य नेता हरिदेवजी जोशी ने वहां के लोगों को दबाकर वहां के जितने केस थे वे केस, तमाम अधि-

(श्री हीराभाई)

कारियों को दबा कर, रुकवा दिये और आश्वासन लोगों को दिया कि जब तक पंचायतों के चुनाव नहीं होते तब तक किसी के सामने नहीं देखेंगे; अगर तुमने पंचायतों के चुनाव में कांग्रेस को विजयी बना दिया तो फिर देखेंगे। गुनाह लागू हो गया इसकी जिम्मेदारी हरिदेव जोशी की है। उन्होंने भ्रष्टाचार खुला करवाया बांसवाड़ा और डूंगरपुर में! वहां पर २७ केसेज़ को दबाया गया है। वहां पर सिर्फ १३ केसेज़ चल रहे हैं, चल ही नहीं रहे है पुलिस में पेंडिंग हैं। जोशीजी जब तक इजाजत नहीं दें तब तक केस नहीं चलने वाला है और हजारों ट्रक निकाल दिये गये उस तरह से। इस तरह से कांग्रेस पार्टी बराबर भ्रष्टाचार फैला रही है।

मैं यह नहीं कहता हूं कि कोई पथ खराब होता है। पथ या सड़क खराब नहीं होती है, पर पथ पर चलने वाला, वाहन चलाने वाला ड्राइवर खराब होता हैं। या तो हुकूमत वह तय कर ले कि जो शराब पीकर किसी तरह का वाहन चलाये और हमारे लोगों को कुचलता चला जाय तो ड्राइवर को सजा दें और मोटर को वहां से हटाकर बाहर फेंक दें तब जाकर भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है। लेकिन कांग्रेस वालों की यह हिम्मत नहीं है। सबका एक ग्रुप बन चुका है उसके बारे में। जब तक जनता में हिम्मत नहीं आयेगी, जनता अपने आप नहीं सोचेगी तब तक कांग्रेस वालों का मनमाना रवैया चलता रहेगा और भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। मेरा यह निवेदन है कि भारत सरकार को वहां पर प्रतिबन्ध लगाना चाहिए। पूरे भारत में एक भाव होने चाहिए। कम से कम एक या दो रुपये मन का अन्तर रहा तो गरीब लोग उनके शिकार न हों। एक ट्रक वाले को छोड़ दिया जाता है और जो गठड़ी लेकर जाता है उनको सजा होती है। रियासती जमाने से भी ज्यादा काला कानून बनाया है। सरकार की अव्यवस्था से और उस तरह से कानून लागू नहीं होना चाहिए और उसके बारे में विशेष व्यवस्था करना चाहिए तभी खाद्यान्न की स्थिति सुधर सकती है।

दूसरी बात यह है कि माननीय राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में यह कहा कि बांसवाड़ा-डूंगरपुर में सिर्फ २ हजार गांव अकाल में पीड़ित हुए हैं, लेकिन यह माननीय राज्यपाल महोदय के योजना बनाने वाले लोगों की गल्ती है। क्या वहां पर २ जिलों बांसवाड़ा और डूंगरपुर में २ हजार गांव ही पीड़ित हुए अकाल से? राज्यपाल महोदय की तरफ से इस तरह की घोषणा होती है। अब तो कलैक्टर और तहसीलदार जैसे अधिकारी कतई नहीं सुनेंगे वहां के लोगों की रिपोर्ट को और जो यहां घोषणा हो जाती है उनके अन्तर्गत चलेंगे और उनको पूछने वाले नहीं है। सदन में भाषण देने से पहले वहां की पूरी जांच कर लेनी चाहिए। वहां पर २ हजार के बजाय ५ हजार गांव अकाल से पीड़ित हो चुके हैं और वहां के अकाल-पीड़ित लोगों के लिए आज चार महीने होने जा रहे हैं, सरकार ने कुछ व्यवस्था नहीं की है और फिर कांग्रेस सरकार इस तरह से बहुत बड़ी दुहाई देती है और कहती है कि कांग्रेस प्रगति करती जा रही है। क्या प्रगति करती जा रही है?

(श्री हीराभाई)

यही प्रगति करती जा रही है कि कम्युनिज्म से ज्यादा खराब प्रगति की है चुनावों में। कम्युनिज्म के और देशों से भी खराब हालत है और वे आप लोगों को चुनौती दे रहे हैं। मैं साफ शब्दों में चुनौती दे रहा हूं कि भविष्य में हमारे लिए और आप लोगों के लिए वे काल बन जायेंगे उनका राज्य होता तो, लेकिन हमारे जैसे लोगों की मौत है। कम से कम इस बात को सोचना चाहिए और डिक्टेटरशाही हिन्दुस्तान में लागू नहीं करनी चाहिए ऐसी हिमायत करके।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

वहां पर पंचायतों के चुनाव की क्या हालत है ? वहां के पंचायतों के चुनावों के बारे में कम्युनिस्ट लोग सत्य बोल रहे थे और ज्वालाप्रसादजी भी उनका विरोध कर रहे थे, लेकिन कम्युनिज्म वालों से भी ज्यादा खराब हरकतें उन्होंने वहां पर की है। २-४ उम्मीदवारों के तो कांग्रेस वालों ने मकान जला दिये और उनको मोटरों में बैठाकर डूंगरपुर और चित्तौड़ तक ले जाकर छोड़ दिया। उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस वालों की क्या तारीफ करनी चाहिए, वे अहिंसावादी लोग हैं। वहां के लोगों पर चुनावों के समय में फर्जी केसेज पैदा करें और उसमें एक सरपंच को हवालात करके रखा गया। इस तरह की यह गांधीवादी हुकूमत है।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

इस तरह से राज्यपाल महोदय की मन्शा को ये लोग खराब करते हैं। मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपसे यह निवेदन करता हूं कि जब तक कांग्रेस अपना यह रवैया नहीं छोड़े तब तक प्रजातन्त्र की जड़ों में अब जो यह कीड़ा लग चुका है और वह काटने लग गया है और सबको यह नष्ट करने वाला है, वह खत्म नहीं होगा। इसलिए या तो कांग्रेस वालों को अपनी नीति सुधारनी चाहिए और अगर नहीं सुधारें तो मजबूरी है कि प्रान्त का अधिकार हमको दे देना चाहिए। लेकिन देश को बरबाद नहीं करें। देश पर बहुत बड़ी कठिनाई का सामना आ रहा है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी-बाजार, जयपुर) : ये भील क्षेत्र से आने वाले सदस्य हैं। २ मिनिट में न तो आपका भाषण प्रारम्भ हो सकता है और न समाप्त हो सकता है। सिर्फ २ तारीख को सबसे पहले बोलने के लिए आप चालू करना चाहते हैं। उनको २ मिनिट बोलने दें। वे भील क्षेत्र से आये हैं।

श्री हीराभाई : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उसी तरह से श्रमिक सहकारिता समितियों के बारे में मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमने वन सहकारिता समितियां बनाई हैं लेकिन उनको आज तक ठेका नहीं दिया जाता है सिर्फ इसलिए कि ठेकेदार लोग उनको कमीशन देते हैं और ये सहकारिता वाले कमीशन नहीं देते हैं। इसलिए सहकारी समितियों को ठेका नहीं दिया

(श्री हीराभाई)

जाता है और एकतन्त्र ठेकेदारोंको काठे दिया जाता है। इस तरह से पूंजीपतियों के मुनीम सुखाड़ियाजी की यह सरकार जनतन्त्र को बरबाद करती जा रही है। इस तरह से पंचायतों का चुनाव है तो पंचायतों के चुनावों में चाहे कोई पार्टी जीते उससे हमारा कोई विरोध नहीं है, लेकिन इस चुनाव में पंचायत समिति, जिला परिषद्, विधान सभा और पालियामेंट के चुनाव एक साथ कर दिये जायं, नहीं तो एक साल पंचायतों का चुनाव होगा और दूसरे साल विधान सभा और पालियामेंट का होगा। इस तरह के कानून को हटा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : समय समाप्त हुआ। सदन की बैठक मंगलवार, दिनांक २ मार्च, १९६५ के प्रातः ११ बजे तक के लिए स्थगित किया जाता है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. ५-०० बजे मंगलवार, दिनांक, २ मार्च, १९६५ के म. पू. ११ बजे तक के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट

(समयाभाव के कारण प्रश्न–समय में न लिये जा सकने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

चीनी का कोटा

८२. श्री श्रवणलाल (हिन्डौन सु.): क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राज्य के किस-किस जिले को चीनी का कितना कितना कोटा किस किस आधार पर दिया जा रहा है ?

(२) जिन जिलों का कोटा कम है क्या सरकार उनका कोटा बढ़ाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(१) राज्य के समस्त जिलों में चीनी का बटंवारा जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। जिन जिलों में शक्कर की व्यवसायिक संस्थायें हैं उन्हें अतिरिक्त चीनी भी दी जाती है।

(२) जिलेवार शक्कर के कोटे का निर्धारण केन्द्रीय सरकार से राज्य को मिलने वाले कोटे पर आधारित है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

भंवरों वाला नाके का बांध का सर्वे

८३. श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि गिरवा क्षेत्र में टीड़ी ग्राम पंचायत में भंवरों वाला नाके को बांधने के लिये सर्वे हो चुका है ?

(२) क्या यह सही है कि इस बांध के बनाने से बोरी कुआ, गोजीयां, खारा बामणिया तक पिलाई हो सकती है ?

(३) यदि हां, तो सरकार इसे कब तक बांधने का विचार रखती है ?

उत्तर

(१) जी नहीं। इस विभाग को इसकी जानकारी नहीं है।

(२) यह सर्वे के पश्चात् ही कहा जा सकता है।

(३) ,, ,,

राजकीय मुद्रणालय की प्रिन्टिग केपेसिटी

८४. श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम) : क्या मंत्री, राजकीय मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री विभाग यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) जयपुर राजकीय मुद्रणालय की कुल प्रिन्टिग केपेसिटी कितनी है ?

(२) पिछले तीन सालों में कितना प्रिन्टिग किया ? सालवाइज़ आंकड़े सदन की मेज पर रखे जांय।

उत्तर

(१) इस प्रेस में कुल ३१ प्रिन्टिंग मशीने हैं। इनकी दैनिक निर्धारित केपेसिटी संबंधी सूची सदन की मेज पर रखी गई है।

(२) पिछले तीन सालों के इम्प्रेशन निम्न प्रकार है :-

१९६१-६२	–	३,३३,६६,२८४
१९६२-६३	–	३,६६,००,१६५
१९६३-६४	–	३,०६,०४,५१७

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

सार्वजनिक कार्यों के लिए अनुदान

८५. श्री रामकिशन (वैर) : क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) पंचायत समिति डीग तथा नगर (भरतपुर) के अन्तर्गत अब तक कितनी ग्राम पंचायतों को सार्वजनिक कार्यों के हेतु अनुदान दिया गया है ?

(२) अनुदान किस किस सार्वजनिक कार्य के लिये दिया गया था और कितने कार्य पूरे हो चुके हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) सदन की मेज पर रखी गई सूची में यह सूचना भी अंकित है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

सिकराय क्षेत्र में पंचायतें बढ़ाने का विचार

८६. श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल (सिकराय-सु०) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या सरकार पंचायत समिति क्षेत्र सिकराय में और पंचायतें बढ़ाने का विचार रखती हैं ?

(२) अगर हां, तो कितनी और कहां कहां और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(१) जी नहीं। अभी ऐसा कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(२) प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

खंडसारी खांड का परमिट

८७. वैद्य श्री गोविन्दसहाय (गंगापुर) : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि राजस्थान सरकार ने खण्डसारी खांड का परमिट, हलवाई संघ जयपुर को दिया था ? यदि हां, तो कितनी खंडसारी खांड का ?

(२) यह खांड किस भाव से कहां से खरीदी गई थी तथा यहां किस भाव से हलवाइयों को बेची गई है ?

(३) क्या खण्डसारी खांड का दुबारा परमिट हलवाई संघ को नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

उत्तर

(१) जी हां। १२ टन खण्डसारी दिसम्बर, ६३ व ५२.५ टन ता० १३-१०-६४ को, २७ टन ता० १०-११-६४ को व ४५ टन ता० २३-१२-६४ को खण्डसारी खांड का परमिट दिया गया।

(२) १२ टन खाण्ड सारी मुजफ्फरनगर (यू० पी०) से १५६.२५ रु० से लेकर १६५.६२ रुपये प्रति क्विन्टल की दर से खरीदी जाकर १६० रु० प्रति क्विन्टल के हिसाब से बेची गई।

५२.५ टन खण्डसारी मुजफ्फरनगर (यू० पी०) से रु० १२०.८६ पैसे प्रति क्विन्टल के भाव से खरीदी तथा शेष २७ व ४५ टन खंडसारी भी मुजफ्फरनगर से ही १२६.०३ रु० प्रति क्विन्टल के भाव से खरीदी गई। संघ के सदस्यों को यू० पी० से आयातित खण्डसारी संघ द्वारा वितरित की जाती है। १२४.५ टन खंडसारी के बेचने का भाव अभी निर्धारित नहीं किया गया है।

(३) जी हां। केन्द्रीय सरकार से दिसम्बर ६४ के बाद खंडसारी खांड का अलॉटमेंट प्राप्त नहीं हुआ है, अतः परमिट का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

शुद्धि-पत्र

(शनिवार, दिनांक २७ फरवरी, १९६५)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
५१४	शीर्षक	तारांकित प्रश्नात्तर	तारांकित प्रश्नोत्तर
५२२	,,	२५ फरवरी, ६५	२७ फरवरी, ६५-
५२४	७	श्री तेजाराम गोह्लोत	श्री तेजाराम गह्लोत
,,	११	श्री मथुराद्वास माथुर	श्री मथुरादास माथुर
,,	१४	अपीलट	अपीलेट
५२५	१२	ाचीट्ठा	चिट्ठी
५२६	शीर्षक	तांराकित	तारांकित
५३०	अन्तिम से ५	डांगी :	डांगी) :
५३४	शीर्षक	तारांकित प्रश्नात्तर	तारांकित प्रश्नोत्तर
,,	२२	श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूडावत	श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत
,,	अन्तिम	है	है ?
५३६	अन्तिम से ६	है।	है
५३७	१५	श्री परसराम मदेरणा	
५३९	अन्तिम से ३	िचाई	सिंचाई
५४०	शीर्षक	२६ फरवरी, ६५	२७ फरवरी, ६५
,,	१४	श्री कृष्णकूमार गोयल	श्री कृष्णकुमार गोयल
५४१	७, ८	हुआ होगा, होगा	"हुआ होगा, होगा"
,,	१८	श्री कृष्णकमार गोयल	श्री कृष्णकुमार गोयल
५४८	शीर्षक	-२७ फरवरी, २५-	-२७ फरवरी, ६५-
,,	१९ के बाद	—	(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)
५४९	अन्तिम से ४	ΙΙ	श्री
५५१	३	(प्रतापमढ़)	(प्रतापगढ़)
,,	२१	बद्य	वैद्य
५५५	अन्तिम से ५	(आसपुरा)	(आसपुर)
५५६	७	अच्छा	अच्छा।
५६३	१६	श्री मतीलक्ष्मी कुमारी	श्रीमती लक्ष्मीकुमारी
५६४	५	लखता	लिखता
५६५	१	वकरे	वकरे

१	२	३	४
५३५	अन्तिमसे ६,५	(कोलातय)	(कोलायत)
५६६	६	सुपरिन्टेन्डेट	सुपरिन्टेन्डेंट
५७५	१	आचार्य	आचार्य :
,,	७	प्रिवलेज	प्रिविलेज
,,	६	सब । इस	सब इस
५८०	शीर्ष	श्री निरंजननाथ आचार्य	(श्री निरंजननाथ आचार्य)
५८१	१	थी भैरोंसिह	श्री भैरोंसिंह
५८७	शीर्षक	प्रश्कोत्तर	प्रश्नोत्तर
५६०	,,	तांराकित प्रश्नोत्तर	अ.स. के तारांकित प्रश्नोत्तर
६०६	१७	डिश्मिस पडटवारी	डिस्मिस्ड पटवारी
,,	२१	श्री नाथूम मिर्धा	श्री नाथूराम मिर्धा
६०८	शीर्षक	नहर के मजदूरों की– २६ फरवरी, ६५–हड़ताल निनयक वक्तव्य	राजस्थान नहर के –२७ फरवरी, ६५– मजदूरों की हड़ताल विषयक
६१४	शीर्ष	(श्री मथुरादास नाथुर)	(श्री मथुरादास माथुर)
६१७	शीर्षक	वाद-निवाद	वाद-विवाद
६१८	,,	२७ फरवरी ६५– अभिमाषम पर	२७ फरवरी, ६५– अभिभाषण पर
६२१	,,	वाद:विवाद	वाद-विवाद
,,	२५, २६, २७	वह भी इस भाषण से हमारे सामने आया है वह भी इस भाषण से हमारे सामने आया है।	वह भी इस भाषण से हमारे सामने आया है।
६२२	शीर्षक	रिक्शा चालकों की हड़ताल -२६ फरवरी, ६५– विषयक स्थगन–प्रस्ताव	राज्यपाल महोदय के -२७ फरवरी, ६५– अभिभाषण पर वाद-विवाद
६२४-२५	शीर्षक	महोदय, के……अभिभाषण	महोदय के……अभिभाषण
६२६–२७	,,	महोदय, के……अभिमारण	,, ,, ,,
	६३१	अभिभासण पर वाद:विवाद	अभिभाषण पर वाद-विवाद
,,	१७	नोतान्त	नितान्त
६३२	४	जान ते हैं	जानते हैं
,,	अन्तिम से ५	होर्डरर्स	होर्डर्स

१	२	३	४
६३३	१६	पार्शिय ट्रुथ	पार्शियल ट्रुथ
६३८	शीर्षक	वाद:विवाद	वाद-विवाद
६३९	१७	करेस्पोंडि-गली हमारो वेजे इन्क्रीज	कोरेस्पोंडिगली हमारी वेजेज़ इन्क्रीज़
६४०	शीर्ष	(रामानन्द अग्रवाल)	(श्री रामानन्द अग्रवाल)
६४१	अन्तिम से ४	श्री रामान्नद अग्रवाल	श्री रामानन्द अग्रवाल
६४२	४	माननीया सभापति महोदय,	माननीय सभापति महोदया,
६५२	१३	बना-देगें-।	बना देंगे ।
६५४—५५	शीर्ष	रिक्शा चालकों की हड़ताल ……विषयक स्थगन प्रस्ताव	राज्यपाल महोदय के अभिभाषण……पर वाद-विवाद
६५४	१३	पार्शिलिटी	पार्शियलिटी
,,	१८	ससापति महोदय,	सभापति महोदया,
,,	२४	(वीनसूर)	(वानसूर)
६६६	अन्तिम	निकाल	निकालने
६६८	अन्तिम से ३	को फरवरी,	को, फरवरी
६६९	,,	निकलनेवा ले	निकलने वाले
६७४	अन्तिम से ५	(ायसहनगर)	(रायसिहनगर)
६७६	८	कीतनी की	कितनी ही
६७८	अन्तिम से ४	abel match	able match
६८४	३	की रिपार्ट	की रिपोर्ट
६९५	अन्तिम से २	नाथुर	माथुर
६९६	१०	लूंग ाऔर	लूंगा और
७०५	९	हाप	हाथ
७१०	शीर्ष	(श्री विजयपाल	(श्री विजयपाल कटारा)
,,	२	पंचायत ो	पंचायतों
,,	४	न	नहीं
७१७	७	पावर	पॉवर
,,	९	जगाएं	लगाएं
७१८	१८	हैं	है
,,	१९	है	हैं
७१९	१०	अड़चने	अड़चने
७२४	८	पूनिटे	यूनिटें

१	२	३	४
७२७	६	अ र	अगर
७२८	४	कॉडेस्क्रिप्शन	का डेस्क्रिप्शन
७३०	१५	रोकिन	रोबिन
७४०	शीर्ष	(श्री हाराभा	(श्री हीराभाई)
७४४	१	काठे	ठेका
७४७	अन्तिम. से ८	मुद्रणलय	मुद्रणालय
७४९	६	हैं ?	है !